खण्ड-122, अंक-3
गुरूवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1875
(26 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 122 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अंतमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर आइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्वरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गजूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन बिभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अहमद खां, श्री

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद मोटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसेन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंसीवास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशी मक्रवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम मंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुक्खूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालवास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२० अप्रैल, १९५३ के लिय संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों का पुनर्वासन

*२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शामली तथा कांधला, मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों की जनसंख्या क्या है और उनके रहने की क्या व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—शामली तथा कांधला में उदवासितों की जनसंख्या क्रम से लगभग १,१०० और ६०० है। उदवासितों को निष्क्रांत सम्पत्ति के अतिरिक्त और भी मकान रहने के लिये मिले हैं और राजकीय सरकार ने उनके लिये नये मकान निर्माण करने की भी व्यवस्था की है।

*३—श्री श्रीचन्द—क्या इन पुरुषार्थियों के रहने के मकान भी बनवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, राजकीय सरकार ने उदवासितों के लिये शामली में ६७ मकान बनवाये हैं और ४८ मकान बनवाये जा रहे हैं। कांधला में वित्तीय वर्ष १९५२-५३ की सरकारी निर्माण योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही २४ मकान बनवाये जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कांधला में यह क्वार्टर्स कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जल्द तैयार हो जायेंगे ।

*४—श्री श्रीचन्द—यदि उपर्युक्त दोनों स्थानों में से किसी स्थान पर कुछ मकान बन गये हैं, तो उन पर क्या लागत लगी और प्रत्येक मकान का क्या किराया लिया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—शामली में जो ६७ मकान बने हैं उनमें से १७ दो कमरे वाले मिले हुये दूकान व मकान टाइप के मकानों पर जमीन को लागत सहित ४८,०११ रुपया व्यय हुआ और ५० सी टाइप वाले एक कमरे के मकानों पर लगभग १,०५,००० रुपया जमीन का मूल्य सहित व्यय होगा। लागत के हिसाब से दो कमरे वाले मकानों का फाइनल रेण्ट (Final rent) १३ रु० १ आना फी मकान माहवारी निकलता है। पर अभी अस्थायी किराया (provisional rent) ८ रुपया माहवार फी मकान लिया जा रहा है। एक कमरे वाले मकानों पर जो ज्यादा अच्छे बने हैं और जिन पर लागत अपेक्षाकृत ज्यादा आई अस्थायी किराया १० रुपया माहवार फी मकान लिया जा रहा है। अभी इनका फाइनल रेंट (Final rent) नहीं तय हुआ है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी इन क्वार्टर्स के एस्टीमेट्स की नकलें और नक्शे ब्लू प्रिंट पर मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बहुत अच्छा मंगा दिये जायेंगे ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कांधला, शामली तथा मुजफ्फ़रनगर में कितने शरणार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कोई भी नहीं ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या सरकार को मालूम है कि मुजफ्फ़रनगर में पुरुषार्थियों को जो मकान दिये हैं उन में से २४ फलैट खाली पड़े हुये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसकी सूचना की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग विकास

*५—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जिन आठ स्थानों में कुटीर उद्योग क्लास चल रहे हैं उनमें कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और किन किन कुटीर उद्योगों की शिक्षा उन्हें दी जा रही है ?

*६—क्या सरकार बतायेगी कि इन कुटीर उद्योग शिक्षा क्लासों के सिलसिले में सरकार कितना कितना रुपया, किन-किन शिक्षालयों को देती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—'उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग विकास, १९५२-५३, नामक हिंदी बुकलेट के पृष्ठ ९६ पर उल्लिखित जिन आठ स्थानों में ट्यूशनल क्लासेस चल रहे हैं उनमें जितने जितने विद्यार्थी जिन जिन उद्योगों में शिक्षा पा रहे हैं तथा उन क्लासेस के सिलसिले में जितना रुपया व्यय होता है उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२७ पर ।)

*९—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार ने इन शिक्षा क्लासों के निरीक्षण के लिये कोई विशेष निरीक्षक भी रखे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इन क्लासों का निरीक्षण सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन कुटीर उद्योग क्लासेज में कितना उत्पादन होता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसकी इत्तिला इस वक्त नहीं दी जा सकती।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या इसमें उत्पादन का काम होता भी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां पर प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं वहां उत्पादन का काम होता है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग शिक्षा क्लासेस में जो विद्यार्थी उनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको कुछ मासिक सहायता भी दी जाती है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि वे ८ स्थान कौन कौन से हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जो फेहरिस्त आपको दी गई है उसमें हैं।

श्री अध्यक्ष—फेहरिस्त उनके पास नहीं है। आप पढ़ देंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मिर्जापुर, आजमगढ़, बनारस, कानपुर, बहराइच, बलिया और गोरखपुर जिलों में हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या सरकार ने कोई ऐसा लेखा तैयार करवाया है कि इन क्लासेस में शिक्षा पाये हुये कितने विद्यार्थी काम में लग गये हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसकी फेहरिस्त तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि यह सब विद्यार्थी काम में लग जायं।

नैनीताल तराई-भावर के छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये योजना

*८—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई-भावर केन यूनियन के संचालक गोकुलनगर मिल के लिये स्थानीय छोटे छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ना को न लेकर रामपुर जिला के तहसील बिलासपुर के बड़े-बड़े फार्मों से गन्ना लेते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि चिमनी फार्म के प्रोप्राइटर को ५० हजार मन गन्ने की स्पेशल पुर्जी इशू की गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—नोटिस की जरूरत है।

*९—श्री बद्री नारायण मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार छोटे गन्ना उत्पादकों के गन्ने की बिक्री के लिये कोई योजना बना रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०-१२—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३-१४—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[२३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१७—श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)—[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में भूसुड़ का आतंक

*१८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को विदित है कि मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में भूसुड़ का (एक प्रकार का हिंसक जानवर जिसे स्थानीय भाषा में कोरी भी कहते हैं) उपद्रव, जो गत वर्ष प्रारम्भ हुआ था पिछले दिसम्बर मास से पुनः प्रारम्भ हो गया है, और म्योरपुर के पास, आसनडीह (बभनी के पास) तथा कुदरी में (किरविल के पास) मनुष्यों पर उसके घातक हमले हुये हैं?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—गत वर्ष इस जानवर के हमले दुद्धी तहसील के कुछ गांवों में म्योरपुर, बभनी व किरविल के पास हुये थे। इस साल ऐसे हमलों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*१९—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार भूसुड़ द्वारा साल भर के भीतर मारे गये तथा घायल किये गये सभी व्यक्तियों की सूची मेज पर रखेगी, तथा उनके परिवार वालों के पालन-पोषण का प्रबंध करेगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जैसा अब तक मालूम है मारे गये व्यक्तियों की संख्या १६ और घायलों की संख्या ६ है। सहायता के बारे में कोई नियम नहीं है, न कोई रकम अभी तक रखी गई है।

*२०—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उक्त भूसुड़ को मारने के लिये कोई सफल कदम उठायेगी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इन जानवरों के मारने के लिये पुरस्कार की घोषणा की गई है। शिकारियों की पार्टियां भी बनाई गई हैं और बन्दूकों का प्रबंध कर दिया गया है। गत वर्ष एक जानवर मारा भी गया है और फिर हिदायतें जिला अधिकारी को जा रही हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकार की पार्टी के लिये किन-किन व्यक्तियों के ग्रुप बनाये गये थे ? उन्होंने क्या प्रयत्न किया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---शिकारियों की कई पार्टियां बनायी गयी हैं पहले भी आप ने सवाल भेजे थे तब भी हिदायतें भेजी गयी थीं कि उनकी मदद से उस जानवर को मारें और घायल करें ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (ज़िला जौनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि केवल शिकारियों को ही बन्दूकें दी जायंगी या वहां के ग्रामीणों को भी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यहां से ज़िला मैजिस्ट्रेट को हिदायतें दी गयी थीं कि वह उन ग्रामों के रहने वालों को बन्दूकें दें और लाइसेंस भी वहां आज़ादी से दें ताकि लोग खुद भी अपनी हिफ़ाज़त कर सकें ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि सरकार इन हताहत होने वाले लोगों को कोई रक़म स्वीकार करेगी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कोई ख़ास दरख्वास्त आये जिसमें किसी आदमी के लिये ऐसा हो कि उसकी हालत को देखते हुये ज़रूरत हो तो ख़ास तौर पर सोचा जायगा, लेकिन बजट में ऐसी कोई रक़म नहीं रखी गयी है ।

सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि के नियम

*२१---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (ज़िला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों की नौकरी की मियाद पूरी हो जाती है उनको extension या दूसरी नौकरी देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---सरकार की यह नीति है कि विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त और जब कि सार्वजनिक हित के लिये यह आवश्यक हो अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की नौकरी की अवधि बढ़ाई न जाय और पुनर्नियुक्ति न की जाय ।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस समय कितने सरकारी कर्मचारी जिनको एक्सटेन्शन मिला है, काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---इसके बारे में एक सवाल पूछा गया था । तब आंकड़े जमा किये गये थे । तो अक्तूबर ५२ तक, कुल मुलाज़िम जिनका फिर तकर्रुर किया गया था उनकी संख्या १५९ थी ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (ज़िला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि गुज़िश्ता साल कैबिनट का कोई फैसला हो चुका था कि अब से किसी को एक्सटेंशन न दिया जाय?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कैबिनेट का वही फैसला हुआ था जो कि जवाब में बतलाया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की मियाद खत्म हो जाती है उनके बारे में जो दो नोटिफिकेशन निकले हैं नम्बर २३० और २२७ वे परस्पर विरोधी हैं?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---किस साल के ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसी साल के ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---अगर परस्पर विरोधी हैं तो उनमें ज़रा सोचने समझने की ज़रूरत होगी वरना दोनों का मतलब एक ही निकलेगा।

तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन क्षेत्र में गन्ना पेरने का प्रबन्ध

*२२---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तमकुही रोड चीनी मिल और भटनी केन यूनियन के क्षेत्र में कितने एकड़ गन्ना इस वर्ष खेतों में था और उनमें से अब तक कितना किस मिल को गन्ना दिया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी---तमकुही रोड चीनी मिल के क्षेत्र में इस वर्ष सोसाइटी के सदस्यों का कुल १०,७९५ एकड़ गन्ना था जिसमें से अब तक ११.८७ लाख मन गन्ना उक्त मिल को सप्लाई किया जा चुका है। भटनी केन यूनियन के क्षेत्र में सोसाइटी के सदस्यों का २.१६ हजार एकड़ गन्ना था जिसमें से १.१६ लाख मन गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जा चुका है।

*२३---श्री गेंदासिंह---क्या उपर्युक्त दोनों स्थानों पर केन यूनियन के बार-बार यह प्रयत्न करने के बाद भी कि गन्ने का ठीक-ठीक अनुमान लगा कर उसके पेरने का बन्दोबस्त कर दिया जाय, अब तक कोई बन्दोबस्त नहीं हो सका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी नहीं, उपर्युक्त दोनों स्थानों पर पूरे गन्ने को चीनी मिलों में पिरवाने का बन्दोबस्त किया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह---यह आंकड़े जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने बताये वह पिछली किस तारीख तक के हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---यह किस वक्त इन्फारमेशन मांगी गयी है, हफ्ते भर पहले की बात है ?

श्री गेंदासिंह---यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह ११·८७ लाख मन गन्ना तमकुही मिल को जो सप्लाई किया गया वह किस तारीख़ तक सप्लाई किया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी---मैंने कहा कि तारीख़ तो मैं नहीं बतला सकता कि किस तारीख़ को सप्लाई किया गया, लेकिन यह एक हफ्ते पहले की ख़बर है।

श्री गेंदासिंह---भटनी मिल के पास कितने एकड़ गन्ना था और कब तक उसके ख़त्म हो जाने की उम्मीद है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इत्तिला यह है कि जितना गन्ना है कुल पेर लिया जायगा; कोई बचेगा नहीं और यह कि किस तारीख़ को वह ख़त्म होगा यह तो नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि भटनी का गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जाता था और उस मिल ने इन्कार कर दिया है कि वह पूरा गन्ना नहीं लेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---भटनी मिल कितने दिन से बन्द है और उसके कब तक चलने की संभावना है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---उसके लिये नोटिस हो तो दरियाफ्त कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भटनी मिल में इस वर्ष कितने एकड़ गन्ना पेरा गया था जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जो मैंने बतलाया था वह यह था कि भटनी मिल में १६ हजार एकड़ गन्ना था जिसमें से १·१६ हजर मन गन्ना खलीलाबाद मिल को सप्लाई किया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह---माननीय उद्योग मंत्री जी का मैंने ध्यान जो प्रश्न छपा हुआ है उस तरफ दिलाया था कि कितने एकड़ गन्ना भटनी मिल में था और क्या वह पेरा गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---यह तो इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता।

श्री गेंदासिंह---तमकुही मिल के बारे में यह बतलाया जा सकता है कि वहां कब तक गन्ना खत्म हो जायगा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जो इत्तिला मेरे पास है कि कोई गन्ना बाक़ी नहीं रहेगा, सब पेरा जायगा, तो उसकी कोई तारीख़ नहीं कि कब तक पेरा जायगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि भटनी मिल का गन्ना खलीलाबाद को ही सप्लाई किया जायगा और किसी दूसरी मिल को नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जैसा मैंने कहा, कुल गन्ना पेरा जायगा। अगर नहीं पेरा जा सकेगा तो उसका इन्तजाम होगा कि उसे दूसरी जगह भेजा जाय, लेकिन मैं इतना ही बतला सकता हूं कि कुल गन्ना पिर जायगा।

तमकुही क्षेत्र में ओला पड़ने से ईख की फसल को क्षति

*२४---**श्री गेंदासिंह**---क्या इसकी सूचना सरकार को है कि तमकुही क्षेत्र में अधिकांश गांवों में ओला पड़ने से ईख की फ़सल को नुक़सान पहुंचा था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां।

*२५-२६---**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)---[१६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

सचिवालय में हिन्दी टाइपराइटरों का प्रयोग

*२७---**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय में कितने टाइपराइटर हैं और उनमें कितने हिन्दी के हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---७८८ और १९५।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अंग्रेजी और हिन्दी के टाइपराइटर किस एजेंसी के द्वारा खरीदे जाते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यहां से तो स्टोर परचेज़ डिपार्टमेंट के ज़रिये खरीदे जाते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि अमुक सन् तक सारे टाइपराइटर हिन्दी में हो जायेंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---अब जो आगामी साल आ रहा है उसमें उम्मीद है कि ६० टाइपराइटर्स हिन्दी के खरीदे जायंगे और अंग्रेजी का कोई नहीं खरीदा जायगा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कितने टाइपिस्ट हैं, जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों टाइप जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह टाइपिस्ट का सवाल नहीं है, टाइपराइटर का सवाल है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हिन्दी के टाइपराइटरों की इतनी कमी है तो इतने कम खरीदने का कारण क्या है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जितना रुपया मंजूर था उसी के अन्दर खरीदे गये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने हिन्दी का एक टाइपराइटर ईजाद किया है जिससे स्टेशनरी का खर्चा आधा हो जाता है और इसी कारण बिहार गवर्नमेंट ने उस मेक को पसन्द करके सारे वही टाइपराइटर खरीदे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--उसका मुझे जाती इल्म तो है नहीं, आप कह रहे हैं तो सही होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी और अंग्रेजी टाइपराइटरों का अलग-अलग मूल्य कितना-कितना है ?

श्री गोविन्दवलभ पन्त--अलग-अलग किस्म के दोनों होते हैं और उन की क़ीमतें अलग-अलग होती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि वे इस टाइपराइटर के संबंध में बिहार गवर्नमेंट से पत्र-व्यवहार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि जो माल बनाता है वह खुद कोशिश करता है कि उसकी बिक्री हो। यह बोझा उसी पर छोड़ना चाहिये बजाय इसके कि उनको हम तकलीफ़ दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसे मालूम है या नहीं कि आगरा में एक कारखाना है जो सिर्फ सौ रुपये में अंग्रेजी के टाइपराइटर को हिन्दी में बना देता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--आगरा की बातें मुझे बहुत मालूम नहीं रहतीं।

*२८--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल कितने टाइपराइटर खरीदे गये हैं और उनमें हिन्दी के टाइपराइटरों का क्या अनुपात है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--इस साल ६० टाइपराइटर खरीदे गये जिनमें ३२ हिन्दी के और २८ अंग्रेजी के हैं।

सरकारी कार्यालयों के लिये बरेली से फर्नीचर खरीदने का आदेश

*२९--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हर एक जिले के सरकारी कार्यालयों के लिये उनके अधिकारियों को बरेली ही से फ़र्नीचर मंगाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों, किससे तथा उसकी क़ीमत कौन तय करता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--- प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के लिये फर्नीचर को इंडियन बाबिन कंपनी, कलक्टरबकगंज (बरेली) से ख़रीदने के लिये आदेश दिया गया है जिसका कारण यह है कि इस कंपनी का प्रबंध सरकार करती है और सरकार ने इसके अधिकतर शेयर खरीद कर इसमें बहुत सा धन लगाया है। इसके अलावा यहां का बना माल दूसरी फर्मों के मुक़ाबले में अधिक बढ़िया तथा मजबूत होता है। सरकारी विभागों की ओर से राजकीय सेण्ट्रल वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, बरेली के प्रिंसिपल महोदय उनके आर्डरों को कार्यान्वित कराने के लिये माल को अपनी देखरेख में बनवाते हैं जिससे वह बढ़िया और मजबूत होता है और उसकी क़ीमत उचित होती है।

*३०-३२---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १७८-१७९ पर]

*३३---**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)---[३१ मार्च, १९५३ ई० के लिये संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तराई-भावर में गन्ने को पेरने का प्रबंध

*३४---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई-भावर क्षेत्र में आबादी तथा खेती बढ़ जाने के कारण सट्टे से बचे हुये लाखों मन शेष गन्ने को पिरवाने का वह क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---सरकार ने तराई भावर क्षेत्र में सट्टे से बचे हुये गन्ने को पिरवाने के लिये २ लाख ३८ हजार रुपये से अधिक तकावी के रूप में मंजूर किया है जिससे गन्ना उत्पादक कोल्हू और क्रशर (Crusher) लगा सकें और शेष गन्ना पेर लें। हाल ही में एक और विशेष योजना बनाई गई है जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र से गन्ना बिलारी, न्योली, बरेली व बहेड़ी मिलों को भिजवाया जा रहा है। आशा है कि तराई भावर का पूरा गन्ना मिल जायगा।

*३५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई-भावर में गन्ने की पैदावार बढ़ाने की हेतु वह क्या सहायता दे रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---तराई भावर के गन्ना विकास क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने ट्यूब वेल (Tube well) पंपिंग सेट (Pumping set) आदि सिंचाई के साधनों पर १६ हजार रुपये की तकावी मंजूर की है और ४० हजार रुपया क़र्जा भी दिया है। नये कुओं के निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत, तालाब, गूल इत्यादि खुदवाने एवं साफ करने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। खाद तथा उन्नत किस्म के गन्ने के बीज भी बांटे जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलारी, न्योली और बहेड़ी वग़ैरह का गन्ना किसी विशेष योजना के अनुसार गन्ना मिलों को भिजवाया जा रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जितना भी बचेगा और जितना पेरा जा सकेगा सब भेज दिया जायगा। आशा यही है कि कुल गन्ना पिर जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सट्टे से बचा हुआ कुल गन्ना तराई भावर में कितना है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इसके तो फ़ीगर्स मौजूद नहीं हैं कि कुल कितना गन्ना सट्टे से बचा हुआ है लेकिन यह जरूर है कि जो गन्ना बचेगा उसके लिये सब इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस बचे हुये गन्ने को पिरवाने की समस्या को देखते हुये सरकार ने बाजपुर में एक शुगर फैक्ट्री बनवाने या ट्रान्सफर कराने का निश्चय किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां, कोशिश की जा रही है कि वहां एक फैक्ट्री बन जाय।

श्री गेंदासिंह---बाजपुर की फ़ैक्ट्री के लिये क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई दूसरी फैक्ट्री उठाकर वहां लगाई जायगी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कोशिश यह है कि कोई कारखाना जो बेकार पड़ा है उसे काम में लाया जाय।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि सरकार के किसी विभाग ने इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया था कि इस इलाक़े में कितना गन्ना पैदा होगा ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---हां, अन्दाजा लगाने का कोई सवाल नहीं उठ सकता आखिर कोई किसी को गन्ना पैदा करने से रोक नहीं सकता। अगर कोई करे तो उसके ख़िलाफ़ प्रोटैस्ट हो कि क्यों रोका जा रहा है।

श्री गेंदासिंह---क्या इस इलाक़े में ऊख सुधार विभाग की ओर से कोई कार्य हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो कितना ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---यह बात मैं नहीं बतला सकता। दरियाफ़्त कर लूं।

*३६-३८---**श्री राम सुन्दरपाण्डेय**---[२३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४०---**श्री रामस्वरूप गुप्त**---[२३ अप्रैल, १९५३ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

जिलाधीश को अध्यक्ष, जिला बोर्ड से मिलने के सम्बन्ध में आज्ञा

*४१---**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)---क्या यह सही है कि सरकार ने एक इस प्रकार की आज्ञा जारी की थी कि जब कोई जिलाधीश नये जिले में चार्ज ले तो वह वहां के अध्यक्ष जिला बोर्ड से मिले ? यदि हां, तो वह आज्ञा कब निकाली गयी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जी हां, यह आज्ञा दिनांक नवम्बर २५, १९४८ को जारी की गई।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आज्ञा के साथ कोई ऐसे नियम बनाये गये थे जिससे सरकार को पता चलता रहे कि इस आज्ञा का पालन हुआ या नहीं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यदि कोई हिदायत की जाती है तो उम्मीद की जाती है कि उसके मुताबिक कार्यवाही होगी। इसके अलावा चेयरमैनों को भी इसकी इत्तिला दी गई थी लेकिन किसी बात की शिकायत उनके पास से नहीं आई कि इसके मुताबिक कार्यवाही नहीं हुई।

* * * * *

रामपुर की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों से प्राप्त शकर महसूल

*३०---**श्री कृष्णशरण आर्य** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर की रजा तथा बुलन्द शुगर कम्पनियों से Sugar Cess गत तीन वर्षों में पृथक्-पृथक् कितना प्राप्त हुआ है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३०-३२ श्री गेंदासिंह ने पूछे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---रामपुर की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों से ईख का कर गत तीन वर्षों में २३,४४,४३० रुपया २ आना ९पाई प्राप्त हुआ जैसा कि नीचे दिया गया है---

	रु०	आ०	पा०
आर्थिक वर्ष ४९-५०	९,३४,३८५	१४	०
आर्थिक वर्ष ५०-५१	६,७७,१९४	११	३
आर्थिक वर्ष ५१-५२	७,३२,८४९	९	६
कुल	२३,४४,४३०	२	९

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मिलों से तीन वर्षों में सरकार का कितना पावना था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---अलग-अलग इन मिलों से कितना प्राप्त हुआ इसका तो इस वक्त पता नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---इन मिलों पर सरकार का कितना केन सेस था क्या यह नहीं बतलाया जा सकता ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---३०,३४४ रुपया तो रजा मिल की तरफ और ३१,३०१ रुपया बुलन्द मिल की तरफ बकाया है ।

श्री गेंदासिंह---यह पता नहीं कि इतना बकाया था या कुल पावना था ?

श्री अध्यक्ष---उनकी समझ में बात आ गई ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---बतलाया यह गया था कि कुल २३ लाख रुपया था पूछा यह गया कि अलग-अलग मिलों पर कितना था, उसका जवाब दिया गया कि इसके आंकड़े नहीं थे । लेकिन बाकी कितना है वह मैंने बतला दिया है ।

रामपुर के राजकीय प्रेस की मशीनों का मूल्य

*३१---श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के राजकीय प्रेस में क्या क्या मशीनें, अनुमानतया कितने मूल्य का टाइप तथा अन्य सामान है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---राजकीय प्रेस रामपुर में १८ मशीनें, जिनमें विक्टोरिया अंग्रेजी मशीन, फोनिक्स मशीन, लीथो आटोमेटिक और लीथो फरनीवल इत्यादि हैं । लगभग ३०,००० रु० की हैं । इसके अतिरिक्त टाइप के सामान लगभग २९,००० रु० के हैं । फर्नीचर और फिटिंग लगभग २,५०० रु० का है तथा फुटकर सामान २,४०० रु० का है ।

*३२---श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त प्रेस सरकार के अधिकार में आने से अब तक उसका उपयोग तथा प्रबन्ध किस प्रकार किया गया है तथा उससे सरकार को क्या लाभ अथवा हानि हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस प्रेस को अधिकार में लेने के बाद इसके उचित उपयोग और प्रबन्ध पर विचार हो रहा है । प्रश्न का दूसरा भाग पैदा नहीं होता है ।

अतारांकित प्रश्न

जिला कलेक्टर के टी० ए० पर प्रतिबन्ध

१---श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कलेक्टर के टी० ए० पर कोई प्रतिबन्ध है कि इतने से अधिक एक महीने में नहीं ले सकता ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जी नहीं, सरकारी काम के लिये जिला कलेक्टर जो दौरे करते हैं उनके लिये वह टी० ए० नियमों (Travelling allowance rules) में दिये गये दरों पर टी० ए० पाते हैं।

विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्बन्धी संकल्प को स्थगित करने का सुझाव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे संकल्प नम्बर ३ के विषय में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष---अभी तो संकल्प नम्बर ३ आया नहीं है। क्या कहना है आपको ?

श्री नेकराम शर्मा---मुझे यह कहना है कि इसमें अभी अमेंडमेंट्स के लिये समय नहीं मिल पाया है। दूसरे इसमें वैधानिक आपत्ति है। इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को फिर किसी समय के लिये स्थगित कर दिया जाय या हम लोगों को समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---संशोधन के लिये मैं समय अवश्य दूंगा। बात यह है कि कल ही मैंने इसका फैसला किया कि (प्राइमाफेसी) यह वैध है और इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। यदि इसके ऊपर माननीय सदस्य को अगर कोई वैधानिक आपत्ति है तो जिस वक्त यह संकल्प विचार के लिये पेश होगा उस वक्त माननीय सदस्य आपत्ति उठा सकते हैं। कल तक का समय मैं इसके लिये दूंगा कि जो संशोधन लाना चाहते हैं वे कल तक ले आयें क्योंकि दो रोज तो बहस होगी ही। तो कल तक संशोधन के लिये समय दे दिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मन्त्री जी झारखण्डे राय जी के प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव हमारे सामने श्री झारखण्डे राय जी के द्वारा रखा गया है उसको हम किसी भी हालत में स्वीकर नहीं कर सकते और मेरा ऐसा विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुये सभी माननीय सदस्य इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इसको मंजूर नहीं करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि पिछले लगभग एक महीने के भीतर किसी न किसी रूप में यह प्रश्न इस सदन के सामने सवालों के द्वारा और बजट पर वादविवाद के द्वारा आया है कि राजनीतिक क़ैदियों का एक अलग वर्ग बनाया जाय और मैंने इस बात को स्पष्ट करने का एक नहीं अनेक बार प्रयत्न किया है कि हम इस बात को स्वीकार क्यों कर नहीं सकते। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क़ैदियों का अलग वर्ग बनाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। ऐसी शायद ही कोई दफ़ा हो जिसको खासतौर से राजनैतिक दफ़ा कहते हों। हां, जैसा मैंने पहले कहा कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है कि ऐसी कोई दफ़ा जिसको किसी माने में राजनीतिक दफ़ा नहीं कह सकते वह भी राजनीतिक दफ़ा बन जाती है जैसे मैंने मिसाल दी थी साल्ट ऐक्ट की। उस ऐक्ट के अन्दर कोई राजनीतिक बात नहीं है। उस कानून को लोग चोरी की नियत से या और किसी नीयत से तोड़ा करते हैं। लेकिन अगर किसी वक्त ऐसा हो जाय जैसा कि हमारे देश के इतिहास में आज से पहले हो चुका है, महात्मा जी द्वारा, जवाहरलाल जी द्वारा, सरदार पटेल जी, आचार्य नरेन्द्रदेव जी या यहां बहुत से लोग बैठे हुये हैं इस तरह के आदमी जब कानून को तोड़ने लगें तो जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट उस वक्त क्यों न हो उसको एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना पड़ जाता है। तो यह तो एक विशेष अवस्था है लेकिन साधारण

(*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२८ पर।)

† ९ जनवरी, १९५३ की कार्यवाही से क्रमागत।

तौर पर किसी भी गवर्नमेंट के लिये यह जानना मुश्किल होता है कि किसी के दिल में किसी काम के करने का उद्देश्य क्या है? इसका फैसला तो केवल भगवान ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। यह किसी प्रकार भी नहीं जाना जा सकता और न कोई अदालत ही इस बात को तय कर सकती है कि कोई काम राजनैतिक उद्देश्य से किया गया है या और किसी मोटिव से। इसलिये साधारण तौर पर तो अपराध ही देखा जाता है और उसी के अनुसार दंड का विधान भी है। जहां तक नियत का सवाल है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अतः यह एक साधारण सी बात है कि जिसके कारण हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि पोलिटिकल क़ैदियों की अलग बैरक्स बनाई जायं।

इसके अतिरिक्त जिस रूप में यह प्रस्ताव आया है वह तो बहुत ही घातकरूप है और ऐसा प्रस्ताव तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप माननीय सदस्य के शब्दों को देखें जो उन्होंने इसमें रखे हैं और उसके साथ ही साथ देश के इतिहास को देखें तो उन दिनों में आपको अत्यन्त ही भिन्नता दिखाई देगी। हमारे देश के इतिहास में जो राजनैतिक आन्दोलन हुये हैं और समय समय पर उनके टैक्निक में जो परिवर्तन होते रहे हैं उनमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी मौके पर कोई गल्ती की हो लेकिन उसका जो मूल मंत्र 'अहिंसा' रहा है, वह हमारी एक खास चीज थी। इस बात को हम लोग तथा उस तरफ के वे लोग, जिन्होंने राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया है, भलीभांति जानते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारे जो आन्दोलन सन् ३२, ३९ और ४२ में हुये, जब हमारी औरतों की बेइज्जती हो रही थी, हमारी करोड़ों रुपये की जायदाद तबाह हो रही थी, उस समय हमारे विरोधियों का साथ दिया और देश के बड़े बड़े नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी ने गालियां दीं और आज भी उनका हमारे देश की आजादी से कोई ताल्लुक है या नहीं इसको तो मैं ठीक तरह से नहीं जानता लेकिन यह जरूर है कि वे देश को पकड़ कर विदेशियों के पैरों में डाल देना चाहते हैं। परन्तु जिनको देश की आजादी से प्रेम रहा है, देश की आजादी के आन्दोलनों में जो शरीक रहे हैं वे इस बात को जानते हैं कि हमारा मूलमंत्र अहिंसा है।

अब यह जो अधिनियम रखा गया और इसकी जो परिभाषा रखी गयी है उसमें कहीं भी अहिंसा का नाम नहीं रक्खा गया। इसमें तो सिर्फ यह रखा गया है "हर किस्म के आदमी के लिये जो किसी भी सर्वमान्य राजनैतिक पार्टी का मेंबर रहा हो, किसी भी मजदूर किसान या अन्य किसी राजनैतिक आन्दोलन के सिलसिलें में, जो उसने राजनैतिक उद्देश्य से किया हो, अगर उसको जेल भेजा जाय" अब उद्देश्य क्या है यह जाना नहीं जा सकता। इसके अलावा इसी सदन में ५, ६ रोज हुये श्री झारखंडेराय जी ने एक सवाल बलिया के क़ैदियों के बारे में किया था जिन पर डकैती और खून के मुकद्दमे चल रहे हैं, उनके मुताल्लिक उन्होंने सवाल किया कि उनके साथ विशेष रूप से पोलिटिकल कैदियों सरीखा बर्ताव क्यों नहीं किया गया। यह जाहिर बात है कि वे उस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जो पार्टी अहिंसा में विश्वास नहीं रखती लेकिन अगर वे इस बात को मान लेते हैं कि वे अहिंसा में विश्वास रखते हैं तो फिर मतलब ही हल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से ऐसे भी मौके आयेंगे जब कि उनकी पार्टी के किसी मेम्बर पर चोरी, डकैती या खून का मुकद्दमा चले क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसी कोई रोक नहीं है कि ऐसे लोग उसके मेंबर नहीं हो सकते और अगर ऐसा रख दिया जाता है तो उनका मतलब सिद्ध नहीं होता। कोई सामूहिक आन्दोलन हो, विद्यार्थी आन्दोलन हो, मजदूरों का आन्दोलन हो तो किसी भी काम में किसी आदमी का क्या उद्देश्य था इस बात को तो मैजिस्ट्रेट भी नहीं बता सकता, वह तो सिर्फ ईश्वर ही बता सकता है। अगर कोई पार्टी बगैर टिकिट लिये सफर करने के लिये कहती है और ऐसी कोशिश करके यह कहा जाय कि यह तो पोलीटिकल मोटिव से किया जा रहा है तो फिर इसका फैसला कैसे होगा। इसको भी लोग कह सकते हैं कि हमारा राजनैतिक उद्देश्य है। इस तरह से किसी का खेत काट लिया जाय और किसी आदमी को सोते हुये मार डाला जाय तो यह कैसा राजनैतिक उद्देश्य है? आखिर इस उद्देश्य को मैजिस्ट्रेट कैसे जान सकता

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है ? इस बिना पर वह कोई फैसला नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में यह बिल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं वे भी जानते हैं कि जब कोई आदमी कोई अपराध करता है तो देखा जाता है कि उसकी शिक्षा कैसी है, आम तौर पर उसका रहन सहन कैसा है, किस तरीके से वह रहता है और उस तरीके से वह सुपीरियर क्लास में रखा जाता है और उसे हर तरीके की सुविधायें दी जाती हैं। लेकिन जिस रूप में यह बिल रखा गया है उसके बारे में हमें सोचना है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे समाज का आधार है उसके यह बिलकुल खिलाफ पड़ता है जो चाहते हैं कि हर किस्म के क्राइम करने वाले को पूरी तरह से उसको सजा दी जाय वे कभी इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिये मैं अपील करता हूं कि यह बिल किसी तरह से भी स्वीकृत नहीं होना चाहिये। संशोधन के लिये तो एक लफ्ज यहां बदला जा सकता है, एक लफ्ज वहां बदला जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल में संशोधन नहीं हो सकता। क्योंकि संशोधन होने से मूल प्रस्ताव का जो मतलब है वही खब्त हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन सर्वसम्मति से इस बिल का विरोध करेगा और इसको अस्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री झारखंडेराय का जो विधेयक प्रस्तुत है उसके उद्देश्य और कारणों पर जो सामान्य विवाद चल रहा है उस पर मैंने इसके पूर्व ही जो माननीय गृह मंत्री जी का छोटा भाषण हुआ और आज का जो भाषण हुआ उसको बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने एक अपील भी हम लोगों से की। जब से वह अपील आयी तब से भी मैं बराबर उस पर चिन्तन करता रहा कि आखिर इस पर क्या रुख लिया जाना चाहिये। यह सही बात है कि जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन को बतलाया, मैं उनकी बातों से कतई इत्तफाक करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जिस तरह का रवैया रहा है वह हिंसक रहा है और राष्ट्रीय आन्दोलन की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी का कतई कोई हाथ नहीं रहा। दुनिया की राजनीति में अगर इसका ख्याल किया जाय और देखा जाय तो इतने प्राचीन काल से अगर कोई राजनैतिक पार्टी किसी मुल्क में काम करती रही है और जिसने राष्ट्र का साथ नहीं दिया है तो उसकी एक बेजोड़ मिसाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया की मिलती है। १९२४ ई० में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में आयी। इसका बाकायदा दफ्तर भी खुला, सन् २४ से २८ तक कम्युनिस्ट पार्टी महात्मा जी को एजेंट आफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म कहती रही। और जो प्राचीन कांग्रेस थी, यहां पर श्रीमन्, मैं विभेद कर देना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस शब्द कहूं तो उससे सम्मानित सदस्य पुरानी कांग्रेस समझा करें। नयी कांग्रेस को तो मैं कांग्रेस पार्टी कहा करता हूं। यह कांग्रेस नहीं रह गयी है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—एक कांग्रेस का इतिहास है जब कि आप थे और दूसरा इतिहास है जब से कि आप गये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय गृह मंत्री जी से ही ज्यादा निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं माननीय गृह मंत्री और माननीय सम्पूर्णानन्द (मंत्री के पूर्व) भी उनके विचारों को पढ़ता रहा हूं अन्तर्राष्ट्रीय विधान की एक छोटी मोटी पोथी माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने लिखी है जिसमें हिंसा और अहिंसा की विवेचना की गयी है और दुनिया के तमाम स्वातंत्र्य संग्राम की विवेचना करते हुये एक जगह कहीं, मुझे ठीक स्मरण नहीं है एक छोटी लड़ाई जो शायद फिजी में हुई उसी में वे कुछ-कुछ अहिंसा पा सके हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने जैसा कि मैं समझ पाया हूं अहिंसा को सिद्धांत के रूप में ग्रहण नहीं किया है। अब माननीय सम्पूर्णानन्द जी अहिंसा सिद्धांत को कितनी दूर तक ग्रहण करते हैं यह सही बात है जैसा कि वह कहते हैं कि किसी का कैसा दृष्टिकोण है राजनैतिक है या कुछ और है इसको भगवान जाने, उस पर मैं जाना भी कहीं चाहता। लेकिन यह उद्देश्य और कारण जो विधेयक में रक्खे गये हैं उनके संबंध में

सरकार की ओर से पूर्णतया यह मनोवृत्ति अख्तियार की जाय कि वह आये ही नहीं और उसका विरोध किया जाय, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक किसी पार्टी को बढ़ाने का मौका मिले और वह पार्टी हिन्सा का तरीका पसन्द करती हो उसका संशोधन कर दिया जाय और उसी उद्देश्य को रखते हुए मैंने इसमें संशोधन दिया है और मैं समझता हूं कि मेरे इन संशोधनों के रखने से जो भाव माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने व्यक्त किये हैं उनकी पूर्ति हो जायगी। मैं श्रीमन् सामान्य वादविवाद पर आना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने १९३०–३२ के आन्दोलन की मुखालिफत की और तिरंगे झंडे को फाड़ा। एक तरफ जहां ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की पुलिस तिरंगे झंडे को फाड़ रही थी दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसा ही कर रही थी। आगे सन् ३६ में उनकी पालिसी बदलती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा विधेयक पर आ जायं और पार्टियों का विश्लेषण न करें।

श्री राजनारायण—गृह मंत्री ने चर्चा कर दी थी लिहाजा सदन में यह भाव न हो कि मैंने जो संशोधन पेश किये हैं उससे मैं कम्युनिस्ट पार्टी की टेक्निक (कार्यप्रणाली) का समर्थन करता हूं, इसलिये उचित समझा कि कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में मैं जो विचार रखता हूं उनको थोड़ में अर्ज कर दूं। इसलिये मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति ३६ में बदली और ३६ के बाद सब लोग जानते हैं कि ३९ में वह कांग्रेस के साथ थी और दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस में थीं, कांग्रेस सम्मिलित मोर्चा थी और कांग्रेस पार्टी तब नहीं बन पाई थी। जब द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध शुरू हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हल्ला मचाया कि यह इम्पीरियलिज्म वार है (साम्राज्यशाही युद्ध)।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके इस तरह भवन का समय न लें। माननीय गृह मंत्री ने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया तो उसका इस विधेयक से संबंध यह था कि उन्होंने हिंसा और अहिंसा में फर्क बतलाया लेकिन ऐसा नहीं किया कि उस पार्टी के इतिहास का यहां बयान शुरू कर दिया हो और न यह कहा कि किस वक्त वह कांग्रेस में रहे और किस वक्त उनका ताल्लुक नहीं रहा। अगर हिंसा और अहिंसा के विषय में आप कहना चाहें तो कहिये।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं इस अहिंसा हिंसा के बारे में यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से—श्रीमन् मैं निवेदन कर दूं माननीय मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं अगर थोड़े समय तक और बैठे रहें तो अच्छा होता।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं जरूर बैठा रहता लेकिन १२ बजे मेरे यहां एक कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टर आये हुये हैं। इसलिये चाहता हूं कि राजनारायण जी मुझे इजाजत दे दें कि मैं चला जाऊं।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन् मैं यह कहना चाहता था कि किसी भी पार्टी की वर्तमान नीति हिन्सक है या अहिन्सक उसका मापदंड पूर्णतया उसका पिछला इतिहास नहीं हो सकता। मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा, इसलिये संक्षेप में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने ३९ में तो इम्पीरियलिस्टिक वार डिक्लेयर (साम्राज्यवादी युद्ध घोषित किया) की लेकिन जब हिटलर और रूस की गोल्डन चेन आफ फ्रेन्डशिप टूट गई तो वह पीपुल्स वार (जन-युद्ध) हो गई और वह इम्पीरियलिस्टिक वार पीपुल्स वार में परिणित हो गई। यहां पर मैं हिन्सा और अहिंसा के डिफ्रेनसियेशन (अन्तर) को रखना चाहता हूं। केवल पीपुल्स का नाम लेने से ही यह समझ लेना कि हम अहिंसक है, यह गलत है। मेरा जो एनालीसिस (विश्लेषण) है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम है उन दोनों में बहुत कम फर्क रह गया है और मैं कांग्रेस पार्टी को हिंसात्मक पार्टी मानता हूं। जो सरकार यहां पर प्रतिष्ठित हो और अध्यापकों के साथ इस तरह के जुल्म किये जायं

[श्री राजनारायण]

और वह सरकार अपने को अहिंसावादी कहे और महात्मा गांधी की अहिंसा का ढोंग रचे, मैं उसका परदा फाश करना चाहता हूं। बुलन्दशहर में जो सत्याग्रह हुआ था तो क्या कोई कह सकता था कि वह हिन्सात्मक सत्याग्रह था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनैतिक उद्देश्य किसी का कोई भी हो इसमें सरकार नहीं जाना चाहती है। सरकार की यह कसौटी है कि जो कोई भी आन्दोलन होगा वह उसको हिन्सक आन्दोलन ही समझेगी। हिन्सक आन्दोलन के प्रति सरकार को जो रुख अख्तियार करना चाहिये वह सभी को ही करना चाहिये। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुरानी पार्टियों के इतिहास का विवेचन किया जाये तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने अभी तक अहिन्सा को सिद्धांत रूप से ग्रहण नहीं किया और यही कारण है कि द्वितीय संग्राम आरम्भ होने के पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस का फैसला था उस वार (युद्ध) में मदद देने का और गांधी जी कहते थे कि उस वार में मदद देने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। कांग्रेस और सोशलिस्टों में भी मतभेद था। वे दोनों उस लड़ाई के विरोध में थे मगर कांग्रेस का जो स्वरूप था वह स्वरूप दोनों से भिन्न था। इन दोनों की भिन्नता के बारे में श्री सम्पूर्णानन्द ने जेल से छूटने के बाद सन् ४५ में एक लेख (कांग्रेस साम्राज्य-शाही की ओर) निकाला, बहुत से लोगों ने कहा कि श्री सम्पूर्णानन्द को ऐसा लेख नहीं लिखना चाहिये था लेकिन जहां तक मेरा संबंध था मैं उस लेख को पढ़ कर गदगद हो गया। क्योंकि श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कांग्रेस पार्टी का जो विवेचन किया था वह बिलकुल सही था। लेकिन आज इस विधेयक के संबंध में माननीय गृह मंत्री का विवेचन हम सुनते हैं तो.....

श्री अध्यक्ष—गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का विवेचन नहीं किया।

श्री राजनारायण—अभी इस विधेयक के बारे में माननीय गृह मंत्री ने जो विवेचन किया और उसके बारे में हम लोगों से भी साथ देने की अपील की। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री के साथ विचार विनिमय करूं। इसलिये हमें वह बता दें कि आखिर हम कौन से आन्दोलन को करेंगे। प्रान्तीय प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं और जो कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं वह अर्जुन सिंह बदौरिया को अच्छी तरह से जानते होंगे। इटावा में उनका अनशन चल रहा था। अनशन के समय वह नैनी जेल, इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिये गये। २३ तारीख को उन्होंने वहां के जिला मैजिस्ट्रेट से यह कहा कि उन को छोड़ देना चाहिये जमानत पर वह इसलिये तैयार हुए थे कि २७ तारीख को वहां के डायरेक्टर कोआपरेटिव का चुनाव था। अगर अर्जुन सिंह बदौरिया छूट जाते तो कांग्रेस पार्टी जिसको चुनना चाहती थी वह हरगिज न चुना जाता। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने.....।

श्री अध्यक्ष—यह जरा असंगत सा हो रहा है।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह अहिंसक की भावना व्यक्त करेंगे तो हमारे लिये एक मुश्किल बात हो जायेगी।

कांग्रेस पार्टी का सारा कार्यक्रम और कांग्रेस सरकार का जो आज रिप्रेशन (दमन) का तरीका है वह सब एक हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार का है और अगर सरकार वह तरीके अख्तियार करती है जो एक हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार कर सकती है तो हमारे लिए यह कैसे संभव है कि हम उसमें उनके उन कार्यों में सहयोग करें। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम अहिंसक हैं। जहां तक हमारा संबंध है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बिलकुल मुक्तकंठ से कहा है बिना किसी विघ्न-बाधा के घोषणा की है कि हम पीसफुल डिमोक्रेटिक मीन्स (शांतिमय जनतांत्रिक प्रणाली) में विश्वास करते हैं और उन पीसफुल डिमोक्रेटिक मीन्स में हम सत्याग्रह को

भी रखते हैं, जनरल स्ट्राइक (आम हड़ताल) को भी रखते हैं, संघर्ष को भी रखते हैं, मगर पीस-फुल (शांति) रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं श्रीमन् अभी-अभी कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी को फोन द्वारा सूचित किया था कि आज भी सी० आई० डी० के लोग हमारे कमरे के चक्कर लगाया करते हैं (यानी बी ब्लाक के ९८ नम्बर के कमरे में मैं रहता हूं) कि कहीं कोई आदमी आता है तो कोई अध्यापक तो नहीं आता-जाता है और जब ऐसा होता है तो परेशानी हो जाती है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है, श्रीमन्, जो इसके कारण हैं उनसे मैं सहमत हूं, मैं चाहता हूं कि इन उद्देश्यों और कारणों की अच्छी तरह से विवेचना करके इस विधेयक के अन्दर जो ऐसी बातें हों, जो हिंसा में विश्वास करने वालों को प्रबल करती हों उनका संशोधन कर दिया जाय और उसके बाद यह विधेयक स्वीकार किया जाय। मैं यह मानता हूं और जब मैं इस विधेयक को स्वीकार करने की बात संशोधन के साथ कहता हूं तो इसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी की ईमानदारी में और उनकी नीति में हमें कोई अविश्वास नहीं है और मैं समझता हूं कि जैसा श्री सम्पूर्णानन्द जी जो आज माननीय गृह मंत्री के स्वरूप में इस सदन में विद्यमान हैं उनके विचारों को जब मैं पढ़ता हूं तो यह स्पष्ट दीखता है कि वह मुल्क के उत्थान की जिस तरह से गुंजाइश हो वह निकालना चाहते हैं चाहे वह प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी का सहयोग लेकर हो और चाहे कांग्रेस को छोड़कर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में दोनों में कोई अन्तर नहीं रह गया है तो वे उसको समझें। आज श्रीमन् कम्युनिस्ट पार्टी भी तो किसी प्रश्न पर यह नहीं कहती है कि वह हिंसा में विश्वास करती है, वह यह नहीं कहती कि वह जनतंत्रवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती बल्कि वह तो न्यू डिमोक्रेसी, डिमोक्रेटिक फ्रीडम और डिमोक्रेटिक मेथड शब्दों का प्रयोग करती है। श्रीमन्, ये शब्द ऐसे भ्रामक हो गये हैं कि वह भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपनी रीति-नीति को चलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके सेन्ट्रलाइजेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन और दमन और सब कुछ चलाना चाहती है और उसी के साथ-साथ कहना चाहती है कि वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखती है। श्रीमन्, मैं तो इस नतीजे पर आ गया हूं कि सही माने में अगर कोई पीसफुल है और अहिंसक है तो उसके लिये भी पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस सरकार ने दमनचक्र चलाया है, काले कानून बनाये गये हैं। मैं चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी अपनी सरकार द्वारा बनाये हुए काले कानूनों को देखें और दमनचक्रों को देखें जो चलाये गये हैं। मैं तो दिल से चाहता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी अगर वह पीसफुल हैं और उनकी सरकार पीसफुल तरीके से चलती है तो मैं उनका साथ दूं और उसी के लिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस बिल को मान लें और मेरा जो संशोधन है उसको भी वह मान लें। उनको यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि अगर वह मेरे संशोधन को मान लेंगे तो प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य गिर जायगा। गिर जाने दें प्रस्तावक के उद्देश्य को, हमारा उद्देश्य तो पूरा होगा, माननीय गृह मंत्री जी का उद्देश्य तो पूरा होगा और अगर हमारा और उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है और प्रस्तावक का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उनको छोड़ दें और हमेशा तो वे उनको छोड़े ही रहते भी हैं फिर इस वक्त क्या नई बात हो जायगी अगर वह उनको छोड़ दें। श्रीमन्, मैं एक बात बता दूं। मैं अच्छी तरीके से आज भी नहीं जानता कि माननीय झारखंडेराय जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पूर्णरूपेण से हो गये हैं या नहीं। मेरा और झारखंडेराय जी का साथ रहा है और उन्होंने बराबर कम्युनिस्ट पार्टी को एक गद्दार पार्टी कहा है।

श्री अध्यक्ष—आप फिर व्यक्तिगत जा रहे हैं। वे सदन में अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं और मुझे उनका संरक्षण करना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कहूंगा कि झारखंडेराय जी के नाम से ही वह न समझ लें कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और अगर वह होंगे

[श्री राजनारायण]

तो सदन में साफ कह देंगे कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की बाबत उनकी राय अब भी वही होगी। स्टेलिन की मृत्यु के बाद भी उनकी पार्टी की राय नहीं बदली है और अगर राय बदल भी जाय और वह हमारी इस व्यवस्था को मान लें, हमारी नीति को मान लें तो वह भी आ सकते हैं। केवल नाम को देख कर ही यह न समझ लें कि श्री झारखंडेराय कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं और इसी कारण से विरोध न करें। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को ध्यान से पढ़ लें और उससे अगर वह मेल खाते हैं तो बिल को आने दें और अपनी तरफ के सदस्यों को भी वह बाहर से प्रभावित कर सकते हैं और इस तरह से मेरे संशोधन सहित यह विधेयक पास हो सकता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि जो अभियुक्त, दंडित या नजरबन्द हों और अगर वह किसी राजनैतिक संस्था से संबंध रखते हों तो उनके साथ एक विशेष प्रकार का बरताव किया जाय। जैसा कि मंत्री जी ने कहा प्रश्न यह उठता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार के अभियोग में नजरबन्द या दंडित किया गया है, अगर वह डकैत है या खून के मामले में पकड़ा गया है, या लूट के मामले में पकड़ा गया है तो यह प्रश्न उठाना और इस प्रकार की मांग रखना कि केवल इसलिए कि वह किसी राजनैतिक संस्था से संबंधित है उसके साथ एक विशेष प्रकार का बरताव किया जाय, मेरे विचार में सर्वथा अनुचित है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा श्री झारखंडेराय से पूछूंगा कि क्या वह बतला सकते हैं कि जिस संस्था से उनका व्यक्तिगत संबंध है और उस देश में जहां से वह संस्था विशेष रूप से संबंधित है, अर्थात् सोवियट रशा में, राजबंदियों के साथ किस प्रकार का बरताव किया जाता है। क्या वहां भी राजबंदियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है? क्या उनको भी इसी प्रकार की सुविधा दी जाती है जिनकी मांगें उन्होंने यहां रखी हैं? आज हमारे यहां एक विधान है और उस विधान के अन्तर्गत एक व्यक्ति या संस्था को अधिकार है अपनी मांगें जनता के सामने रखे और अपनी बात कहे और बहुमत से जनता की राय प्रकट करके अपनी बात मनवाएं। लेकिन अगर कोई संस्था कानून को तोड़ती है या भंग करती है तो एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि उस व्यक्ति का कहां स्थान हो। अगर कोई अनुचित कार्य करने वाला आदमी किसी संस्था से संबंधित है और वह कोई राजनैतिक मांग लेकर या राजनैतिक संस्था की आड़ में नियमों को तोड़ता हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज वह बात नहीं रही जो सन् ४७ के पहले थी। सन् ४७ के पहले देश का रूप दूसरा था और देश की स्वतंत्रता के लिए जो मांगें रखी जाती थीं वह एक दूसरे रूप में रखी जाती थीं और उस कार्यसिद्धि के लिए जो बातें लोग रखते थे उनका रूप ही दूसरा होता था लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो यह कहना कि बंदियों को चाहे वह कानून के भंग करने वाले हों, चाहे वह हिंसा के रूप को सामने लायें या अहिंसा के रूप को सामने लायें, उन को सुविधा दी जाय, यह एक अनुचित मांग है। हमारे यहां कचहरियां हैं वहां भी फैसले होते हैं तो उन में जज को संकेत करने का अधिकार है कि जेल में दंडितों को किस प्रकार से रखा जाय और उनके साथ कैसा बरताव किया जाय। इसी तरह से डिटेन्यूज के लिये भी सुविधा मिलती है। लेकिन एक इस प्रकार का विधेयक रखना और उसको कानून का रूप देना कि अगर कोई व्यक्ति एक संस्था से संबंधित हो तो चाहे जो कुछ करे उसके सब खून माफ हों। डकैती करे, चोरी करे, लेकिन केवल इसलिये कि वह एक राजनैतिक संस्था से संबंधित है, उसके साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, उसके साथ विशेष प्रकार का बरताव किया जाय। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पद्मनार्थसिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में जिस मंतव्य का प्रकाशन किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि माननीय झारखंडेराय

जो क्लासलेस सोसाइटी में विश्वास करते हैं वह जेलों के अन्दर एक सुपीरियर क्लास के निर्माण करने पर क्यों इस प्रकार उद्यत हैं, जोर दे रहे हैं। माननीय झारखंडेराय देश में नागरिक जीवन में कोई भेद नहीं रखना चाहते हैं। नागरिकों में से ही लोग जेल में जाते हैं। कोई चोरी करके जाता है, कोई हत्या करके जाता है।

समाज-शास्त्र के जानने वालों के अनुसार जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे मूलभूत कारण सामाजिक दोष हुआ करते हैं। किसी न किसी सामाजिक दोष के प्रति विरोध करने में या सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में, या अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में जब आदमी लगता है तो वह विवश हो कर चोरी करता है, हत्या करता है, डाका डालता है, और तब वह जेल जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक उद्देश्य से भी जो प्रभावित होते हैं वे भी किसी उद्देश्य से प्रभावित हो कर जेलखाने जाना चाहते हैं। अन्तर केवल इतना होता है कि एक जेल में जाना चाहता है और दूसरा विवशतापूर्वक जेल में भेजा जाता है। तो जब नागरिकों में कोई भेद नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की नीति में प्रत्येक नागरिक देश में एक ही श्रेणी का है तो जेल में एक प्रकार के अपराध में और दूसरे प्रकार के अपराध में भेद उत्पन्न करने के लिए जब कहा जाता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह विधेयक एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य के प्रचार के लिए और जनता का अधिक से अधिक सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लाया गया है। मैं समझता हूं कि देश में आज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो कार्य हो रहे हैं, विशेष कर कुछ पूर्वी जिलों में, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उसके संबंध में मैं माननीय झारखंडे राय और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के सामने एक विशेष बात रख देना चाहता हूं। इन पूर्वी जिलों के कम्युनिस्टों के कार्य की विशेष चर्चा पत्रों में भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टों में, १८४८ में क्या कहा था। १८६४ में कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था। अगर इन सौ वर्षों के अन्दर कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की प्रणाली में अन्तर हुआ है, इसकी भी अवहेलना करके हमारे देश के जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं और विशेष कर आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के कम्युनिस्ट, वह टिनेंट्स में भी लड़ाई लगा कर दो वर्गों में उनको बांट देना चाहते हैं। अगर ऊंची जाति का तीन रुपये का काश्तकार है तो वह कैपिटलिस्ट क्लास का मानते हैं, मगर वह ब्राह्मण, लाला या भूमिहार है और अगर २० रु० का काश्तकार चमार है तो वह पोलीटरिएट मानते हैं। पूर्वी जिलों में यह आन्दोलन है। इस तरह के आन्दोलन से जो लोग साथ-साथ सहानुभूति से रहते थे, अपने उद्योग से सार्वजनिक जीवन का उत्थान करते थे उनमें वे शोर मचा कर, होली खेलने में अपनी पार्टी की प्रगति समझते हैं। इसलिये पूर्वी जिलों में न कि केवल उनमें ग़रीबी बढ़ रही है बल्कि रचनात्मक कार्यों में जो प्रगति होनी चाहिये उसमें बड़ा विरोध उत्पन्न हो रहा है। मैं इस संबंध में केवल एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। पिछले जनवरी के महीने में जब निर्माण सप्ताह आरंभ हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह जा करके जो तार बांधते थे, सड़कें बनाते थे, बांध बांधते थे और अन्य निर्माण के कार्य करते थे उन लोगों ने कहा कि यह तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिये काम हो रहा है और इससे देश का कोई कल्याण नहीं। यह उनकी पुरानी परिपाटी रही है। जैसे कि उन्होंने पिछले स्वतंत्रता आन्दोलन में लड़ाई को पापुलर वार कह कर के देश की आजादी की लड़ाई को रोका था उसी तरह से देश के निमाण के कार्य में भी ये बाधा डालना चाहते हैं। माननीय राजनारायण जी के उस मत से सहमत हूं कि इतने दिन से जो पार्टी काम कर रही है वह इस कदर अनपापुलर और देश के हित के प्रतिकूल काम कर रही है और देश के आदमियों और देश की सभ्यता के प्रतिकूल काम कर रही है और देश के कल्याण में जगह-जगह पर अवरोध उपस्थित करती है। मैं नहीं कहता कि कम्युनिज्म बुरी चीज है या रशिया में वह कैसा काम कर रहा है, लेकिन इस देश में और इस प्रदेश में वह जो काम कर रहे हैं वह इस वक्त निर्माण के

[श्री पद्मनाथ सिंह]

विरुद्ध काम है, जिसका अगर सही और प्रत्यक्ष रूप देखना है तो गाजीपुर, बलिया और आजम-गढ़ में देखा जा सकता है।

मैं एक दूसरी बात भी ध्यान में रखता हूं कि अगर पूर्वी जिलों में जहां के लोग बहुत ग़रीब हैं वहां भी डाके और हत्याओं की संख्या कम नहीं है और वहां पर डाकू और हत्यारे काम करते रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पार्टी के नाम पर उनको शेल्टर प्रदान करते हैं। वह लोग कम्युनिस्ट पार्टी की आड़ में, नारे में, शेल्टर ले रहे हैं और उनके साथ नारा लगाते हैं, अपनी जान बचाते हैं और उन्होंने एक उपद्रव की परिस्थिति पैदा कर दी है। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य इस परिस्थिति को समझें और मैंने उनकी पार्टी के मेम्बरों से बात की, लेकिन वह ध्यान नहीं देते और अपनी पार्टी को ठीक रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते।

माननीय गृहमंत्री जी ने अभी-अभी कहा था कि जब कांग्रेस आन्दोलन कर रही थी तो उसका उद्देश्य अहिंसा का था, उसका एक डिसिप्लिन और तरीका काम करने का था। सब से पहला काम कांग्रेस यह करती थी कि अपना त्याग और बलिदान करे, अपनी आत्मा को कांग्रेसमैन सर्च करते थे और अपने दिल को टटोलते थे, लेकिन आज इन पार्टी के सदस्यों से बात की जाती है तो वह मखौल उड़ाते हैं और अपने को सर्च करना नहीं चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के कार्यों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उनके उद्देश्य से कुछ सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो कार्यप्रणाली उनकी है वह इतनी ग़लत है, लोगों को इतना परेशान कर रही है कि कुछ क्षेत्रों में तो लोगों के जीवन को मटियामेट कर रही है, विशेषकर आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती में। उन्होंने साधारण जीवन को इस क़दर परेशान कर दिया है कि साधारण आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। तो जिन लोगों को ये शेल्टर देते हैं, जो हत्या करके या डाका डाल कर आते हैं, ऐसे लोगों को अगर जेल में सुपीरियर क्लास मिलेगा तो उस से किस सिद्धान्त और उद्देश्य का प्रतिपादन हो सकेगा और शासन कहां तक चल सकेगा। तो मैं समझता हूं कि न तो किसी सुपीरियर क्लास के क्रियेट किये जाने की जरूरत है और न नागरिकों से भिन्न कोई दूसरा नागरिक दल बनाने की जरूरत है, न जेल में और न जेल के बाहर और न ऐसे लोगों को शेल्टर देना वांछनीय है जो समाज विद्रोही और देशद्रोही हैं।

मैं इन शब्दों के साथ विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय गृह मंत्री ने जो-जो भाव प्रकट किये थे उनका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। अटामिक एज में, जब संसार में नैशनलिज्म की दीवारें बरबाद होती और टूटती हुई नजर आ रही हैं और इंटरनैशनलिज्म का दुनिया के अन्दर विकास होता हुआ वह चारों तरफ फैल रहा है, मैं समझता हूं कि बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कि अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिये क्वेश्चनेबिल मीन्स अडाप्ट करती हैं, आज उनको किसी भी प्रकार का दर्जा दिया जाना या उनकी इमदाद किया जाना वह तो मानवता के विकास के लिये एक अभिशाप सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि आज के संसार में किसी भी देश का इकोनामिक आइसोलेशन हो तो उस देश का स्थायित्व रह नहीं सकता। जब अमेरीका और दूसरे बड़े-बड़े आर्गेनाइजेशन्स इस संसार के अन्दर इकोनामिक डेवलपमेंट के लिये दुनिया के सभी कोनों को ऐडवांस करने का दावा पेश करते हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग जो अपनी कंट्री के हितों को वाइलेंट मीन्स से अचीव करना चाहते हैं, उनकी आज इमदाद करना मानवता के लिये अभि-शाप साबित होगा। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि जैसे माननीय राजनारायण जी ने इस सदन में अपनी दलीलें पेश की हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन्स और कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में बिलकुल वाइलेंट हो गयी है और उसके लिये नानवाइलेंट शब्द कहना बिलकुल ग़लत है, मान लीजिये कि वे सही दलील और तक़रीर पेश कर रहे हैं तो उन्हीं की दलील और तकरीर के मुताबिक जब वे कम्युनिस्टों पर अटैक करते हैं कि दरअसल कम्युनिस्टों ने

इस मुल्क के अन्दर वह रोल प्ले किया है जो कि इस मुल्क के लिये घातक रहा है और आज भी वे कम्युनिस्टों के रोल को घातक समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब वे इस तरह की दलील पेश करते हैं तो उनके पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वे ज़मीन के ऊपर धड़ाके के साथ गिरते हुये नज़र आते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने बहस की जड़ को ही काट दिया और इस दलील को पेश करके वे चाहते हैं कि यह सदन उनका साथ दे, मैं नहीं समझता कि किस तरह यह सदन उनका साथ दे सकता है। मैं कहता हूं कि जो वाइलेंस करने वाले बन्दी है, उनकी मदद करने के लिये जब यह विधेयक है, तो उसका अमेंडमेंट हो कैसे सकता है। जो विधेयक एक ग़लत संस्था के हितों को एडवांस करने के लिये बनाया गया है, उसका अमेंडमेंट करना ही बेसिकली रांग है। अगर विधेयक ग़लत है तो उसका अमेंडमेंट उससे ज्यादा ग़लत है। इसलिये राजनारायण जी का जो भाषण इस सदन में हुआ है वह इतना ग़लत और इतना ख़राब है कि उसका कोई स्टैंड इस सदन के अन्दर हो नहीं सकता। जिन साहबान ने इस विधेयक को पेश किया है, वे कहते हैं कि चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सरकार को उनको राजनैतिक क़ैदी या बन्दी समझ कर पूरी सुविधायें देना चाहिये। मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने कभी रूस की हूत आत्माओं की किताब पढ़ी है या नहीं। वे कम्युनिस्ट जो कहते हैं कि संसार में चारों ओर मानवता का विकास करना चाहते हैं और दुनियां की ग़रीबी को मिटाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका प्रोग्राम अच्छा है, उनका प्रिंसिपल अच्छा है, उससे हम इत्तिफाक करते हैं, परन्तु जो उन्होंने मीन्स एडाप्ट किये हैं, रूस में उन्होंने जिस क़दर इंसानियत पर जुल्म किये हैं, उन्होंने दुनिया के अन्दर जो एक त्रास पैदा किया है, उसको संसार कभी भूल नहीं सकता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आज यूं कहना कि कम्युनिस्टों के तरीके अच्छे हैं, यह मानवता के लिये शोभा नहीं देता है। इस विधेयक के लिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर इंटेलिजेंटली काम नहीं किया गया है। इसके अन्दर यह डेफिनीशन होनी चाहिये कि किस प्रकार के राजनीतिक बन्दियों के लिये प्रोटेक्शन चाहते हैं। जो विधेयक उस विधेयक के मकसद और परिभाषा को सही-सही रूप में सदन में उपस्थित नहीं करता और जो माननीय सदस्यों के विश्वास को प्राप्त नहीं करता, उस विधेयक को सुनने के लिये भी माननीय सदस्यों से अपील करना मैं समझता हूं कि समय का अपव्यय करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (ज़िला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री झारखण्डेराय जी द्वारा प्रस्तावित इस राजबन्दी विधेयक का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश और प्रदेश में राजनैतिक पार्टियों की आड़ में अपराधों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उस पर इस विधेयक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज स्वतंत्रता के बाद जब हम अपने देश में राष्ट्रनिर्माण का कार्य करने जा रहे हैं और अपने देश में अहिन्सात्मक तरीक़े से रामराज्य स्थापित करने का विचार सामने रखते हैं, उस समय इस प्रकार के विधेयक को इस भवन में पास कर के हम अपने देश और प्रदेश के अन्दर हिंसात्मक तरीक़ों द्वारा जो घृणित अपराध किये जाते हैं उन को प्रोत्साहन देना कभी भी सहन नहीं कर सकते। हम यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में कोई भीषण से भीषण अपराध करे और उसके बाद यदि वह अपने आपको किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य घोषित कर दे तो वह उन अपराधों पर पर्दा डाल सके और जनता में इस प्रकार के घृणित अपराध करने के लिये प्रोत्साहन मिले। हमारे प्रदेश में थोड़े दिन पहले रामगढ़, ज़िला नैनीताल में एक बैंक में भीषण डकैती हुई और इस प्रकार की भीषण डकैतियों के अपराधियों को यदि हम राजनैतिक बन्दी कह कर उनके साथ अच्छा बर्ताव करें तो यह हमारे लिये और मानवता के लिये कितना भयंकर हो सकता है, इस पर हमें विचार करना है। आज प्रदेश के अन्दर जहां तहां पूर्वी ज़िलों में जिस प्रकार से राजनैतिक पार्टियों की आड़ में जो डकैतियां और भीषण अपराध निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं हमें आज उन्हें रोकना है। परन्तु इस प्रकार के विधेयक को यहां पास कर के उन्हें रोकना तो दूर रहा, उनको और उलटे प्रोत्साहन देना होगा। हमने ९०० वर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है और इसके पीछे हमारा एक उज्ज्वलतम और उज्ज्वल इतिहास रहा है। हमारे देश में पूज्य बापू ने हमें एक आदर्श बताया

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

है जिसे हमने सामने रख कर सत्य और अहिंसा का प्रचार करके अपने देश के अन्दर एक समृद्धि-शाली रामराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा है। आज तो हमें जहां तक हो सके, इस प्रकार के अपराधों को यथासंभव रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। हम देखते हैं कि हमारे देश की आज बहुत सी राजनैतिक पार्टियां इन बातों पर विचार नहीं करतीं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनकी पार्टी में आते हैं किन्तु अपनी पार्टी का बल बढ़ाना चाहती हैं।

मैंने अपने जिले में और दूसरे ज़िलों में बहुत से लोगों को देखा है कि भीषण से भीषण अपराध करने वालों के सामने जब गिरफ्तार होने का और जेल जाने का प्रश्न आता है तो वे अपने आपको किसी विशेष पार्टी से संबंधित घोषित कर देते हैं और अपने अपराधों को उस पार्टी की आड़ में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। कभी भी हम अपने देश के अन्दर उन हिंसात्मक तरीक़ों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जिनके द्वारा हमारे देश की मानवता, स्वतंत्रता और सुख छीने जाने का प्रयत्न किया जा रहा हो। हां, यह ठीक है, हम यह चाहते हैं कि ऐसा अपराधी जो वास्तव में जो राजनीतिक अपराधी हैं, जिसे देश से प्रेम है, उसको जेल में किसी प्रकार का कोई अमानवीय कष्ट न दिया जाय किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे देश के अन्दर इस प्रकार के भीषण और अमानवीय अपराध करने वाले लोगों को प्रदेश की पार्टियां आश्रय दें और उनके अपराधों को छिपाने का प्रयत्न किया जाय, उन को छुड़ाने का प्रयत्न किया जाय। यह कदापि सहन नहीं किया जा सकता है और जो राष्ट्र अपने देश के अन्दर यह समझता है कि जनता को सच्चा सुख और शान्ति मिले वह कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकता।

इस विधेयक के द्वारा उन लोगों को जो भीषण से भीषण अपराध करते हैं और पार्टी की आड़ में अपने उन अपराधों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं या उन पार्टियों की शक्ति से वहां के पुलिस अधिकारी और अदालतों पर विशेष प्रकार का प्रभाव डाल कर अपने आपको राज-नैतिक बंदी घोषित करके अपने भीषण अपराधों से मुक्त हो कर पुनः अपराध करने की चेष्टा करते हैं और अपनी शक्ति और दल को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हम सदा इस चीज़ को रोकना चाहते हैं और इस बिल के द्वारा हम कदापि उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। इस लिये माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि वह उनका भाषण वास्तविकता को लिये हुये हैं और वास्तव में अपने प्रदेश में जो उनके ऊपर जनता की शान्ति और रक्षा की जिम्मेदारी है, उसको वह पूर्णतया समझते हैं और इसी बात को सामने रख कर उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है और मैं समझता हूं कि यहां इस विधेयक को यदि पास किया गया तो राजनैतिक पार्टियों की आड़ में होने वाली भीषण अपराधों की संख्या बढ़ेगी और बुरे क़िस्म के लोग जो आज भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये पार्टियों में घुस कर इन अपराधों को करना चाहते हैं, इस विधेयक के पास होने से उनकी भी संख्या बढ़ेगी और उनको बल मिलेगा और हमारे प्रदेश की शान्ति भंग होगी, और अच्छे आदमियों का शान्ति से निर्वाह होना कठिन हो जायगा, भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जायगा।

आज हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर जो लोग इस किस्म के हैं उन लोगों ने मुख्तलिफ क़िस्म की पार्टियों में घुस कर, रंग बिरंगी टोपियां लगाकर, पुलिस अधिकारियों और जिला अधि-कारियों पर उचित अनुचित दबाव डाल कर अपने अनुचित कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं और जिला अधिकारियों के सामने जब शिकायत की जाती है और उनसे कहा जाता है तो वह कहते हैं कि हम क्या करें, वह फलां पार्टी के सदस्य हैं, उससे उनका संबंध है। उसके नेता भी हमारे पास आये थे और आपकी सरकार सभी पार्टियों की अस्तित्व मानती है और सभी पार्टी के लोगों को वह मान्यता देती है। इस लिए जिला अधिकारी जो ऐसे लोगों के अनुचित कार्य हैं, उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों के बल पर, उनकी ताक़त पर जो यह उद्दंड कार्य होते चले जा रहे हैं, उनको रोकने में वे असमर्थ रहते हैं। यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो

ऐसे लोगों को इससे और भी ज्यादा बल मिलेगा कि वह यहां पर तो भीषण से भीषण अपराध करें और वहां अपने आपको राजनैतिक बन्दी घोषित करके और साल दो साल की नजरबंदी की सजा भुगत कर हमारे प्रदेश के नेता बनें, तो यह हमारे लिये बड़ी गिरावट की बात होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम रामराज्य का जो स्वप्न देख रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकार हमारे प्रदेश को बनाना चाहती है, क्या वास्तव में हम इस विधेयक को पास करके अपने इस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे? क्या वास्तव में जिस प्रकार से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, इस विधेयक को पास करके अपने राष्ट्र के निर्माण में सफल हो सकेंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि यदि हमने इस विधेयक को यहां पास किया तो हमारे देश के अन्दर एक विशेष प्रकार की अशान्ति फैल जायगी और भले आदमियों के लिये जीवन निर्वाह करना दूभर हो जायगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि भवन के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध इसलिये करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि वह माननीय झारखण्डेय राय जी द्वारा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं आया हुआ है और इसका विरोध मैं इसलिये भी करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि इसका आधा तिहाई समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने किया है।

(इस समय १२ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुये।)

बल्कि अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध इस कारण से करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह उन तमाम सिद्धांतों के विरुद्ध है जिन पर आज पचासों साल से यह भारत चलता आया है। मुझे वह दिन याद है, नेता विरोधी दल आज चाहे सिर अपना हिला लें, जब उनके दल ने और इस दल ने एक तरीक़े से ख़्वाब देखा था और एक रास्ते पर वर्षों चल करके एक लक्ष्य की प्राप्ति की थी। यह सच हो सकता है कि उन तमाम स्वप्नों को देखते समय हमने और उन्होंने इस बात को देखा था कि भारत की आजादी केवल एक सीमा की आजादी नहीं है, भारत की आजादी जहां तक मैंने समझा है, अधिष्ठाता महोदय वह भारत के इन्सान की आजादी है और उस इंसान की आजादी में बहुत सी बातें आया करती हैं जिसमें उसकी कल्चरल आजादी हो सकती है, उसकी आर्थिक आजादी हो सकती है, जहां उसके विकास के सारे साधन प्रस्तुत हो सकते हैं और इन बातों को देखते हुये हम और वह एक साथ आगे बढ़े थे और यहां यह कहना उचित होगा, मैं इस बात के लिये उन्हें दोष नहीं देता अगर वह यह शुबहा करते हों कि शायद जिस प्रकार का नक्शा हमने देखा था उसके बनाने के रास्ते पर आज मौजूदा सरकार नहीं है। यह मतभेद हो सकता है। लेकिन जहां तक इस पार्टी का संबंध है और हममें से हर व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जिस प्रकार का चित्र हमने देखा था या बनाया था उसके जाने की तरफ हम प्रति दिन और प्रतिक्षण अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इस बात को मानते हुये, इन विचारों को अपने सामने रखते हुये अब हमें देखना है बुनियादीतौर पर कि आया यह विधेयक हमें उस तरफ़ आगे ले चलने के लिये कुछ सहायक होता है या नहीं होता है। भारत ने एक कांस्टीटुएंट असेम्बली का निर्माण किया और उसका निर्माण करने के बाद सार्वभौम अधिकार उसको दिया और उस विधान परिषद् ने देश के सारे नागरिकों को यह अधिकार दिया कि जो कुछ भारत की सत्ता है वह भारत के प्रत्येक नागरिक में निहित हो और उसने यह अधिकार दिया कि भारत की जनता को यह अधिकार है कि वह जिस प्रकार की सरकार चाहे अपने निर्वाचन द्वारा उसका निर्माण करे। तो अधिष्ठाता महोदय, इस मूल सिद्धांत को सम्मुख रखते हुये मैं अब यह सोचता हूं कि किसी प्रकार का आन्दोलन करना इस देश में १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० के बाद वह किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के विरुद्ध वह आन्दोलन है।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

हमारे सामने एक खुला हुआ रास्ता है जिसके हामी हमारे नेता विरोधीदल भी हैं, वह रास्ता है जनतांत्रिक प्रणाली का जिसके अनुसार देश की जनता को अधिकार है कि वह ५ वर्ष के पश्चात् अर्थात् जब समय आये सरकार को बदल दे। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार में कोई दोष नहीं है या आगे नहीं होने वाले हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जनता जो ख्वाब देखती है अगर वह उसका ख्वाब पूरा नहीं होता तो जिसके द्वारा उसका वह ख्वाब पूरा होता हो, उसको प्रतिष्ठित कर सकती है। लेकिन आज १५ अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का आंदोलन हो चाहे हिंसात्मक या अहिंसात्मक सबको अहिंसात्मक ही कहा जाता है और यह भी सत्य है कि जो इसमें विश्वास करते हैं वे भी पूरी तौर पर इसके हामी नहीं हैं क्योंकि जितनी ईमानदारी से इसका प्रयोग पहले होता था, जो इसका स्वरूप पिछले संघर्षों में देखा गया था वह इस समय नहीं देखा जाता। जो अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे वे वैसा ही करते भी थे और जो विश्वास नहीं करते थे वे साफ तौर पर कहते थे कि हम इस तरीके में विश्वास नहीं करते हैं। जब हमारा आंदोलन चला तो जयप्रकाश नारायण जी ने साफ कह दिया कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं लेकिन आज की परिस्थिति कुछ दूसरी ही है वह यह कि जो अहिंसा में विश्वास न भी करने वाला है वह भी कहता है कि मैं जो आंदोलन करता हूं वह अहिंसात्मक आंदोलन है। जब इस देश में ऐसी स्थिति है तो फिर यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जितने भी आंदोलन होते हैं वह किसी सरकार के खिलाफ नहीं होते बल्कि वह आंदोलन देश की जनता के विरुद्ध हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का बुनियादी तौर पर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह मानता हूं कि ऐसा कोई आंदोलन करना जनतंत्र के विरुद्ध आंदोलन करना है। वह जनतंत्र के खिलाफ इसलिये है कि जिस रास्ते पर चलने के लिये जनता ने अधिकार दिया है अगर उस रास्ते को हम गलत साबित कर देते हैं यानी जो डैमोक्रेटिक वे आफ थिंकिंग का जो रास्ता है अगर वह गलत साबित हो जाता है तो देश में एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वह इस प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन को अहिंसात्मक रूप देकर हिंसात्मक और अहिंसात्मक आंदोलनों में विश्वास करने वाले लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और अन्त में जनतांत्रिक प्रणाली गलत साबित हो जायगी उसके खराब साबित होने से देश की जनता को यह विश्वास हो जायगा कि डैमोक्रेटिक वे आफ थिंकिंग से देश की बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं और नतीजा यह होगा कि वह दूसरा ही रास्ता अनुसरण करने लगेगी। वह रास्ता क्या होगा? वह टोटेलीटोरियन, अराजकता, डिक्टेटरशिप अथवा एक ही पार्टी की हुकूमत का रास्ता होगा या जनता के कुछ लोगों का एक गिरोह बन जायगा जो हुकूमत को अपने अधिकार में रखेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां विदेशी देशों पर छींटाकशी करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मुझे मजबूरन यह कहना पड़ता है कि जिस देश की जनता के सबसे ज्यादा अधिकार समझे जाते हैं, हर एक आदमी को उसके पूरे अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां की जनता को अपने बारे में कुछ भी सोचने का अधिकार है? क्या उनको कोई सरकार बदलने का अधिकार है? वहां की जनता को सत्याग्रह करने या और किसी आग्रह के करने का अधिकार है? यह कैसे हुआ? अगर इसके इतिहास पर हम गौर करें, अगर इसके इतिहास पर हम विचार करें तो मेरे विचार में अधिष्ठाता महोदय यह मालूम होता है कि जनता में वह मनोवृति पैदा की गयी कि प्रजातंत्र के रास्ते में अविश्वास पैदा हो। प्रजातंत्र के रास्ते में अविश्वास एक दिन में या एक घटना से नहीं हुआ करता है। प्रजातंत्र में अविश्वास अनेक घटनाओं और अनेक दिनों से होता है और जहां तक मैंने समझा है यह एक खतरनाक बात इस देश में हो रही है। अधिष्ठाता महोदय, आज देश के नागरिकों के अन्दर जिक्र है देश के मालिकों

के अन्दर जिक्र है कि इस प्रकार का विश्वास पैदा करने का प्रयत्न हो रहा है कि प्रजातंत्रात्मक ढंग से देश की बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं लिहाजा कानून शिकनी करके देश की बुराइयां दूर करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, यहां पर हमारे साथी शायद यह कहें जब कि वे खड़े हों कि आखिर इसी रास्ते को तो उस पार्टी ने भी जिसकी कि आज हुकूमत है, अख्तियार किया था ? मैं कहता हूं कि किया था जब कि एक विदेशी हुकूमत थी, जब कि अंग्रेज थे और जिनका इन चीजों में विश्वास नहीं रहा कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से अनडेमोक्रेटिक इंसान का मुकाबिला किया जा सकता है। इंगलैन्ड में अंग्रेज डेमोक्रेटिक थे लेकिन हिन्दोस्तान में वे अन्डेमोक्रेटिक थे और हिन्दोस्तान को उन इंसानों से मुकाबिला करना था जो प्रजातंत्र को कुचले हुये थे। इसलिये हमारा अधिकार था कि हम इस तरह की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ें और जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं कि आजादी पाने के लिये हमें उनसे मुकाबिला करना था। तो देश की उस जनता से जो जनता कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली को मानती है यह भी कहना कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं रखता, अगर कोई सज्जन यह कहें कि यह सरकार प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं कर रही है। मैं मान लूं थोड़ी देर के लिये कि मौजूदा सरकार डेमोक्रेटिक ढंग में विश्वास नहीं करती है तो मौजूदा सरकार हो या कोई भी सरकार हो अगर जनता डेमोक्रेटिक ढंग में विश्वास करती है तो वह अगले निर्वाचन में ठहर नहीं सकती है। इसलिये मैं बड़े अदब से और जोर देकर कहूंगा कि जो मुकाबिला पिछले दिनों में हुआ है वह एक विशेष परिस्थिति में हुआ है और जो मुकाबिला हुआ है वह इस उद्देश्य से हुआ है कि प्रजातंत्र के लक्ष्य को हम मान चुके हैं, प्रजातंत्र के उद्देश्य को हम मान चुके हैं, प्रजातंत्र के रास्ते को हम सही रास्ता मान चुके हैं। जो पार्टी इस समय शासन कर रही है अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो मालूम होगा कि वह सहयोग के ढंग से काम कर रही है और उसे प्रजातंत्र के ढंग में विश्वास है। उस पार्टी को इस ढंग से किसी प्रकार का भय व डर नहीं है। अगर उसे किसी प्रकार का डर व भय रहता तो जाहिर है कि इस देश की या संसार की कोई भी शक्ति उनको अपने मन मुताबिक फैसला करने से नहीं रोक सकती थी क्योंकि यह जो संविधान बनाया हुआ है वह उसी पार्टी के द्वारा बनाया गया है जो कि आज इस देश का शासन संचालन कर रही है। तो मैं आपके द्वारा इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों को लेकर अगर इस बात की पुष्टि की जाय कि शासन के विरुद्ध किसी भी तरीके का आन्दोलन किया जा सकता है तो प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में यह एक खतरनाक रास्ता होगा। यह संभव हो सकता है कि हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं उन्हें भी इस प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबिला करना पड़े महीने दो महीने बाद ऐसी परिस्थिति और प्रांतों में भी बदल सकती है जिससे उन्हें भी इस खतरनाक रास्ते का मुकाबिला करना पड़ सकता है जहां तक माननीय झारखंडे राय जी का संबंध है मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमारे रास्ते पर कभी विश्वास नहीं किया लेकिन अगर पिछला इतिहास उठा कर देखा जाय तो पिछले २५, २० बरस से उनका रास्ता हमेशा गलत साबित हुआ है और हमारा रास्ता हर समय सही साबित हुआ। अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने सन् ३०,३२,३९,४० और ४२ में हमारे रास्ते से मुकाबला किया और हर समय पर हमारा रास्ता कामयाब रहा। उनकी धारणा यह थी कि इस रास्ते से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी।

श्री राजनारायण—किस रास्ते से ?

श्री रामनरेश शुक्ल—जो रास्ता हमारा और आपका था।

श्री राजनारायण—उनका भी तो वही था।

श्री रामनरेश शुक्ल--उनका नहीं था ।

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रक्खें । एक दूसरे से इस तरह से बातचीत करने की कोशिश न करें ।

श्री रामनरेश शुक्ल--अब वह समय आया है जब पिछली बातों के देखने के बाद इस नये युग के परिवर्तन में हम अपने विचारों में परिवर्तन करें। जहां तक राजनैतिक बंदियों के लिये उनकी मांग का संबंध है मैंने उस उद्देश्य को पढ़ा है। उसमें यह है "मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिये वह इस विधेयक को लायें।" मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूं कि माननीय गृह मंत्री के हाथ ही में जेल का भी काम है और जहां तक मैंने उनके जेल विभाग के किये सुधारों को पढ़ा है उनका प्रयत्न और इस सरकार का प्रयत्न है राजनैतिक बंदियों को कौन कहे, साधारण कैदियों के लिये भी मानसिक, शारीरिक और नैतिक उन्नति का लक्ष्य इस सरकार का रहा है और जेलों में जो कार्य-वाहियां आज हो रही हैं यानी कैदियों को बाहर बंधियों पर ले जाकर काम करवाना उन पर कोई पहरा न रखना, उनको घर जाने के लिये छुट्टी देना, यह नैतिक उत्थान नहीं है तो क्या है? शारीरिक उत्थान के लिये उनके खेलने का इंतजाम करना, ड्रामा खेलना चाहें तो उसके लिये इंतजाम करना और किताबें पढ़ना चाहें तो किताबें देना, इन सब बातों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि यह हुकूमत और इस हुकूमत की जो पार्टी है वह उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील है? हां, जहां तक इस विधेयक का संबंध है तो वह तो एक फिर्केवाराना बात करते हैं। जिस हुकूमत का इतना ऊंचा लक्ष्य हो कि समाज में जो शख्स गिरा हो, चोरी करता हो, कत्ल करता हो, डकैती डालता हो उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिये वह प्रयत्नशील हो वहां इस तरह का विधेयक लाकर यह बात सिद्ध होती है कि वह केवल फिर्केवाराना बात करने के लिये खड़े हुये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि जेलों की कार्यवाहियों में जो सुधार हुये हैं, जो जेलों के निरीक्षक हैं वे स्वयं उसे जानते हैं और इस संबंध में उनसे पूछा जा सकता है। मैं तो अधिष्ठाता महोदय आप के द्वारा विरोधी दल को निमंत्रण देना चाहता हूं कि विरोधी दल के जो भाई अगर कोई और विचार रखते हैं और वह जेलों के निरीक्षक हों, वह जाकर देखने, समझने और अध्ययन करने का प्रयत्न करें। क्या इस सरकार का यह मन्शा नहीं है कि जो निम्नस्तर के कैदी हैं उनका मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान किया जाये। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उससे यह बात सिद्ध हो जाती है। जब मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान जेलों के अन्दर हो तब यह विधेयक क्यों आया है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब यह बात पूरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपके द्वारा बताया है, तब यह विधेयक क्यों आया। तब यह विधेयक इसलिये आया, जहां तक मैंने समझा है, इसलिये उसको कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मेरे कुछ मित्र और साथी इस देश की जनता को समझाने में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। वे अपने में कुछ कमी पा रहे हैं। इस देश की जनता को अपने पक्ष में ले जाने के लिये वह नहीं समझ पा रहे हैं। कि उनका यह रास्ता इस सरकार को बदलने के लिये सब से अच्छा है। मैं तो, अधिष्ठाता महोदय इन मजबूरियों और परेशानियों को एक प्रलोभन समझता हूं जहां तक इस पार्टी का जो कि शासन को चला रही है, ताल्लुक है वह कोई भी कानूनशिकनी नहीं कर सकते हैं। और न ही जरूरत है क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे काम चल रहा है। इसलिये प्रलोभन की जरूरत कार्यकर्ताओं को पड़ी। एक बात मुझे याद पड़ती है। जैसा कि खोंचे की दुकान लगती है और खोंचे वाले लाल मिर्च लगाते हैं। लाल मिर्च कोई अच्छी चीज नहीं है और कोई भी नहीं खाता है लेकिन वह इसलिये लगाते हैं कि लोगों की एटेन्शन उधर झुक जाये। इस प्रकार से यह विधेयक लाल मिर्चों के तरीके से आया है।

श्री राजनारायण—आपकी आंखों में तो नहीं लग रही हैं ?

श्री रामनरेश शुक्ल—न मेरी आंख में लाली है और न मेरे सिर पर लाली है तो मेरी आंखों में क्यों लगेंगी। तो इस विधेयक की केवल यही मन्शा हो सकती है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय अगर इसको सिद्धांत की कसौटी पर कसा जाये, अगर इसको न्याय की कसौटी पर कसा जाये तो किसी भी स्वतंत्र देश में, किसी भी ऐसे देश में जो कि प्रजातंत्र की प्रणाली पर विश्वास रखती हो, किसी भी ऐसे देश में जिसमें वही हुकूमत हो जो कि प्रजातंत्र की प्रणाली के आधीन होती है इस प्रकार की मांग करना अनुचित ही नहीं बल्कि अहितकर है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा और जोरदार शब्दों में करूंगा कि इसको वापिस ले लें और वापिस ले करके उन रास्तों को अख्तियार करें जिन रास्तों से देश का निर्माण हो सकता है। देश का निर्माण रचनात्मक कार्यों से होता है, देश का निर्माण रचनात्मक सुझाव देने से होता है। इसलिये इस रचनात्मक प्रणाली में इस देश की जनता के अन्दर जाकर काम करें। उनको प्रजातंत्र के रास्तों को समझायें। यदि कोई मतभेद भी हो तो उस मतभेद को दूर करें, हालांकि पाकिस्तान से भारत का मुकाबिला करने में हम अपनी तौहीन समझते हैं लेकिन मुकाबिले के लिये कहा जा सकता है कि यदि गौर से देखा जाय तो जितने भी डेमोक्रेटिक वेज हैं वह सब इस देश ने इतनी जल्दी अपना लिये हैं कि इतनी जल्दी किसी ने उनको लागू नहीं किया है। पाकिस्तान में आज भी कोई संविधान नहीं है और कोई कानून नहीं है। और वहां आज भी जनता के अधिकारों का अपहरण होता है। (एक आवाज—बर्मा भी पड़ौस में है।) मैं बर्मा के बारे में नहीं कहूंगा आप ही कहें तो अच्छा है। मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मेरे दोस्त ने बर्मा की बात कही। मेरे दोस्त को....

अधिष्ठाता—आप बर्मा न जाइये बल्कि बिल के नजदीक ही रहने की कोशिश कीजिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—बर्मा में भी जेलें हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जितनी स्वतंत्रता इस देश में है और जिस तरह से हमारे यहां की जेलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उतनी स्वतंत्रता बाहर के संसार के किसी देश में नहीं है। मैंने आरम्भ ही में कहा था कि फौरन ही स्वतंत्रता आने के बाद कोई भी देश अपने यहां प्रजातंत्र प्रणाली को इतनी जल्दी लागू नहीं कर सका और मैं अधिष्ठाता महोदय कभी-कभी सोचता हूं और जब मैं गौर से सोचता हूं और जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग होते हुये देखता हूं अपनी आंखों के सामने और उसका कारण सोचता हूं तो मैं यह सोचने पर मजबूर होता हूं कि हमें शायद यह स्वतंत्रता जल्दी दी गई है। हमारा इतिहास अभी कहता था कि थोड़ा समय और लगना चाहिये था और अभी दस पांच वर्ष और यह अधिकार न दिये गये होते और बाद में यह रास्ता अपनाया गया होता जब देश की सारी समस्याओं को हल कर लिया गया होता। परन्तु हम अपने देश के नेताओं के आभारी हैं कि जो जानते थे कि अभी देश प्रजातंत्र के लिये तैयार नहीं है और तूफान उठ सकते हैं और उन्होंने यह समझते हुये भी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है लेकिन फिर भी उन्होंने इस ढंग को देश में लागू किया और अधिष्ठाता महोदय यह भी संतोष का विषय है कि उन को आज भलीभांति सफलता भी मिल रही है बावजूद तमाम बाधाओं के और कठिनाइयों के कांग्रेस हुकूमतें सारे देश में बनती जा रही हैं और मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह की विशेष सुविधायें मांगकर वह पार्टियां अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रही हैं और मैं समझता हूं कि यह तो एक तरह से प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास न करना है और उससे घबराना है और उसकी जगह और किसी चीज की इच्छा रखना है। इसलिये मैं इस विधेयक को उचित नहीं समझता और मैं, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, उसका समर्थन करता हूं और इसका विरोध करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथी झारखंडे राय जी को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को सदन में पेश करके माननीय सदस्यों को यह अवसर प्रदान किया कि पिछला जो राजनैतिक आंदोलन था इस देश का और आज के राजनैतिक आंदोलन पर विचार विनिमय करते हुये इस विधेयक के संबंध में कोई विचारधारा स्थिर की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय गृह मंत्री तथा और कांग्रेसी माननीय सदस्यों के भाषण सुने और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुरानी कांग्रेस द्वारा जितने भी आंदोलन चलाये गये थे वह अंग्रेजी राज्य के खिलाफ थे और वह सभी आंदोलन उस समय के अंग्रेजी शासन द्वारा, मैं समझता हूं, बनाये गये सभी नियमों का करीब-करीब उल्लंघन करना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी आंखों देखा है और स्वयं उस पर कुछ दिन चलने की कोशिश भी की है। हमने यह देखा है कि आज भी सरकार द्वारा दफा १४४ लगा करके सभाओं, जलसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकार भी समझती है कि उचित है। लेकिन दफा १४४ तोड़ने वाले जो भी दल हैं उसको राजनीतिक नहीं कहा जा सकता, आज यह सरकार की मंशा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस का जो आंदोलन था, जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य से कांग्रेस का आंदोलन था, कांग्रेस के शासन से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी है तब तो मैं समझता हूं कि अगर कोई हठवादिता से आंदोलन चलाता है तो अवश्य गैरकानूनी होना चाहिये और उस आंदोलन में सजा पाये हुये लोगों को राजबन्दी करार नहीं देना चाहिये। लेकिन मेरा जहां तक खयाल है और हमारे इस सुझाव से अधिकतर माननीय सदस्य सहानुभूति रखेंगे और माननीय गृह मंत्री भी हमारे सुझाव से सहानुभूति रखेंगे कि हमारा जो उद्देश्य था इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता लाने की। उस उद्देश्य की पूर्ति कांग्रेस के शासन द्वारा अब तक नहीं हुई और मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला अगर कोई भी दल इस देश में ऐसा हो जो प्रजातान्त्रिक रास्ते पर, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता हो, तो मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो भी दल, जो भी मनुष्य, जो भी संस्था आगे बढ़ती है, उस आंदोलनकारी या उस संस्था को गैर-कानूनी और अप्रजातान्त्रिक कहना मैं समझता हूं कि उनके प्रति अपराध एवं अन्याय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में आवश्यकता इस चीज की है और महात्मा गांधी का जब हम जीवनचरित्र देखते हैं, उन्होंने जब जब इस देश में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उन आंदोलनों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कई मर्तबा कहा है कि देश में घर में और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सत्याग्रह करने का अधिकार होता है। उसी आधार पर मैं कहने के लिये तैयार हूं कि यह घर और देश को मजबूत बनाने वाला सत्याग्रह और आंदोलन होगा। प्रजातंत्र में इसका स्थान रहना चाहिये। यदि नहीं रहेगा तो देश में विध्वंसात्मक शक्तियों का उदय होगा। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय अपने मित्र और साथी माननीय झारखंडे राय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और वापस इस माने में ले लें कि जितनी स्वतंत्रता हमारे यहां है क्या वह कह सकते हैं कि जो देश ऐसे हैं जिनके रास्ते में वह विश्वास करते हैं या जिस राष्ट्र की तरह से वह इस देश को ले जाना चाहते हैं क्या उस राष्ट्र में इतनी स्वतंत्रता है जितनी इस देश में है। अगर उतनी ही स्वतंत्रता ज्यादा नहीं, इस देश में है इसको कहने के लिये माननीय झारखंडे राय जी सदन में तैयार हो जायं तो मैं एक मिनट के लिये मजबूर

हो जाऊंगा इस बिल का समर्थन करने के लिये। उनके सिवा शायद एक भी आदमी इस सदन में विश्वास करने के लिये तैयार नहीं होगा कि किसी भी देश में जो उनकी प्रणाली पर शासन कर रहे हैं जितनी स्वतंत्रता इस देश के इस राज्य में है उससे ५० फीसदी भी स्वतंत्रता और देशों में है जो उनके रास्ते पर चलते हैं अगर यह मालूम हो जाय तो शायद इस विधेयक का समर्थन हो सकता है। जहां तक हमने पढ़ा और समझा है जबान खोलना तो गुनाह हो सकता है किसी भी देश में लेकिन जबान बन्द करके सोचते रहने पर भी उसको पता नहीं है कि वह दुनिया के किस कोने में पहुंच जायगा जहां इतनी भी स्वतंत्रता न हो और जो हमारे यहां के जेलों से जहां के जेलों की दशा हजारों गुना नर्कमय है और जहां जिन्दा रहने का अधिकार व्यक्तियों को न हो क्या उन देशों का समर्थन करने वाले कह सकते हैं कि इस विधेयक का समर्थन करने के लिये एक मिनट भी सोचा जा सकता है। अगर वह इस बात को कह सकते हों कि संसार का कोई भी स्वतंत्र प्रतिनिधि जाकर वहां देख सकता है वहां की जेलों को देख सकता है अगर वह इसका आश्वासन दे सकते हों तो मैं समझता हूं कि किसी भी विचार के लिये चाहे जैसा भी खतरनाक विचार उनका क्यों न हो जेलों में सुविधा देनी चाहिये, और मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा कि मैं फिर से विधेयक पर विचार करूं। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के अध्ययन ने, तजुर्बे ने यह बता दिया है कि दूसरे देशों के मुकाबिले में इस देश की शासन प्रणाली और यहां की जेलें बहुत उत्तम हैं। एक स्वर से संसार ने कहा है कि बावजूद इसके कि भारत को अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है लेकिन इतनी शीघ्रता के साथ प्रजातांत्रिक प्रणाली किसी भी देश में लागू नहीं हुई। इतनी जल्दी कहीं भी विकेन्द्रीयकरण सत्ता का नहीं हुआ और उपाध्यक्ष महोदय, सबूत के लिये दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान यहां पर आपके बाईं तरफ मौजूद है। और मैं समझता हूं कि हर एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को मानने वाली सरकार के लिये यह आवश्यक है कि यदि सत्याग्रह देश को मजबूत करने के लिये देश में कोई संस्था करती है तो सरकार को उस आंदोलन के प्रति सद्भावना प्रगट करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये भी तैयार हूं कि अगर देश पर कोई विपत्ति आती है या बाहर से हमला होता है उस वक्त यदि कोई भी दल, जो राजनीतिक दल हो वह यदि सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है या कोई भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है तो उस आंदोलन को मैं राष्ट्रद्रोही के शब्दों में कहने के लिये तैयार हो सकता हूं। लेकिन जहां तक देश को मजबूत करने का सवाल है, जहां तक देश में जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने का सवाल है, अगर आर्थिक और राजनीतिक विषमता को दूर करने के लिए और राजनीतिक स्वतंत्रता को दिलाने के लिये कोई संस्था प्रयत्न करती है और कोई संस्था इस प्रकार की है जो आंदोलन चला करके सरकार को भी मजबूत करती है और उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिये आंदोलन करती है तो इस प्रकार की सभी राजनीतिक पार्टियां और दल जो भी उन कानूनों को तोड़ती हैं उन सभी आदमियों को राजबन्दी करार देना मैं समझता हूं कोई अवहेलना नहीं होगी माननीय गृह मंत्री के पुराने वचनों की और कांग्रेस के पुराने उपदेशों और प्रस्तावों की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के आंदोलन में हम सभी लोगों ने कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही होने के नाते जेलखाने में बार-बार उपवास और अनशन किया कि हम कांग्रेस के स्वयंसेवकों को राजनीतिक बन्दी करार दिया जाना चाहिये। और उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय राम नरेश शुक्ल जी, जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कहा कि आज तो जेल में सामाजिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिये रुकावट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ४, ५ दिन पहले आजमगढ़ जेल में मुझे जाने का मौका मिला था। हमने देखा कि सरकार तो जरूर प्रजातंत्र को मानती है लेकिन प्रजातंत्र के रास्ते को नहीं मानती है। जिलों में जो सरकार की ओर से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं वह स्वयं सरकार द्वारा बने हुये कानूनों की अवहेलना करते हैं।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में इसकी शिकायत भी की थी कि यदि आज कोई राजनीतिक दल या कोई आदमी खेतो को कटवाता है तो उसको राजनीतिक कैसे माना जायगा। बात सही है। राजनीतिक उसे नहीं मानना चाहिये, जो आदमी कानून के रहते हुये कानून की शरण न लेकर के गैरकानूनी ढंग से खेतों को कटवाता है लेकिन सरकारी कानून गृह मंत्री के लिये भी होना चाहिये और यदि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उस कानून की अवहेलना करते हैं तो सरकार का फर्ज होता है कि प्रजातंत्र के रास्ते पर, कानून के रास्ते पर, उस अधिकारी और कर्मचारी को रोकें, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोजाना देखता हूं कि आज सदन में और बाहर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार की ओर से बहुत शोर मचाया जाता है कि हम तो प्रजातंत्र को मानने वाले हैं और इसके खिलाफ जो भी आंदोलन होगा वह अप्रजातांत्रिक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू साहब ने कहा कि स्वराज्य हो जाने के बाद कानूनों को तोड़ना तो प्रजातंत्र के खिलाफ है। क्या वे बता सकते हैं कि प्रजातंत्र पर होने वाले हमले जो सरकार द्वारा होते हैं उसकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं काटजू साहब से पूछना चाहता हूं कि तब इसके माने यह हुये कि सरकार जो भी कानून बनाये, सरकार के अधिकारी कानूनों की पाबंदी या अवहेलना जिस प्रकार हो करें। लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज कसना मैं समझता हूं कि काटजू साहब के शब्दों में प्रजातांत्रिक नहीं होगा। जिस देश में जिस सरकार में जनता की राय की उपेक्षा की जाती है, जनता की ओर से अपनी मांगों के संबंध में जो प्रदर्शन किये जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार वह कौन सा रास्ता होगा इस देश में या किसी देश में जो कानून को ठीक तरह से मनवाने के लिये अख्तियार किया जाय। सरकार और सरकारी अधिकारियों के गलत कामों का विरोध करने के लिये आवश्यकता यह होती है कि प्रदर्शन किया जाय या सत्याग्रह किया जाय जिसे हमारे देश में दुनिया के सब से बड़े मसीहा महात्मा गांधी ने दिया है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी द्वारा बताया हुआ जो रास्ता सत्याग्रह का है, उसके ऊपर चल करके, अहिंसा के तरीके पर चल करके, जो भी राजनीतिक दल या जो भी आदमी सरकार के कानूनों की मुखालिफत करता है, वह राजनीतिक बन्दी करार दिया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी झारखंडेराय जी की ओर से यह संकल्प उपस्थित किया गया है। चूंकि झारखंडे राय जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं इसलिये जो भी प्रस्ताव या संकल्प उनकी ओर से उपस्थित किया जायगा वह देश में विद्रोह पैदा करने वाला होगा, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हर एक विचारशील आदमी, जिसका दिमाग स्वतंत्र होगा और किसी बंधन में बंधा नहीं होगा, इस प्रस्ताव की अहमियत पर विचार करेगा। हो सकता है कि झारखंडे राय जी जिस पार्टी से संबंधित हैं वह पार्टी उस जनतंत्रवादी प्रणाली को मानने वाली न हो जिसकी दुहाई आज तक माननीय गृह मंत्री जी देते रहे हैं और आज भी देते हैं। यदि इस देश में ऐसा कोई दल है जो जनतंत्रवादी प्रणाली को मानते हुये देश में ऐसा राज्य, जिसमें आर्थिक विषमता मिटाई जा सके, चलाने वाला हो, जनता की तकलीफों को सरकार के सामने सत्याग्रह करके पहुंचाने वाला हो, तो मैं समझता हूं कि उस दल के हर एक आदमी को राजनैतिक बन्दी करार देना मानवता के लिये और देश के लिये कल्याण की बात होगी।

माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहा कि इस प्रदेश में प्रजातांत्रिक प्रणाली है और जातंत्र प्रणाली के विरुद्ध जो भी आंदोलन होगा, वह फिरकावाराना कहा जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ता हूं कि आखिरकार जनता की मांग को कैसे सरकार के सामने उपस्थित किया जा सकता है। जब मजदूर अपनी मजबूरी के लिये आंदोलन करते हैं, किसान अपने खेतों के लिये आंदोलन करते हैं, अध्यापक अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिये आंदोलन करते हैं, तो वे उसी रास्ते पर करते हैं जिस रास्ते पर माननीय गृह मंत्री जी स्वयं चल चुके हैं, उसी रास्ते पर चल करके आज यह सरकार में विद्यमान है, उसी रास्ते पर चल करके हमारे देश का दुनिया में नाम है, मैं समझता हूं कि उस आंदोलन के प्रति यह बहुत खराब विचारधारा है जिसके जरिये हमने देश की आजादी ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय साथी नेता विरोधी दल राजनारायण सिंह जी ने एक संशोधन रखते हुये माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन किया है कि यह एक इस प्रांत के लिये बहुत लाभकारी होगा और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हर वह आदमी जो देश में स्फूर्ति लाना चाहता है, जो देश में सड़ान नहीं चाहता है और चाहता है कि यहां प्रजातंत्र का असली मानी में उत्थान हो और हरेक आदमी को नागरिक के अधिकार मिलें और नागरिकता पर आघात होने के खिलाफ चाहे किसी भी पार्टी के लोग आंदोलन करते हों उन सब के लिये एक ही रास्ता हो सकता है कि जो लोग इस तरह के अन्दोलनों को चलाते हैं उन सबको राजबंदी का स्थान दिया जाय। जलखानों की बात कही गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जेलखानों में अभी वह जीवन नहीं आया है जो आना चाहिये था मैं समझता हूं कि हममें से बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे होंगे जिन्ह उनक ऊपर सन् ४२ में १०९, ३९५, ३७९ और ४३६ दफायें लगाकर जेलखाने भेजा गया था और अंग्रेजों द्वारा राजबंदी का सा व्यवहार किया जाता था, और इन सैक्शनों के कैदी राजनैतिक बंदी माने जाते थे जो कि देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होते थे। लेकिन आज तो उलटी ही रीति है। आज माननीय गृह मंत्री जी के और सरकार के वे सब वादे खत्म हो जाते हैं जो उन्होंने आजादी मिलने के पहले किये थे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करना चहता हूं कि शब्दावली में कुछ हेर फेर करने के बाद जो माननीय झारखंडराय जी का ऐक्ट है उसे स्वीकार करें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, जब राजबंदियों का प्रश्न हमारे सामने आता है तो सहसा हमें यह बात ध्यान में लानी पड़ती ह कि आखिर कार जेलखानों का कैसा प्रबंध है। कई बार इसी सदन में हम लोगों न यह चर्चा की है कि आजकल के अपने सूबे के जेलखानों में पुराने जमाने के जेलखानों के मुकाबले में जमीन आसमान का अन्तर है। यहां तक कि मार्डन जेल भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें शक नहीं कि जिस प्रकार के राजबंदी पहले हममें से बहुत से भाई थे अगर आज भी वैसे ही राजबंदी दिखाई पड़त तो कोई वजह नहीं थी कि उनक साथ भी वैसा ही व्यवहार न किया जाता जिसकी मांग हम पहल किया करते थे। आज सौभाग्य से हमारा देश स्वतंत्र है। मेरे मित्र कहते हैं कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के वास्ते जो कोई दल आवाज उठाता ह, अगर उसके रास्ते में कहीं रोड़ा पड़े और जो रोकथाम करे, उसका अगर विरोध किया जाय और उसके लिये अगर सजा हो और उसे भुगतने के सिलसिले में जेल जाना पड़े तो वह राजनैतिक बन्दी करार किये जावें। इसमें दो मत नहीं हो सकते। मेरे से पूर्ववक्ता हमें बतावें कि ऐसे लोगों को हम राजनैतिक बंदी कैसे करार दे सकते हैं। मेरे जिले में डुमरियागंज तहसील म दो कांग्रेसी जमींदार थे जो बहुत एनलाइटन्ड थे। उन्ह बहुत बुर तरीक से पीटा गया और यहां तक कि कत्ल कर दिया गया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

इसके एक नेता श्री राम मुहम्मद सिंह थे। वह अपने आप को फारवर्ड ब्लाकिस्ट कहा करते थे। उन के साथ जितने भी लोग पकड़े गये थे वह जेलखाने से जब बेड़ी हथकड़ियों में आते थे तो वह वही नारे लगाते थे जिससे मालूम हो कि वह राजनैतिक आंदोलन के नारे हैं। लेकिन असल वाक़या यह था कि उन लोगों के ऊपर ३०२ में मुक़दमा चल रहा था। उन्होंने जेलखाने में जाकर अपनी बचत के वास्ते एक संगठन कायम किया और अपने आपको राजनैतिक बंदी क़रार दिलाना चाहा। ऐसे बहुत से वाकआत हमारे जिले में हुये हैं। एक किसान का खेत है या एक जमींदार का खेत है या एक खेतिहर का खेत है और १०,५ आदमियों ने इकट्ठा होकर संगठन करना शुरू किया। उनमें आपस में कहीं अदालती झगड़े भी थे। कुछ लोग मिल गये और उन्होंने कहा कि अगर हम अपना संगठन कर लें और लाल पताका के नीचे कुछ लोगों को जमा कर लें तो हमको हर प्रकार की सुविधा होगी अगर जेलखाने भी गये तो वहां भी तरह तरह की सुविधायें होंगी और फिर हम मौज करेंगे। इस प्रकार के लोगों को राजनैतिक बंदी क़रार देना तो मैं पसन्द नहीं करूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---आपका क्या प्रकार होगा?

श्री रामकुमार शास्त्री---मेरा प्रकार यह होगा कि अगर कोई राजनैतिक संस्था है और वह अहिंसात्मक ढंग से अपने स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा करना चाहती है तो उसके लिये तो ठीक है लेकिन अगर कुछ लोग दूसरे के अधिकारों को हनन करके अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरे के अधिकारों को ख़त्म करके, लोगों को क़त्ल करवा कर, मार-पीट कराकर अपने आपको राजनैतिक बंदी करार दिलाना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग राजनैतिक बंदी क़रार दिये जायं।

मेरे मित्र श्री रामसुन्दर पांन्डेय ने जिसका जिक्र किया है और यह शिकायतें आयी हैं कि आज कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर लोगों का चलना फिरना बन्द कर दिया है तो इस तरह से तो यह राजनैतिक बन्दी करार नहीं दिये जा सकते हैं। यह सरकार इसको कभी मंजूर नहीं कर सकती है कि वह राजनैतिक बंदी करार दिये जायं। जिस प्रकार से रामसुन्दर पांडेय ने जेलखाने में अपनी जिन्दगी गुजारी है और बहुत सम्भव है कि उनके बहुत से साथी हमारे साथ भी रहे हों तो हम उनको तो राजनैतिक बन्दी क़रार दे सकते हैं। लेकिन आज सौभाग्य से जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और नाना प्रकार की सुविधायें मौजूद हैं तो फिर एक गिरोह बनाया जाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और इससे देश का कल्याण भी नहीं होगा बल्कि हमारा रास्ता रुकेगा। अगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं तो मुझे माफ किया जाय कि डकैतों, मरडरर्स और प्लंडरर्स का गिरोह बनाकर उनको राजनैतिक बन्दी क़रार देने से तो हमारी भलाई नहीं हो सकती है। बहुत संभव है मेरी राय से यह सरकार इत्तिफाक़ करे और माननीय गृह मंत्री जी भी करें कि एक किसान या एक खेतिहर के खेत को अगर कायदे के अनुसार नहीं दिलाया गया और कहा गया कि इसका दूसरा हक़दार है तो कुछ ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है लेकिन ग़लत तरीके से हम तुमको दिलाना चाहते हैं और ग़लत तरीक़े से मुक़दमा चलाते हैं। एक डंडे में झंडा लगाकर चारों तरफ नारे लगाकर राजनैतिक बन्दी क़रार दिये जा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था, कम से कम यह सरकार तो मंजूर नहीं कर सकती है हां, अगर उनके जमाने की कोई सरकार ऐसी हो तो वह करे। इन शब्दों के साथ और इस भावना के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं भी सुल्तान आलम खां को काल कर चुका हूं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त भवन के सामने है उस पर बहुत सी तक़रीरें हुईं और मैंने उनको बहुत गौर से सुना। मुझे यह भी याद है कि मेरे दोस्त श्री झारखंडे राय जी ने इस बिल को पेश करते वक्त जो तक़रीर की थी, वह क्या थी और इस बिल के साथ जो एम्स ऐंड आबजेक्ट्स दिये हुये हैं, वह भी मैंने पढ़े। मेरा अपना ख्याल यह है कि झारखंडे राय जी की नियत बख़ैर है और वह अपनी तौर पर एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि जिसके मातहत वह राजबन्दियों को या क़ैदियों को कुछ रिआयतें देना चाहते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि बाज चीजों के मुताल्लिक़ कुछ ग़लतफ़हमी है और अगर बिल जिस सूरत में कि इस वक्त भवन के सामने पेश है अगर उसी सूरत में पास हो गया तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन बातों की वह ख़ुद ख़्वाहिश करते हैं और जो फ़ैसिलिटीज वह क़ैदियों के लिये चाहते हैं शायद उससे वह असर पैदा न हो बल्कि उससे एक ग़लत और दूसरा ही असर पैदा होगा। यह एक हक़ीक़त है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पेनल हिस्ट्री के मातहत एक क़ैदी को इसलिये भेजा जाता है कि उसका सुधार किया जाय और उसके अलावा वह जेल में रहने की मुद्दत तक सोसायटी के लिये फिर दोबारा ख़तरनाक़ साबित न हो। ये दो उसूल हैं जिनके मातहत किसी क़ैदी को जेल भेजा जाता है। अगर हम यह तवक्क़ो करें कि जेल जाने के बाद क़ैदी को तमाम उस क़िस्म की आसायश और आसानियां फ़राहम हों जो उसको अपने घर की जिन्दगी में हुई हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा ख़्याल करना फिर उस उसूल के बिलकुल ख़िलाफ जाता है कि उसको जेल भेजा जाय। अगर एक क़ैदी को वह तमाम चीजें मयस्सर हों जो उसको अपने घर में मिलती हैं तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि उसको सजा किस लिये दी जाय। जेल की सजा तो उस को इसलिये ही दी जाती है ताकि वह उस क़िस्म का आफ़ेंस या क्राइम न कर सके और सोसाइटी उसके उस आफ़ेंस से आगे के लिये महफूज़ हो सके। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में क़ैदियों की वैसे ही बहुत सी क़िस्में हैं। अगर जेलों का मुआइना करने के लिये हम जायं तो हम देखेंगे कि वहां बहुत सी क़िस्मों के क़ैदी हैं, जुविनाइल प्रिजिनर्स हैं, हैबिचुअल्स हैं, कैजुअल्स हैं, बहुत सी क़िस्म के क़ैदी होते हैं। इनके अलावा क़ैदियों में एक नये क़िस्म की शाख़ का पैदा करना कि फलां राजनैतिक क़ैदी हों यह मैं समझता हूं कि आजकल के मुल्क के हालत को देखते हुये मुनासिब और सही नहीं होगा।

इस बिल के अन्दर जो दफ़ा ४ रखी गयी है जिसमें कि मुख़्तलिफ़ क़िस्म की एक्टिविटीज दी गयी हैं कि जिस क़िस्म के आन्दोलन चलाने के लिये जिन शख़्शों को क़ैद किया जाय उन लोगों के साथ झारखंडेराय जी इस क़िस्म का बर्ताव चाहते हैं। उसमें जहां और चीजें दी गयी हैं वहां यह भी दिया गया है कि मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों और इसके अलावा और दूसरे इसी क़िस्म के जो मूवमेंट्स हों उनके क़ैदी भी शामिल कर लिये जायं। तो मुझे यह अन्देशा होता है कि दूसरे इसी क़िस्म के जो क़ैदी हों, ये लफ्ज़ तो बड़े ही कम्प्रीहेंसिव हैं और इसके माने और असर बहुत दूर तक जायंगे जैसा कि अभी मुझसे पहले शास्त्री जी तक़रीर फ़रमा रहे थे और उन्होंने यह फरमाया कि फ़र्ज़ कीजिये कि क्लासिफ़िकेशन का सवाल पैदा हो जाय तो बहुत से मर्डरर्स, राबर्स, डकैत अपने-अपने गिरोह को मिलाकर बजाय एक इंडिविजुअल के एक क्लेक्टिव हैसियत बना लें और इस तरीक़े से कहलाना शुरू करें कि वह राजनैतिक हैं तो यह बड़ी दिक्क़त पैदा हो जायगी हमेशा के लिये और मैं समझता हूं कि मुझे पूरा यक़ीन है कि मूवर साहब का भी हर्गिज इससे यह मक़सद और मतलब नहीं होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आजकल के जमाने में जब मुल्क आज़ाद हो गया है वाक़ई इस चीज के सोचने की जरूरत है कि मुल्क के अन्दर जो तहरीक़ें चलायी जायं वे किस क़िस्म की हों। मैं जानता हूं कि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो बरसरेइक्तदार है लेकिन डेमोक्रेसी में कौन इस बात को यक़ीन के साथ कह सकता है कि हमेशा कांग्रेस ही की गवर्नमेंट रहेगी। हो सकता है कि सफ़ेद टोपी वाले एक जमाना ऐसा आये कि उधर चले जायं और लाल टोपीवाले इधर आ जायं और हो सकता है कि उसके बाद एक ऐसा रेजीम आये कि जिसमें हमारे दोस्त झारखंडे राय जी भी हों। कोई इस बात को यक़ीन के साथ नहीं कह सकता कि सूबे में

[श्री सुल्तान आलम खां]

या मुल्क में कब और किस क़िस्म की हुकूमत क़ायम होगी। लेकिन बुनियादी हैसियत से जो क़ानून पास किया जाता है तो वह क़ानून तमाम हुकूमतों के लिये उसी तरीक़े से लागू होगा जैसे कि आज है। फ़र्ज़ कीजिये कि आज कांग्रेस की हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट इस क़िस्म के चलाये जाते हैं जिनमें ख़ूंरेज़ी हो, लूटमार हो और अगर इस क़िस्म की भावना यहां पैदा हो गयी और दूसरी गवर्नमेंट आयी या तीसरी गवर्नमेंट आयी तो उस के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के मूवमेंट चलाये जाते रहेंगे। इसलिये यहां किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट या किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल तो सिर्फ़ यह है कि कोई भी हुकूमत हो वह डेमोक्रेसी में किस तरह से अपने फरायज़ अन्जाम दे सकती है और कोई पार्टी उसमें किस तरह से मूवमेंट चला सकती है। अगर इसी कसौटी पर इसको रखकर देखा जाय और इस पर इस पहलू से ग़ौर किया जाय तो मैं समझता हूं कि सिर्फ उसी क़िस्म का कानून बनाया जाय, सिर्फ उतने ही मरा-आत तलब किये जायं जो ज़रूरी हैं। यह नहीं होना चाहिये कि हर क़िस्म के ऐक्ट को, हर क़िस्म के ओमीशन और कमीशन को राजनैतिक मामलों में से ताल्लुक़ कर दिया जाय। इसलिये झारखंडे राय जी से यह अर्ज़ करूंगा कि वे इस मसले पर फिर से ग़ौर करें और इस सिलसिले में वे यह विचार न करें कि उनका जो आज आन्दोलन चल रहा है, उसमें इससे मदद मिलेगी, बल्कि वे इस नुक्तेनज़र से इसको देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में जिस क़िस्म के कानून की ज़रूरत है वह बनाया जाय और इस पर फिर से ग़ौर किया जाकर जनरलाइज़ करके एक माकूल सूरत उसको दी जाय। कोई भी गवर्नमेंट हो कानून को किसी के हाथ में देना वह पसंद नहीं करेगी। मैं एक बार फिर अपने दोस्त श्री झारखंडेराय जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस मसले की अहमियत पर ग़ौर करें और अगर मुनासिब समझें तो उसको वापिस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा क्लोज़र का प्रस्ताव अब ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। क्योंकि क्लोज़र का प्रस्ताव आ चुका है इसलिये मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब बहस बंद की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने आया है और जो उद्गार इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं और उसके सिलसिले में हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बदक़िस्मती इस बात की है कि इस प्रस्ताव को हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेम्बर हैं, प्रस्तुत किया है। अगर इसी प्रस्ताव को कोई और पार्टी का मेम्बर लाया होता तो इस प्रस्ताव पर आज जिस तरह से इस सदन में विचार हुआ है वैसा न हुआ होता।

आज प्रत्येक पार्टी के सदस्यों को अपने-अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा मिला लेकिन बजाय इसके कि पोलीटिकल प्रिजिनर्स की कटैगरी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाता, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम, तथा और दूसरी पार्टियों के प्रोग्राम के बारे में काफ़ी सदन में कहा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चय सी बात है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पनप नहीं सकती। और उसका कारण यह है कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी बदक़िस्मती से हिन्दुस्तान में जब जब आजादी का आन्दोलन चला, जब जब देश की आजादी की लड़ाई हुई, यह उनकी बदक़िस्मती रही कि यह हमेशा उसके ख़िलाफ़ रही। इसी वजह से हिन्दुस्तान की जनता

आज तक इनके साथ न जा सकी। कम्युनिस्ट पार्टी का हिन्दुस्तान में शायद आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता अगर इसके पड़ोसी इलाक़े चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की विजय न हुई होती। वहां की कुछ हालत ऐसी थी जिससे कम्युनिस्ट पार्टी वहां कामयाब हुयी। वहां आपस में सिविल वार होने की वजह से, वहां सड़कें न होने की वजह से, वहां यातायात के साधन न होने की वजह से, दूर के इलाके में जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस का उन तक न पहुंच सकने की वजह से और जो वहां की हालत थी उसको सामने रखते हुये शायद कम्युनिस्ट पार्टी वहां कामयाब हुई। अगर हिन्दुस्तान की राजनीति में भी, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान की जनता के साथ रही होती तो शायद आज कम्युनिस्ट पार्टी का वह हाल नहीं होता जो कि आज है। इसलिये मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो चन्द दिनों के बाद हमारे माननीय श्री झारखंडे राय जी उस पार्टी को छोड़कर किसी ऐसी पार्टी में शरीक होंगे जो हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक तरीक़े से समाजवाद स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। तो यह कहकर कि चूंकि श्री झारखंडे राय जी ने इस को रखा है और कम्युनिस्ट पार्टी में डकैत हैं या चोर हैं, यह कहकर इस प्रश्न को ठुकराने में मैं समझता हूं कि कोई शोभा की बात नहीं है। हमारे सामने एक प्रश्न है कि आया किसी को भी हम इस प्रान्त में राजनैतिक क़ैदी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर हम किसी भी आन्दोलन के चलाने वाले लोगों को राजनैतिक कह सकते हैं तो फिर आवश्यकीय हो जाता है कि हमारे जेल के अन्दर ऐसा एक क्लास जरूर हो जिसमें पोलिटिकल क़ैदी रखे जा सकें। क्योंकि हमारे सामने अभी अध्यापकों का ही प्रश्न आता है। हमारे अध्यापकों का एक प्रान्तव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह चल रहा है। और मैं समझता हूं कि इस प्रान्त के क़रीब-क़रीब सभी लोगों की हमदर्दी अध्यापकों के साथ है। हमारे इसी सदन के सम्मानित सदस्यों की हमदर्दी भी अध्यापक वर्ग के साथ है। अगर आन्दोलन के साथ नहीं है तो उनकी मांगों के साथ तो अवश्य ही है। आज का अध्यापक वर्ग इस प्रान्त में एक आन्दोलन चला रहा है और अहिंसात्मक तरीक़े से चला रहा है। वे किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, कोई डकैती की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वे केवल अपनी मांगों के लिये प्रान्तव्यापी सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारे यहां की जेलों को भर रहे हैं। उनके साथ सबकी हमदर्दी है। उन्हें हम भी गुरू कहते हैं और यहां हमने उनको गुरु कह कर पुकारा है। आज जब कि वे जेलों में जा रहे हैं और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें राजनैतिक क़ैदी मानना सही होगा या नहीं? अध्यापक जनतांत्रिक तरीक़े से आन्दोलन कर रहे हैं, इस तरह की और भी पोलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को अब ऐसा आन्दोलन चलाने की आवश्यकता न पड़े क्योंकि वह सत्ता में है लेकिन हिन्दुस्तान की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिये, हिन्दुस्तान की जो व्यवस्था है उसे बदलने के लिये अगर कोई हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातांत्रिक ढंग से आन्दोलन चले, हमारे प्रान्त के अन्दर आन्दोलन चले और उसमें जो लोग पकड़े जायं वे किसी राजनैतिक क़ैदी के क्लास में रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का फैसला करना होगा। खुशक़िस्मती कहिये या बदक़िस्मती कहिये मैं भी जेल में गया हूं और जेल विजिटर भी रहा हूं लेकिन मैं तो अब उधर जाता ही नहीं, देखने के लिये भी नहीं जाता हूं और इसलिये मैं सोचता हूं कि न जाना पड़े तो बहुत अच्छा है लेकिन जिस तरह से इस देश के अन्दर आन्दोलन चल रहे हैं और जिस तरह से इस देश के अन्दर हमारी सरकार अपनी बातों पर डटी हुई है कोई भी बात विरोधी दल की तरफ से आये उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं होती लिहाज़ा मजबूर होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिये आन्दोलन करना पड़ता है। यह कह कर कि कम्युनिस्ट पार्टी में डकैत हैं, जैसा रामकुमार जी शास्त्री ने कहा कि डकैतों के लिये भला ऐसा किया जा सकता है। तो कौन कहता है डकैतों को पोलिटिकल क़ैदी मानिये, कौन कहता है कि आप उनको जो रेल उखाड़ देते हैं, पटरी उखाड़ देते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं उनको आप पोलिटिकल क़ैदी मानिये। ऐसा हम नहीं कहते जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उन लोगों को जो प्रजातांत्रिक तरीक़े से अपना आन्दोलन चलाते हैं उन्हें आपको राजनैतिक क़ैदी मानना चाहिये और जब हम कुछ संशोधनों के साथ इस सदन में आयेंगे तो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री उन पर अवश्य विचार करेंगे। यह नहीं समझना चाहिये कि हमको तो कोई आन्दोलन अब चलाना है नहीं, अब हमें जेलखाने जाने की बात नहीं करनी है इसलिये हम इन बातों की तरफ से अपनी आंखें बन्द कर लें, यह किसी हुकूमत के लिये शोभनीय नहीं मालूम होता। इस पर विचार करना होगा। हो सकता है कि कल उधर के लोगों की विचार धारा बदले और वे इधर आयें। रामनरेश शुक्ल जी ने कहा, गो उपाध्यक्ष महोदय उनकी बातों को सुनकर अब मुझे शंका होने लगी है कि वह सच कह रहे हैं या ग़लत, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले में किसी अध्यापक को कोई शिकायत नहीं है लेकिन अख़बारों में पढ़ा कि प्रतापगढ़ से ही सब से ज्यादा अध्यापक जेलखाने गये हैं। रामनरेश शुक्ल जी ने यह भी कहा था कि प्रतापगढ़ में इतनी अच्छी पुलिस है .....

श्री सुल्तान आलम खां--यह नहीं पता चल सका कि आप ताईद कर रहे हैं या मुख़ालिफत कर रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इधर-उधर ध्यान न देकर आप कुछ समझने की कोशिश कीजिये तो पता चल जायगा। इसके अलावा माननीय रामनरेश जी ने कहा कि पोलिटिकल क़ैदी ऐसे होने चाहिये। उन्होंने कश्मीर, बर्मा न जाने कहां-कहां की बातें कहीं। उनकी भावनाओं से मालूम हुआ कि अब आन्दोलन की आवश्यकता नहीं है। देश के अन्दर स्वराज्य हो गया इसलिये अब कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तान में अब खुशहाली हो गई है। अब तो हम सत्ताधारी रहेंगे इसलिये आंदोलन का डर नहीं। उन्होंने यह भी तारीफ की कि हमारी जेलों में तो क्रिमिनल के साथ कितना अच्छा व्यवहार होता है, क्रिमिनल के साथ कड़ा व्यवहार किया जाय तो जनता को शायद इससे हमदर्दी ही होगी, लेकिन अध्यापक वर्ग जो है जिनके प्रति सबकी सहानुभूति है जिनको हम गुरु कह कर पूजते हैं उनके प्रति सरकार का क्या रुख है इस पर उसका इम्तिहान है। उनको यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि ये लोग डकैत हैं या चोर हैं। यह कहा जा सकता है कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम कहते हैं कि आंदोलन छोड़ दो इसलिये हम उनको पोलिटिकल कैदी न मान कर चोर डकैतों के साथ रक्खेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे भूल जायं कि यह प्रस्ताव माननीय झारखंडे राय जी ने रक्खा बल्कि वह यह समझें कि माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने इसको रक्खा है, इस भावना को लेकर तब वह इस पर विचार करें। अगर वह इधर होते तो आज उनकी भी यही भावनायें होतीं। शायद उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यह सरकार नहीं मानेगी तो हम बैठने वाले नहीं हैं। अगर यह सरकार हमारा प्रोग्राम नहीं मानेगी, जो प्रोग्राम हमारे नेताओं ने रक्खा है और उसके बाद जो और प्रोग्राम है उस सबको यह सरकार नहीं मानेगी तो शायद हमारी पार्टी भी कोई सत्याग्रह करे। माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि जब कोई बड़ा मसला आ जाता है तो उस पर विचार किया जाता है लेकिन आज हमारे सामने एक अध्यापकों का मसला आ गया है और हमें फैसला करना है कि पोलिटिकल कैदी नाम का कोई कैदी जेल के अन्दर होगा या नहीं होगा और अगर होगा तो उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं कि किस किस को आप पोलिटिकल कैदी मानेंगे।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमारा कभी यह मकसद नहीं है। हम कभी यह नहीं चाहत हैं। हम कभी, जैसा श्री शुक्ल जी ने कहा है कहने के लिये तैयार नहीं है कि हम इसलिये प्रलोभन देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ तो हम तुम्हें जेलखाने में ले जायेंगे और वहाँ आराम से रक्खेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा शोशल स्टेट्स ईक्वल हो। अगर एक अखलाकी कैदी होता है तो उसे हैसियत के मुताबिक अपर क्लास की सहूलियतें दी जाती हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा रखा है

कि अगर इतनी आमदनी होगी तो हम उसको अपर क्लास में रखेंगे। फिर क्या बात है कि आज हमारी सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि वह लोग जो प्रजातंत्रात्मक ढंग से किसी आंदोलन में भाग लें उन्हें राजनैतिक कैदी हमारी सरकार नहीं मानती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार ऐसा क्यों करती है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और सोचें कि जिस तरह से यह बिल सदन के सामने आया है उसको न लेकर जिस प्रकार हमारे विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है उन्हें स्वीकार करें। आपको फैसला करना है कि हमारे प्रांत के अन्दर कोई पोलिटिकल कैदी होगा या नहीं। इन चन्द शब्दों के साथ मुझे गृह मंत्री जी से यही प्रार्थना करनी है कि वह इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय, मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे इस प्रस्ताव के साथ माननीय झारखंडे राय जी का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। इसलिये कि जिस विचारधारा के वह हैं उस विचारधारा में खींचतान करके भी किसी प्रकार और किसी रूप में भी राजनैतिक बंदी नाम की कोई वस्तु नहीं होती। राजनैतिक बन्दी तो वहीं पर उत्पन्न होगा जहां किसी प्रकार की राजनैतिक स्वाधीनता होगी। किन्तु यह तो सब पर विदित है और प्रकट है और माननीय उपाध्याय जी ने सम्भवतः इस बात को गोलमोल शब्दों में स्पष्ट भी कर दिया है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ स्वाधीनता का समावेश नहीं हो सकता। आज बहुत कुछ छिपाने पर भी शायद कोई इन बातों को नहीं छिपा सकता कि कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ अनेक देश के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार के साथ इतने रंगे हुये हैं कि उस को कोई अधिकार नहीं है कि वह राजनैतिक स्वाधीनता की बात कह सकें। आज संसार में महायुद्ध के बाद चीन को मिलाकर १ करोड़ २५ लाख वर्ग मील पर सोवियट रूस का शासन है और उस शासन में करीब २६ करोड़ और ३५ लाख आदमी रहते हैं और निवास करते हैं। एक बड़ी सीधी सी बात है। जो लोग राजनैतिक स्वाधीनता का कम्युनिज्म से किसी प्रकार का सामन्जस्य कर सकते हैं मैं उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जितना सस्ता, हलका और छोटे मोटे दामों पर सब्सीडाइज्ड कम्युनिस्ट लिट्रेचर बिका करता है, क्या कोई ऐसा कम्युनिस्ट देश है कि जहां हमारा अच्छे से अच्छा लिट्रेचर भी बिक सके। थोड़े दिन हुये हमारे भारत वर्ष में श्री एनविम आये थे वह एक बहुत बड़े प्रकाशक हैं। उन्होंने एक हिसाब बताया कि ७८ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा के आधीन रहने के लिये विवश हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों की ऐसी कोई पुस्तक पढ़ने को नहीं मिल सकती रूस की सरकार इजाजत नहीं देती है। उस देश के विचारों से संबंध रखने वाले लोग यदि राजनैतिक कैदी की बात करें तो आश्चर्य होता है।

बहुत छोटी सी बात है। आज हमारे देश में साम्प्रदायिकता को बहुत जोर किया जा रहा है और इस सदन के सम्मुख इस बात को प्रभावित किया जा सकता है कि साम्प्रदायिकता के कार्य में बहुत कुछ उन लोगों का हाथ है जो लोग इस देश की सरकार को उलट देना चाहते हैं और वह लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं उनको यह कहने का अधिकार नहीं है कि बहुत ही गैर साम्प्रदायिक हैं और वे दूसरों के साथ समान्यता का व्यवहार करते हैं। दो मिसालें मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आज पोलैण्ड जर्मनों के साथ क्या हुआ है और क्रीमिया के तार्तारों के साथ रूस में क्या हुआ। १३ लाख नर-नारियों का रक्त शोषण हो रहा है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं, उन्हें कुचला जा रहा है और चेष्टा की जा रही है कि किसी तरह से इनके देश को और इनकी जाति को नेस्तनाबूद कर दिया जाय और श्रीमन् और एक बात मैं बताऊं इसके संबंध में कि अक्तूबर, सन १९५१ में रायल इंडस्ट्री आफ इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल एफेयर्स से एक प्रकाशन हुआ था जिसमें उन्होंने एक संवाद दिया था और जिसका खंडन आज तक नहीं हुआ। उसमें उन्होंने बतलाया है कि जिस समय यूगोस्लेविया के टीटो ने रूस से संबंध विच्छेद किया

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

था उस समय कितना भयंकर आतंक का साम्राज्य छा गया था योरोप और एशिया के उन राज्यों में जहां कम्युनिस्ट रूस का प्रभुत्व था और लोगों पर उस समय जो जुल्म हुये उनकी कहानी यदि इस सभा भवन में घंटों तक सुनायी जाय तो भी समाप्त नहीं होगी। सवा लाख आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। टीटो के संबंध विच्छेद के समय १० लाख आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया उन स्थानों में जहां रूस की सरकार को शुबहा था कि वे भी यूगोस्लेविया के समान कोई बखेड़ा न खड़ा कर दें। जो ऐसे देश के लोगों से सहानुभूति रखते हों वे हमारे सामने क्या राजनीतिक स्वाधीनता की बातें करते हैं। एक बात सुनकर माननीय झारखंडे राय जी को दुख होगा यदि उनमें आत्माभिमान है जो मैं समझता हूं कि उनमें अवश्य होगा। क्या उन्हें पता है कि आज रशियन स्लेव कैम्प्स में क्या हो रहा है? क्या उन्हें मालूम है कि रशियन स्लेव कैम्प्स की आबादी अगर बहुत आसान ढंग से कूती जाय तो लगभग सवा करोड़ के है? उनके दायरे बने हुये हैं। और उनसे काम लिया जा रहा है। हम आज अपनी पंचवर्षीय योजना को इस सदन के सम्मुख रखते हैं और उसे भारत में लागू करके भारत के लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आज स्वाधीनता के नाम पर और विचार स्वातंत्र्य के नाम पर हर प्रकार से चेष्टा की जाती है कि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल न हो। जैसी कम्युनिस्ट टैकटिक्स है कि छोटे-छोटे स्थानों में कंसेंट्रेट करें, रेलवे और इंडस्ट्रीज वगैरह में देहातों में जाने की जरुरत नहीं है और बस उनको पैरेलाइज कर दो, समाप्त कर दो और ऐसा करो जिससे डिसकंटेंट बना रहें, असंतोष रहे, और असंतोष की आग भड़कती रहे और जब तक असंतोष की आग नहीं भड़कती है तब तक कम्युनिस्टों को प्रश्रय नहीं मिल सकता और इस प्रश्रय को देने के लिये यह आवश्यक होता है कि उत्पात मचे, यह आवश्यक होता है कि पंचवर्षीय योजना जैसी योजनायें असफल हों और ऐसी योजनाओं की सफलता के लिये बहुत बड़ी चीज होती है अधिनायकत्व। रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जो-जो कठोर नियम बनाये थे यदि उनमें से एक भी नियम यहां पर लागू हो जायं तो न जाने क्या-क्या संघर्ष इसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जायगा। १० मिनट के लिये या आधे घंटे के लिये ट्रेन लेट हो जाती है तो रशियन गार्ड को २ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी जाती है। अगर हमारे यहां इस तरह का कोई कठोर नियम बनाया जाय तो न जाने क्या-क्या उत्पात व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर होंगे और न जाने क्या-क्या कहा जायगा। यह सत्य है कि उससे प्रोपेगेंडा वैल्यू तो हो जाती है लेकिन जो लोग इस विषय की तह को समझते हैं और विशेष कर हमारे समाजवादी मित्र, मैं विशेष कर अपने मित्र माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि वह तो समाजवादी हैं और आज संसार में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हिमायती वही होगा जो वास्तव में समाजवादी हो और समाजवादी में विश्वास करता है। जिसको समाजवाद में विश्वास है वही वास्तव में कम्युनिज्म का सबसे कठोर शत्रु होगा। श्रीमन, बहुत पुराना झगड़ा है कि राजनीतिक स्वाधीनता क्या है और राजनीतिक बन्दी किसको माना जाय। राजनीतिक बंदी की बात तो बाद में होगी लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधों का वर्गीकरण कैसे हो।

लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जेलों का सुधार करना चाहते हैं और सुनते हैं कि जेलों में बहुत से सुधार होन वाले ह किन्तु सब से बड़े सुधार की बात अपराधियों के वर्गीकरण की क्या हो सकती है। १६वी शताब्दी में जब सब से पहले जेलों का संगठन प्रारंभ हुआ, इसलिये कि एक अंग्रेज नरेश ने अपने रहने वाले मकान को उन लोगों के रखने के लिये जो गुन्डे थे और सड़क पर घूमते फिरते थे तब १६वीं शताब्दी का प्रारम्भ था और उस समय से आजतक यह भी निश्चय नहीं हो पाया है कि कौन-कौन अपराध किस-किस वर्गीकरण के योग्य है और अधिकतर माना यह जाता है कि आंख से जिस अपराध को देख लिया वही बड़ा अपराध है और उसी को अपराध मान लेना चाहिये। हमारे यहां आज कानून ऐसा है दोषपूर्ण है कि हम आंखों देखे गवाह को ही महत्व देते

हैं परन्तु आज के विज्ञान में इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता कि बिना साक्षी के अपराध सिद्ध नहीं हो सकता । मैं यहां पर आपके सामने साक्षी के विषय में एक घटना निवेदन करना चाहता हूं। स्विटजरलैन्ड में एक कांफ्रेंस हुई यानी अपराध शास्त्रियों और विशारदों का एक सम्मेलन हो रहा था और इसी तरह से जैसे यहां सभा भवन में माननीय सदस्य बैठे हैं वहां भी बहुत से लोग बैठे हुये थे। यकायक वहां एक चीख मची, हुल्लड़ हुआ और लोग इधर-उधर भागने लगे। भगदड़ सा मच गया। इसके बाद ही वहां पुलिस आई और उसने वहां गवाही लेना शुरू कर दिया कि किस तरह से वह सब शोरगुल हुआ। एक आदमी की उसने गवाही लेनी शुरू की तो उसने कहा कि एक आदमी बाहर से आया छुरी लिये हुये और एक डेलीगेट के, जो क्रिमिनालाजिस्ट थे, उनकी छाती में चुभा दिया और वह मर गये। दूसरे गवाह ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से उनके सीने से खून निकलत देखा । तीसरे ने कहा अपराधी ने "बी केयरफुल" उसने कहा और उसके बाद आघात किया। यह सब गवाही लेने के बाद पुलिस ने फैसला किया कि गिरफ्तारी कल होगी, लेकिन दूसरे दिन जब गिरफ्तारी का मौका आया तो सभापति ने, जो स्वयं बहुत ही अच्छे अपराध शास्त्र के पंडित थे, सुनाया कि न तो कल सभा भवन में कोई छरा लेकर आया, न किसी का खून हुआ और न किसी ने "बी केयरफुल" कहा। हुआ यह कि जब यहां अपराध शास्त्र के पंडित विवेचना कर रहे थे तो वहां एक छोटा सा नाटक किया गया था और उसमें हुआ केवल इतना था कि एक आदमी फाउन्टेन पेन घुमाते हुये आया और एक ने चीख मचायी थी और बाकी सब ने जितनी चीखें सुनीं और देखीं वह सब गलत थीं। आज आंख के देखे अपराध की व्याख्या नहीं हो सकती और उससे नहीं कहा जा सकता है कि अपराध किसका है। चाहे वर्गीकरण हो या न हो, लेकिन प्रश्न यह है कि कैदियों को किस प्रकार रखा जाय कि वह आसानी से वहां रह कर पुनः अपने मनुष्यत्व को प्राप्त कर लें जिसको वह खो बैठे हैं। इंगलैन्ड में यह किया गया है कि वहां के जितने भी कैदी हैं, राजनैतिक या किसी प्रकार के कैदी हैं उन सबको स्मोकिंग की इजाजत दे दी गई है, वह डेली इन्टरव्यू कर सकते हैं और पति-पत्नी भी वहां मिल सकते हैं। जब यह देखा गया कि इस बात का फैसला हो सकता है कि किस आदमी को कौन सी सुविधा देने से लाभ होता है तो हमें यह निश्चय हुआ कि जेलों के सुधार में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कोई वर्गीकरण न हो और जितने भी किसी भी अपराध के या किसी भी तरह के कैदी हैं सबको बराबर सहूलियत मिलें और इस बात का प्रयत्न किया जाय कि जेल जेल न हो बल्कि एक उनका सुधारगृह हो और उनके दिमाग को ठीक करने के लिये जेल एक हास्पिटल हो जिसमें जैसे बुखार का रोगी दवा से ठीक किया जाता है उसी प्रकार वह भी जल में सुधर सके। मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि जहां तक राजबंदियों का प्रश्न है, आज इस मसले पर काफी विचार उन देशों में हो चुका है जो प्रजातंत्र शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं और पोलिटिकल प्रिजनर टर्म ही हमने इंगलैन्ड से सीखी है और वह आज भी ऐसा देश है जो इसके बारे में बहुत भयभीत है। पोलिटिकल प्रिजनर की एक जोरदार मिसाल जो कि हमको मिलती हैं, जिसने इस प्रकार का राजनीतिक अपराध किया हो, वह लड़ाई के जमाने में इंगलैन्ड में सर आसवल्ड माँसले की है। यह इसलिये अधिक महत्वपूर्ण है कि देश के सामने सबसे बड़ी चीज यह थी कि उनके विषय में देश के प्रति देशद्रोह का संशय होता था जहां राजद्रोह है वहां पर एक दायरा बिलकुल विभिन्न हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के वर्गीकरण में कि आंदोलन करने वालों में, राजनीतिक मतभेद करने वालों में और उनमें अन्तर हो। माननीय राजनारायण जी या माननीय उपाध्याय जी ने यदि सोचा होगा तो उनको मालूम होगा कि बहुत दिनों से यह झगड़ा चला आ रहा है कि आखिर कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी है। मैं इस समय उसका विवेचन नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। पहले एक प्रथा यह चली कि बिलकुल एक ही आदमी के हाथ में शासन हो। इसके

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बाद १७वीं शताब्दी में हूकर का भी स्कूल बना। उसके बाद जब इस विचारधारा में एक प्रकार का परिवर्तन होने लगा तब फिर वह समस्या आयी जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं। सोशलिज्म भी आया। आखिर कौन सा अधिक व्यावहारिक है। हमारे समाजवादी मित्रों और कम्युनिस्ट मित्रों में जो सबसे बड़ा अन्तर और मतभेद है वह यह है कि एक विश्वास करता है एकोनामिक पावर इन दि मास्रेज में। वह इसमें विश्वास रखते हैं कि उस पावर को बनाकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण करें। लेकिन हमारे समाजवादी भाई इकोनामिक पावर इन दि मासेज के साथ-साथ यह भी विश्वास करते हैं कि वह एकोनामिक पावर मासेज के द्वारा ही, उन्हीं में से एकात्व करें और उन्हीं के द्वारा विकसित हो। इस सिद्धांत के साथ ही, शायद मुझे गृह मंत्री महोदय क्षमा करेंगे इसलिये कि वह बहुत ही विज्ञ हैं और वे सम्भवतः यह कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा कुछ दकियानूसी है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत प्रतिपादित हुये। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है १८ सौ में मेजनी, जिनका नाम लोग अब कम लेते हैं, उनकी एक पुस्तक है "ड्यूटीज आफ मैन" उस पुस्तक में उन्होंने यह प्रतिपादन किया था कि राइट की बात तो ठीक है। मार्क्सवाद अधिकारोंकी बात करता है। लेकिन राइट्स के साथ ड्यूटीज बड़ी भारी चीज होती है। तो जिसका प्रतिपादन मेजनी ने किया, और बड़े सुन्दर शब्दों में किया उसके प्रतिपादन की प्रतिक्रिया आगे चलकर हुई और वह प्रतिक्रिया दुर्भाग्यवश समाजवाद के साथ शायद रह गयी है। जहां-जहां समाजवादी प्रथा कायम है। भारतवर्ष में सम्भवतः कोई नयी समाजवादी प्रथा हो, लेकिन जहां जहां समाजवादी शासन है, हर जगह प्रायः असफल रहा। इस असफलता का बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह एकोनामिक पावर आफ दि मासेज की बात को मानते हैं, उस सिद्धांत को अपनाने के लिये, उस सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक वह कोई रास्ता नहीं बना सके। बड़े-बड़े सिद्धांतवादी आये। आखिर में चलकर ट्राटस्की का भी सिद्धांत आया जिसने संसार में बड़ा उत्पात किया और उसी ने पालिटिकल प्रिजनर की बात को दफनाने की चेष्टा की। हमारे मित्र जानते होंगे, गियावनी गिन्तले.....।

श्री अध्यक्ष—आप विधेयक से दूर हो रहे हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि राजनैतिक बंदी का जब प्रश्न उठता है तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर एक पार्टी रूल की बात जबकि फासिस्ट इटली से पैदा हुई तो उसके पैदा होने के साथ-साथ यह भी एक उसूल आखिर हमारे सामने आया कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक ही पार्टी होती हो उस पार्टी के सामने किसी प्रकार की राजनैतिक पार्टियां भी बहुत हो सकती हैं अथवा नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रश्न रूस के सामने आया, इसलिये नहीं आया कि रूस ने कभी किसी राजनैतिक पार्टी की सत्ता स्वीकार की। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप रूस में ही देख लीजिये कि २० करोड़ या १९ करोड़ की आबादी में केवल ८० लाख व्यक्ति ऐसे हैं, पहले ६० लाख कहे जाते थे, अब बढ़ करके ८० लाख हो गये हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और रूस में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, भले ही सपने में, हवा में हम कह सकें जिसको हम राजनीतिक पार्टी कह सकें। मार्क्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसको स्टालिन ने बदल दिया वह था कलेक्टिव लेजिस्लेटिज्म। कितना बड़ा उत्पात रूस में हुआ और हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ और अब भी होता जा रहा है। जैसी हत्यायें और जैसे विघटन होते हैं उनकी ओर अगर वानरीय मित्र ध्यान दें तो उन्हें मालूम होगा कि वहां केवल जोर इस बात पर है कि न तो कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी जीवित है और न जायज मानी जायगी और न अन्य किसी प्रकार की विचारधारा को वे अभय देंगे। अब जो लोग समाजवादी विचारधारा

में विश्वास करते हैं वह कहते हैं कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक उसूलों को नहीं मानती, लेकिन प्रजातंत्र की जिस प्रकार की भी व्याख्या होती होगी, बहुमत, अल्पमत, फ्रेंचाइज जिस प्रकार की होती होगी। उसमें एक चीज स्पष्ट है और वह यह कि स्वाधीनता विचारों की होनी चाहिये। जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की एग्जिक्यूटिव कमेटी ने बम्बई में फैसला किया कि शान्तिमय आंदोलन होना चाहिये। तो अगर शांतिमय आंदोलन होगा तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। न उनको बन्द करेगी और न सजा ही करेगी चाहे वह समाजवादी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। लेकिन जिस समय कि यह प्रयत्न होगा कि राजनीतिक के मूल में कुठाराघात हो, राजनीतिक स्वाधीनता के नाम पर राज्य को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न हो, जिस समय यह प्रयत्न किया जायगा कि असंतोष की आग फैला करके देश को बरबाद कर दिया जाय कम्युनिज्म के प्रचार के लिये, उस समय ऐसे राजनीतिक दल को मानना, उसकी सत्ता को प्रश्रय देना देश के लिये घातक होगा।

यदि मैं अपने मित्रों से पूछूं कि यदि रूस में या किसी देश में किसी प्रकार के पोलिटिकल प्रिजनर की कल्पना है भी और वहां पोलिटिकल प्रिजनर होते भी हैं, चीन के बारे में कई बार उदाहरण दे चुका और माननीय मित्र नाराज होते हैं। लेकिन स्वाधीनता का सबसे बड़ा अपहरण विशेषकर विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक वर्ग में अगर कहीं होता है तो चीन में होता है। मैंने आंकड़े पेश किये थे और उन्हें गलत साबित करने की चेतावनी दी थी, कि इतने आदमी गोली से उड़ा दिये गये इसलिये कि वे अध्यापक थे और विद्यार्थी थे और वह राजनीतिक में भाग लिया करते थे। इस प्रकार की स्वाधीनता तो हमने दे रखी है और अपने स्वाधीनता के शैशवकाल में, अपने स्वराज्य के बचपने में हमने जो अधिकार दे रखे हैं उसके लिये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी यह फैसला करेगी कि वह कहां तक देश के लिये उचित है।

मैं देखता हूं कि राजनीतिक बंदियों की स्वाधीनता कम्युनिस्टों के दिमाग में आती है। मैंने भी जेल में जाकर कम्युनिस्ट राजबंदियों का मुकाबिला किया है और उनके झगड़ों का भी निपटारा करने में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया है और मैं देखता कि प्रोलेटेरिएट प्रिजनर्स ऐसे हैं जो इस पर खास तौर से जोर देते हैं कि हम फलां टूथ पाउडर ही लेंगे या फलां ब्रश ही काम में लायेंगे। इस प्रकार के राजनीतिक बंदियों को विशेषाधिकार देकर न तो प्रजातंत्रवादी देश में काम चल सका है और न चल सकेगा।

फ्रांस ने इस संबंध में कुछ प्रयोग करने की चेष्टा की थी और आज माननीय झारखंड राय जी की जानकारी के लिये मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि फ्रांस में राजनीतिक बंदियों की जो भी प्रथा रही हो उसको उस सरकार ने जिसका नाम कम्युनिस्ट सरकार था और जो महायुद्ध के बाद फ्रांस में बनी थी उसने खत्म कर दिया। उनको इस चीज का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। यह तो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी की चेष्टा रहती है कि स्वधीनता प्राप्ति के पूर्व जिन अधिकारों के लिये आंदोलन करना उनको अपने शासन काल में हड़प लिया जाना। आज एक बहुचर्चित बात है कि दुनिया में जहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ है वहां उसकी सफलता के बाद न जाने क्यों उस आंदोलन के करने वालों का विशेषकर हनन होता है। एक श्रीमन् चित्र बात है, इतिहास उठा कर देख लें, जहां कम्युनिस्ट राज्य बने, आज उनमें से कितने प्रधान मंत्री जीवित हैं, वर्तमान हैं। एक उसूल समझा जाता है कि जो आदमी अपने देश में रहकर अपने देश के प्रति विद्रोह कर सकता है, उस आदमी के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता, यह कम्युनिस्ट संस्था का भीतरी मंतव्य है और इसको वे पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा करते हैं। मैं माननीय झारखंडे राय जी को इस खतरे के प्रति आगाह कर देना चाहता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--मान्यवर, जो इस समय सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मेरे बहुत से सम्मानित मित्रों द्वारा साम्यवाद की व्याख्या, समाजवाद की व्याख्या तथा और कई एक प्रकार की व्याख्याएं सुनने को मिलीं। मुझे उन व्याख्याओं की तरफ नहीं जाना है, किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है यह बिल्कुल निरर्थक है और अनावश्यक है। कहा यह भी गया कि चूंकि यह विधेयक एक कम्युनिस्ट सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस वास्ते इसका घोर विरोध हो रहा है, यदि और किसी सम्मानित सदस्य के द्वारा प्रस्तावित होता तो इसका विरोध नहीं होता। मुझे तो इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कम्युनिस्ट सदस्य के द्वारा ही नहीं बल्कि किसी भी सदस्य के द्वारा यदि कोई ऐसा अनावश्यक विधेयक आता है, तो मैं समझता हूं कि सदैव ही सदन उसका विरोध करेगा। मैं नहीं समझ पाता कि आज राजबन्दी शब्द की गुंजायश हमारे इस स्वतंत्र देश के अन्दर कहां पर मिलती है। अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार राजबन्दी शब्द का जहां तक मैं अर्थ लगा पाता हूं तो मेरे यही समझ में आता है कि यदि सामन्तशाही या साम्राज्यशाही देश के अन्दर विद्यमान हो और उसका इतना अत्याचार प्रजा पर बढ़ गया हो कि प्रजा उसको बरदाश्त न कर सके, तब प्रजा की आवाज किसी राजनैतिक पार्टी के रूप में उस सामन्तशाही या साम्राज्यशाही को उखाड़ने के लिये उठती है, और उस समय उन लोगों का जो आवाज उठाते हैं दमन किया जाता है, तो उनको हम राजबन्दी कह सकते हैं। जहां तक इसका अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार मैं समझ पाता हूं यही होना चाहिये।

जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका और हमारे त्यागी, तपस्वी, मंजे हुये, प्रखर बुद्धि नेताओं द्वारा हमारे संविधान का निर्माण भी हो चुका और उसी संविधान में विश्वास रखते हुये कार्य करने की शपथ ले करके ही हम लोग इस सदन के अन्दर शासन को चलाने के लिये अधिकार पाये हैं, तो मैं उसी संविधान के द्वारा जब विचार करता हूं तो मेरी समझ में यह आता है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र रामनरेश शुक्ल जी ने भी कहा, कि आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह बात सत्य है और मैं इसकी पुष्टीकरण करता हूं कि कोई भी राजनैतिक पार्टी यदि यह समझती है कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है, सुव्यवस्थित नहीं है और हमें इसको उखाड़ना है तो फिर उसके लिये पूरा का पूरा बल जनता के हाथ में है। उन राजनैतिक पार्टियों को चाहिये कि वह अपने उद्देश्य और सिद्धान्तों को प्रजा के अन्दर पूर्ण परिश्रम करके फैलायें और उनको समझायें, यदि प्रजा उनसे सहमत हो जाती है तो हर पांचवें साल एलेक्शन होता है और एलेक्शन के द्वारा हम लोग यहां आते हैं, जो भी दल बहुमत में आयेगा वही शासन के लिये अपनी मिनिस्ट्री बनायेगा। ऐसी स्थिति में कोई राजनैतिक आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। राजनैतिक आन्दोलन की आवश्यकता तो तभी रहती है जब कि हमें मौका ही न मिले। जैसे किसी पार्टी अथवा व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति एक बार आ जाय और फिर उसके हटाने की कोई गुंजायश न रहे तब इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम ऐसा करें।

अब हम इस बात पर आते हैं कि इस जगह पर राजनैतिक आन्दोलन की व्याख्या क्या की गयी है? उसमें हमारे माननीय उपाध्याय जी ने अधिक जोर अध्यापक वर्ग के सम्बन्ध में दिया, जैसा कि परिभाषा के अन्दर हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने कहा भी है--"राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हो और प्रदेश के किसी मजदूर, किसान, विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन के सिलसिले में तो अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन का जहां प्रश्न उठता है, यह एक बड़ा विस्तृत और अहम प्रश्न है। इस पर हमारे मित्र रामकुमार जी शास्त्री और सुल्तान आलम खां साहब ने भी समझाया है और यह बात सही भी है कि जब हम अध्यापकों, पटवारियों और मजदूरों को लें तो वह राजनैतिक आन्दोलन नहीं हो सकता। इसे अगर कर्मचारी आन्दोलन कहा जाय तो

अच्छा होगा। इस तरीके के आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन की व्याख्या देना, जो अपने पेट के प्रश्न को लेकर किया जाय, कहां तक सही है? यह तो राजनैतिक आन्दोलन समझ में आता नहीं।

जेलों में सुविधाओं के सम्बन्ध में माननीय झारखंडे राय जी ने बेत, हथकड़ी, चक्की और कोल्हू वग़ैरह के सम्बन्ध में जोर दिया। हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न पहले से ही मौजूद है और जेलों के सुधार के लिये बहुत ही उचित क़दम उठाये जा चुके हैं और उनकी ओर हम दिन पर दिन अग्रसर भी होते जा रहे हैं। अगर कोई नयी बात कही गई होती तो वह मानने के लायक भी होती।

हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने तो यहां तक कह डाला कि हिंसा का एकमात्र प्रतिरूप कांग्रेस ही रह गई है और यह उन्होंने बड़े गर्वित शब्दों में कहा है। मुझे तो इस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस हिंसक है। यदि ऐसा होता तो आज सूबे में जहां ६ १/२ करोड़ की आबादी है और जिसका १/४ हिस्सा जमींदारी प्रथा से सम्बन्धित था उन्हें मुआविजा न दिया होता। लेकिन अहिंसा का पालन करने के लिये ही उन्हें मुआविजा देकर जीवित रक्खा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा क़दम कांग्रेस ने उठाया जिसके कारण बड़े जोर से छाती पकड़ कर उन्हें यह कहना पड़ा कि कांग्रेस हिंसक है?

जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस विधेयक के पास करने में कोई लाभ नहीं है। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी बताया, वास्तव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य सामूहिक आन्दोलन की आड़ में, जैसे डाकू, चोर और बदमाश, इन्हें मौका मिलेगा कि वे अपना काम आजादी से कर सकें। वे लोग सारे सूबे में फैले हैं और वे एक संगठन बना लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारा जेल जाना भी राजनैतिक आन्दोलन है। मेरे ही जिले में ऐसा एक केस है। माननीय झारखंडेराय जी यदि चाहें तो मैं उस व्यक्ति का नाम भी बता सकता हूं क्योंकि यहां नाम लेना उचित नहीं है। आर० एस० पी० के अन्दर एक फर्स्ट क्लास हिस्ट्रीशीटर सम्मिलित कर लिया गया। जब वह जेल में भेजे गये तो बाद में मेरे पास आये और बोले कि आप मेरी हिस्ट्री-शीट कटवा दीजिये तो मैं कांग्रेस में आ जाऊं। इसलिये इस बिल से गुंडागर्दी को निस्सन्देह प्रोत्साहन मिलेगा। अतएव मैं आशा करता हूं कि भवन इस बिल को पास नहीं करेगा।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय झारखंडे राय जी के अधिनियम का विरोध करता हूं। अभी सदन के अन्दर बहुत से व्याख्यान हुये हैं। हमारे विद्वान् साथी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अपने व्याख्यान द्वारा हमारे विरोधी पक्ष के सभी साथियों के दिमाग़ पर छाये हुये कोहरे को साफ़ करने में काफ़ी काम किया है। परन्तु जैसी कि उन लोगों की आदत है कि वह समझें कुछ भी, मन में कुछ रखते हों, लेकिन मुंह से कुछ कहते हैं। वह अपनी बात से बाज नहीं आयेंगे और कुछ न कुछ कहते रहेंगे।

मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि अपने देश के अन्दर जब से स्वराज्य मिला है तभी से राजनैतिक आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक आजादी की तरफ हमने अपना कदम उठाया है। इसके तर्क में मैं यह बतला सकता हूं कि जितनी सरकारी योजनायें चालू की गई हैं वह इसकी प्रतीक हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक आधार लेकर यहां पर बड़े-बड़े बिजली के कारखाने, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और बड़े-बड़े बांध बांधे गये हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम सामाजिक और आर्थिक आजादी की तरफ नहीं बढ़े हैं, सर्वथा निर्मूल है। लेकिन जब हम विरोधी पार्टी के लोगों की बातों को सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी गतिविधि दूसरी तरह की है।

[श्री शिवराम राय]

एक तरफ तो वह यह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जेलों के अन्दर राजनैतिक बंदियों के लिये एक अलग क्लास रखा जाय। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। एक तरफ राजनैतिक बंदियों के लिये अलग क्लास का आंदोलन और दूसरी तरफ वर्गहीन समाज की स्थापना की बात कहना कुछ अंचता नहीं है। उनका कहना क्या है और करना क्या है।

यह जरूर है कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना करेंगे। जो कुछ भी हमने किया है जैसे जमींदारी खत्म की, राजा महाराजाओं को समाप्त किया और भी बहुत से हमारे काम हैं जिनके बलपर हम कह सकते हैं कि हम वर्गहीन समाज की स्थापना कर रहे हैं और महात्मा जी की सारी बातों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे यहां जो असमानता है उसको हम दूर करके शान्ति और अहिंसा के संदेश को कार्यरूप में परिणत करेंगे। हमारे यहां जितने काम हुये हैं वह सब ऐसे ही हैं।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो हमारे जिले के ही रहने वाले हैं, वह प्रजा पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने श्री झारखंडे राय जी के कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है। उन्होंने उनका अनुमोदन किया है। समाजवादी पार्टी के काम में और उनके और तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिये वह झारखंडे राय जी के मजदीक हुये क्योंकि अभी उनका (झारखंडे राय) इब्तदाई इश्क है। इससे पहले वह आर० एस० पी० में थे और उस वक्त उन्होंने कम्युनिज्म का प्रयोग किया था, कहने के लिये तो ये (माननीय रामसुन्दर पाण्डेय) प्रजा पार्टी में हैं और उनके एक दो साथी भी। उनके बारे में मैं कहा करता था कि इनको तो कम्यूनिस्ट पार्टी में होना चाहिये क्योंकि इनकी सब कार्यवाही कम्युनिस्ट पार्टी जैसी है। फिर समाजवादी पार्टी का नाम लेना मैं समझता हूं कि ग़लत है, लोगों को धोखा देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो ग़लत कार्यवाही माननीय सदस्य की ओर से जिला आजमगढ़ में की जा रही है, यदि मुझे अवसर दिया जाय तो मैं एक-एक करके बतलाने को तैयार हूं। वह उनका पेशा होगया है कि कहने के लिये कुछ कहेंगे और करने के लिये कुछ करेंगे। यदि कोई अधिकारी उनकी बात नहीं माने तो वह उसके खिलाफ बगावत करते हैं। यहीं नहीं मंत्री महोदय के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे मंत्री महोदय समझते हैं कि यह अल्पमत में हैं और इनकी पार्टी नगण्य है, इसलिये इनकी बात सुनकर सामंजस्य स्थापित करें। वह समझते हैं कि इस तरह से विरोधियों को संतुष्ट कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक पर आ जायं। वह क्या समझते हैं इस पर विशेष जोर न दें।

श्री शिवराम राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर बिल्कुल आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जरा विषयान्तर हो गया था।

श्री शिवराम राय—तो अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि इस तरह की कार्यवाही करना, गलत आदमियों को पार्टी में शामिल करना; लोगों में ग़लत धारणायें फैलाना, जैसे लोगों से यह कहना कि श्री विनोबा जी ने कहा है कि जमीन का बंटवारा होगा और जमीन का बंटवारा करने के लिये तुम खेतों पर क़ब्जा कर सकते हो, जो मौक़े के खेत हों उन पर क़ब्जा कर लो...

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं फिर एक दफा बता देना चाहता हूं कि इससे कोई सम्बन्ध बिल का नहीं है।

श्री शिवराम राय—जी अच्छा, तो ऐसे ही लोगों को जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं, जिन्होंने क़त्ल किया, ग़लत रास्ता अख्तियार किया, जिनका पेशा है खूनखराबी करना, हमारे संविधान के विपरीत चलना, हमारे देश में महात्मा जी ने सन् २१ से लेकर जब तक वह जिन्दा रहे जिस तरह से राजनीति में उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके यह साबित करके दिखला दिया कि हमारा देश कम्युनिज्म के बिलकुल विरुद्ध है या और तरीकों के विरुद्ध है, उन्होंने एक रास्ता हमको दिखा दिया जिस पर हम लगातार चलते हैं, उस रास्ते के विरुद्ध चलने के लिये देहात के लोगों को जो लोग भड़काते हैं ऐसे लोगों को वह चाहते हैं कि राजनीतिक बंदी बनाया जाय। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ग़लत बात होगी। फिर मैं अपने विरोधी पार्टी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो रास्ता आपको दिखाया है वह बहुत काफी अच्छा है और उससे आपको बहुत काफी सबक मिलेगा, आपको उसको सीखना चाहिये, यहां रहकर ऐसा न हो कि आप कहीं के कहीं चले जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क़ैदी लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय इस सम्बन्ध में यह विधेयक है और इसी सम्बन्ध में मैं अपनी राय रखना चाहता हूं। गृह मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे कि जो लोग जेलों में जाते हैं उनके साथ सरकार की कोई यह ख्वाहिश नहीं रहती है कि बदला लिया जाय और यदि यह बात स्वीकार है कि उनके साथ बदला नहीं लिया जाता है तो चाहे वे राजबन्दी हों, चाहे वे साधारण कैदी हों उनके लिये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वे जेलखाने से बाहर निकलने के बाद अपने को इस लायक़ बना सकें कि साधारण नागरिक के जो कर्तव्य हैं देश में उस प्रकार से अपनी जिन्दगी को वे चला सकें। अब एक प्रश्न यह अवश्य उठता है कि कैदी किस उद्देश्य से जेलखाने में जाता है, क्या अपराध उसके ऊपर है। अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अपराध वह हैं जो साधारण तौर पर आदमी मजबूर होकर करता है या कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी आदत से मजबूर हैं वे कुछ ऐसी कार्यवाही करते हैं जो समाज विरोधी कही जा सकती है और उनको चाहे हम अख़लाकी क़ैदी कहें, चाहे क्रिमिनल कहें, चाहे साधारण अपराधी कहें, जो भी नाम दें उनको हम इस श्रेणी में गिनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज की व्यवस्था को ऐसा समझते हैं कि उससे अपराध करने की प्रवृत्ति जगती है और अपराधी अधिक संख्या में उससे पैदा हो सकते हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि हमारे देश की जो आर्थिक अवस्था है उसमें ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं जिन्हें सभ्य संसार अपराधी समझता है और इसलिये उसको दूर करने के लिये वे उसी तरह के कार्य करें। वे वह समझते हैं कि उनकी यह मांग न्यायोचित होगी और अगर वे ऐसा करेंगे तो समाज में ऐसी अवस्था आ सकती है जब कि अपराधी लोगों की संख्या न बढ़े।

इसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि वे शान्तिपूर्वक आन्दोलन करें, लेख लिखें, भाषण दें, चुनाव लड़ें। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है। श्रीमन्, यह बात तो संसार में सर्वमान्य है कि संसार में दो तरह की विचारधारायें हैं

[श्री गेंदा सिंह]

एक प्रकार के लोग तो महात्मा गांधी के विचारों से ओत-प्रोत हैं। वे कहते हैं कि हम मिट जायंगे लेकिन किसी के ऊपर अपना हाथ न उठायेंगे। लेकिन संसार में इस तरह के विचार वालों की भी कमी नहीं है जो महात्मा जी के विचारों से मतभेद रखते हों, जो महात्मा जी, बुद्ध और ईसा के सिद्धान्तों को आधे रूप में तो मानते हों कि देश में समता होनी चाहिये लेकिन वे यह भी कहते हैं कि देश के हित के लिये अगर मारकाट की जरूरत पड़े तो मारकाट भी करो। लोगों को दुःख है, वे पाप करने के लिये मजबूर होते हैं। तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिये वे दो एक को मिटा देना अच्छा समझते हैं। वे यह सोचने लगें कि शान्तिपूर्वक बदलने की कार्यवाही नहीं हो सकती और उस स्थिति को बदलने के लिये वे स्वयं मरने मिटने को तैयार हों। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरों को भी मारने और मिटाने के लिये तैयार हों। तो उनके साथ भी सरकार को बदला लेना उचित नहीं है क्यों नहीं उनके साथ साधारण कैदी का सा व्यवहार होता? आखिर वे भी तो कैदी हैं। क्यों नहीं सरकार उनको मनोवैज्ञानिक रूप से यह समझाने की कोशिश करती जिससे वे अपने उन विचारों को बदल सकें कि देश की बुरी स्थिति को सुधारने के लिये कुछ लोगों को मारना ही होगा चाहे खुद ही क्यों न मर जाना पड़े। सरकार को मनोवैज्ञानिक रूप से उनको समझा कर और परिस्थिति को दूर करके उनके इन विचारों में परिवर्तन लाना चाहिये। बजाय इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से काम करने के सरकार उनके साथ साधारण कैदियों सरीखा बरताव भी नहीं करती है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक उचित है। और खास तौर से हिन्दुस्तान की सरकार के लिये तो यह बिल्कुल ही उचित नहीं है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी उस सरकार को बहुत नीचे घसीट लाये और उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकार की तुलना रशिया की सरकार से कर दी। चूंकि यह प्रस्ताव झारखंडेराय जी की तरफ से आया था इसलिये उन्होंने कहा कि तुम अपनी रशिया की तरफ क्यों नहीं देखते हो, वहां की सरकार अपने से विरुद्ध के विचार वालों को टिकने नहीं देती। वहां कोई राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार रशिया की सरकार का अनुकरण करे और मैं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इससे इनकार करेंगे और हिन्दुस्तान की सरकार को उस श्रेणी में नहीं रखेंगे। हिन्दुस्तान की सरकार तो विरोधियों को हर तरह की स्वतंत्रता देना चाहती है, भाषण आदि के स्वतंत्रता के अतिरिक्त वह उसका जो सबसे बड़ा आदमी है उसको भी अपदस्थ करने का अवसर देना चाहती है। और उसके लिये कोई इस प्रकार की चेष्टा करता है कि कोई राजनैतिक प्रतिद्वन्दी हमारी सरकार का हो तो वह उसके साथ बदला ले, इस बात के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी का सरकार को उकसाना कुछ उचित नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार की मनोवृत्ति क्या ऐसी हो गयी है कि वह अपने राजनैतिक विरोधियों का दमन करने में रूस का अनुकरण करती है? आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्यक्ष महोदय मैं कतई नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है, दूर का संबंध हो सकता है और उस पर बहुत लम्बे-लम्बे भाषण हो सकते हैं और उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये घंटों समय चाहिये। मैं केवल इसी प्रश्न तक अपने को सीमित रखता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने जो एक ऊंचा स्थान रखा था, महात्मा गांधी की तपस्या से इस सिंहासन पर बैठने वाली सरकार को भी उस ऊंचे स्थान को अपने ध्यान में रखना है। मैंने यह निवेदन किया अध्यक्ष महोदय कि यह तो राजनैतिक बंदियों की बात हुई लेकिन आज ही सुबह माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि इस प्रकार का एक वर्ग बना देना यह उचित नहीं होगा तो यदि मुझे ठीक स्मरण है तो इसी साल के बजट में जो हमारे सामने पेश हुआ था उसमें राजबंदियों को सहायता देने के लिये राजबंदियों के नाम पर कुछ रकम रखी गयी है। तो हमारी सरकार को कम से कम अपने कहने और करने में अन्तर तो न होना चाहिये। तो

उन्होंने एक राजबंदियों की श्रेणी रखी है। मैं नहीं जानता, माननीय गृह मंत्री जी ही बतला सकते हैं वह राजबन्दियों की जो श्रेणी रखी गई है या उनके नाम पर जो कुछ रकम रखी गयी है वह किस प्रकार के लोगों के लिये रखी गयी है और इसको किस तरह से व्यय करने की इच्छा सरकार की है।

जेलखानों की आज जो व्यवस्था है, उसके संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे यह फख्र हासिल है और मैं यह अपना गौरव मानता हूं कि हम आपके पीछे चलने वाले, जब कि कांग्रेस आन्दोलन चलता रहा उस समय भी मैं था। कुछ ऐसी बातें आयीं जिसके कारण हमें यह मालूम हुआ कि लाखों आदमियों के ऊपर एक बड़ा भारी अन्याय हो रहा है और कुछ लोगों ने उसके लिये पहले आवाज लगायी और आवाज लगाने के बाद कुछ ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ भी कहा जा सकता हो, दरख्वास्त दी जा सकती हो, सारी बातें करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और कुरबानी करो। सरकार के नाम पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये अगर अपना विचार प्रकट किया जाय तो उसमें शासन यंत्र को उलटने की कोई बात नहीं होती। अगर शासन यंत्र को उलटना ही होगा तो वह तो ५ वर्ष के बाद मौका आयेगा जब कि चुनाव लड़ कर शासन यंत्र को उलटने की बात की जा सकती है। लेकिन जिस वक्त हम मजबूर हों कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कुरबानी करें और यह भी हो सकता है कि जेलखाने जाने की नौबत आये तो यहां कुछ चर्चा जेलखानों की की जाय तो संभव है कि इस सरकार का ध्यान जल्द आकर्षित हो। इसलिये हमें यह करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय इस सरकार के शासनारूढ़ होने पर मुझे कुछ दिनों तक जेलखाने में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसका यह असर है, इस बात की छाप मेरे ऊपर है कि मेरे साथ जो तीन चार सौ और आदमी थे उनके साथ कुछ बदला लेने की मनोवृत्ति सरकार की थी। चाहे मंत्रिमंडल इसके लिए कुछ भी कहे लेकिन मैं निर्दोष हूं इस मामले में। मैंने उस समय के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को कई पत्र लिखे और उन पत्रों में जेलखाने की चर्चा की कि जेलखाने में हमारे साथ क्या व्यवहार होता है लेकिन उस पर कोई रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय जब-जब मैं जेलखाने भेजा गया, अपनी बात हो जाती है और उसके कहने में कुछ संकोच भी लगता है लेकिन यह उदाहरण सबसे अच्छा है कि मैं अपनी भुगती हुई बात कहूं। आपके साथ रहने और इस प्रान्त के सबसे ऊंचे लोगों के साथ रहने का अवसर अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। लेकिन इस हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि हमको सी श्रेणी में रक्खा जाय। यह जरूर किया गया कि जब गुप्ता जी देवरिया गये तो उन्होंने जिलाधीश से पूछा कि तुमने किस श्रेणी में रक्खा है तो वहां जो जिलाधीश थे दुबे थे मालूम नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन ४,६ दिन के बाद यह आर्डर आया कि मेरे साथ सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट किया जाय। मैं १५, २० दिन तक जेलखाने में रह चुका था और अपने साथियों के साथ था और ऐसे साथी थे जिनका सोशयल स्टेट्स मुझसे कहीं अधिक था और जिस तरह लोगों को जेलखाने में रखने के लिये क्लासिफिकेशन होता है उस हिसाब से वह मुझसे पहले सुपीरियर क्लास में रक्खे जाने चाहिये थे। मैं चाहता कि मुझे किसी तरह से नहीं जाना चाहिये उदाहरणस्वरूप अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको आपके सम्मुख रक्खा कि इसमें बदला लेने की मनोवृत्ति नहीं थी तो क्या थी। झारखंडेराय जी जेल गये थे और असेम्बली के मेम्बर चुने जाने के बाद उनको सजा हुई और उनको सी क्लास में रक्खा गया। सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि माननीय झारखंडेराय जी के साथ न्याय होना चाहिये लेकिन मुझे स्मरण पूरे तौर से नहीं है, माननीय झारखंडेराय जी स्वयं बतलायेंगे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। मैं यह समझता हूं कि मेरा और झारखंडेराय जी का ही अकेला केस नहीं है। समूचे देश में जब कैदी कैद होकर जाता है तो बाहर उसके क्या विचार रहे इस बात को सरकार को भूल जाना चाहिये और उसके साथ कि वह जेलखाने का कैदी है उस कैदी की अवस्था को देखकर व्यवहार होना चाहिये। सरकार अगर जेलखाने में डाल कर बदला

[श्री गेंदा सिंह]

लेने की मनोवृत्ति रक्खे तो यह बड़ा भारी पाप है और मैं समझता हूं कि इस पाप से उस कैदी के मन में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो सकती है। सरकार को सुदृढ़ बनाने के लिए, शासन यंत्र ठीक तरह से चलाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि कैदियों के साथ अनाचार न हो। कैदियों के मन में यह भावना उत्पन्न न हो कि जब हम जेलखाने में जाते हैं तो हमें इस चहारदीवारी के भीतर रख कर सरकार हमारे जज्बात को कुचलना चाहती है। यह भावना अगर उसकी होती है तो हमेशा तो वह चहारदीवारी के भीतर रहता नहीं, चहारदिवारी के बाहर भी आयेगा और कितने ही कैदी बदला लेने की मनोवृत्ति से बाहर आये हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इससे सबक सीखा कि जो लोग जेलखाने गये वह बदल कर नहीं आये। इस सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो बैठे हैं उनमें से अधिकांश वही हैं। तो मैं समझता हूं कि बदला लेने की भावना से आदमी का सुधार नहीं हो सकता, आदमी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं किसी हद तक हृदय परिवर्तन का कायल हूं। हृदय परिवर्तन तभी हो सकता है जब कैदी जो जेलखाने में जाय वहां सरकार को उसका हृदय परिवर्तन करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। वहां उसके मन पर यह असर न पड़े क्योंकि हमने सरकार का विरोध किया है इसलिये सरकार हम पर यह जुल्म करती है। अगर यह विचार उसके मन में आयेंगे तो बुरा होगा। इस समय मैं आपसे निवेदन करूं कि अर्जुन सिंह को कौन नहीं जानता। अर्जुन सिंह की श्रीमती सरला देवी को माननीय गृह मंत्री जानते होंगे। मेहतरों की हड़ताल के सिलसिले में वह पकड़ लिये गये और पकड़े जाने के बाद ७, ८ दिन उन्होंने भूख हड़ताल की और इसके बाद उनको इटावा जेल से सफर करने के लिये मजबूर किया गया इलाहाबाद या नैनीजेल में उनको रखने के लिये। यह ठीक है कि सरकार जिस कैदी को जिस तरह से चाहे रक्खे लेकिन हिन्दुस्तान की इस सरकार और यू० पी० की इस सरकार से जिसके गृह मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी हैं उनसे मैं यह निवेदन करता हूं कि उनको अपनी पिछली बातों को भूल नहीं जाना चाहिये। जब हमारे एक नेता जेलखाने में रहे और उस समय जो हमारी मनोभावना थी उसको कभी कभी याद कर लेना चाहिए। मेरी जो सही फीलिंग्ज़ और सही भावनायें हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं चाहे वह प्रस्ताव माननीय झारखंडेराय जी की तरफ से आये चाहे किसी दूसरे की तरफ से। हमारे देश का कोई आदमी अगर एकसही बात कह देता है तो उस सही बातको जज करने की आदत हमारी नहीं है बल्कि उस आदमीको हम जज करने लगते हैं। वह कोई आदमी भी हो सकता है। हमें उस आदमी को जज नहीं करना चाहिये बल्कि जो बात वह आदमी करे उस बात को जज करना चाहिये और इस बात पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो लोग जेलखाने में जाते हैं वे सब एक ही क्लास में जायें। अगर ऐसी बात नहीं हो सकती तो श्रेणी विभाजन हो जाना चाहिये। उस में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो दूसरी तरह के लोग हों जो कि देश में आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं और उनका जेलखाने में आ जाने की नौबत पड़ जाती है तो उनको इतनी सहूलियत अवश्य दी जाये कि वह अपने विचारों को परिपक्व कर सकें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को अपने विचारों को परिपक्व करने का पूरा-पूरा अधिकार मिलना चाहिये ताकि वह बाहर निकल कर सामाजिक विरोध की भावना को दबा सकें और तभी हम ठीक तरह से अपने शासन को चला सकेंगे और अपने शासन को उलटने से बचा सकेंगे।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडेराय जी की तरफ से जो विधेयक आज उपस्थित हुआ है उस पर बहस हो रही है। बहस काफी देर से चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसी बहस में दोनों तरफ से जो वाद विवाद हुआ और उस पर जिस गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये उस गम्भीरता के साथ मैंने विचार किया। मैं थोड़ा समय लेता हुआ एक वकील की हैसियत से २, ३ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहली बात तो काशान है। मैं गवर्नमेंट को यह बता देना चाहता हूं कि यह मुमकिन है कि झारखंडेराय ने जो विधेयक रखा है वह शुद्ध नीयत से रखा हो।

लेकिन हम उसे इस नीयत से नहीं ले सकते। आज कल देश में हर जगह स्ट्राइक चल रहे हैं हर जगह सत्याग्रह हो रहे हैं, ला एन्ड आर्डर को मैनटेन करना जो कि गवर्नमेंट का परम कर्त्तव्य है, उस के विरोध में काफी हल चल मची हुई है। हमें डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक के पीछे कोई षडयंत्र छिपा हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक को पेश कर के गवर्नमेंट के ऊपर हमला शुरू कर दिया जावे। सरकार की ओर से इन सत्याग्रहों और हड़तालों को खत्म करने के लिए हर मुमकिन तरीके से जो कोशिश की जा रही है उस में बाधा पहुंचायी जाय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह उस बाधा का एक प्रिपेरेशन है। आज हमारे प्रान्त में एक गड़बड़ी मची हुई है और सरकार मुसीबत में है इसलिये यह विधेयक इस समय पर बिलकुल अनुचित है और एक सत्याग्रह आफेंसिव का प्रतीक है। यह तो एक काशन था जिसे मैंने सर्वप्रथम आपको दिया।

अब एक बात और है। जिस वक्त हम इस विधेयक पर बहस करते हैं हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं हम तुलना करते हैं आज के सत्याग्रहों की कांग्रेस के सत्याग्रहों से। हम उस वक्त की तुलना आज से करने लग जाते हैं। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं और उन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने उस समय भी यह मत दिया कि जेलों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिये। वह कहा करते थे कि इस तरह का क्लासीफिकेशन ए० बी० सी० वगैरह बहुत खराब बात है और सी क्लास वाले तो विशेषकर नाराज थे कि इस तरह का विभाजन नहीं होना चाहिये। उस वक्त बहुत से लोग इसे बुरा कहते थे। तो जिस वक्त आज हम तुलना करते हैं उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। उस वक्त हम एक विदेशी शासन के नीचे दबे हुये थे। उस वक्त हमारे ऊपर कोई भी संविधान हमारा बनाया हुआ नहीं था। उस वक्त हमने कोई शपथ नहीं ली थी कि हम इस संविधान को मानेंगे और हम संविधान के अन्तर्गत अपने देश की उन्नति करेंगे। उस वक्त हम स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार से हमारा कहना था कि हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते, तुम्हारे कांस्टीट्यूशन को नहीं मानते, तुम्हारे लाज को नहीं मानते। इसलिये तुम जो चाहो करो। हमने कोई शपथ कानून मानने क लिये नहीं ली थी और जो विद्रोह हमें कहता था वही हमारा कानून था और वही हमारा संविधान था। लेकिन आज वह बात नहीं है। आज हमने एक संविधान अपना बना लिया है, हमारा एक कांस्टीट्यूशन है और उस संविधान के प्रति वफादार रहने के लिये हमने, आपने और सब माननीय सदस्यों ने शपथ ली है। तब, जब हमने संविधान के प्रति सौगन्ध ली है उस संविधान को कैसे उलट सकते हैं? और संविधान के अनुसार बनाये गये कानून को कैसे तोड़ सकते हैं, और सत्याग्रह कर सकते हैं और आदमी आदमी में भेद कर सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है। सहानुभूति रखते हुये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे संविधान को कैस उलट देंगे। संविधान के नियमों को हम उलट नहीं सकते। अगर हम उलटते हैं तो उसके विरोध में जाते हैं जो हमने शपथ ली है। उस संविधान का नियम यह है कि हम अपने देश के अन्दर रूल आफ ला स्थापित करेंगे। आदमी और आदमी के अन्दर कोई फर्क नहीं करें और किसी प्रकार का विभेद नहीं आने दें। और अगर हमने यह डिवीजन बना दिया पोलिटिकल और नान-पोलिटिकल प्रिजनर्स का तो हमने अपने संविधान का उल्लंघन किया और उसे तोड़ मरोड़ कर रद्दी में फेंक दिया। यहां पर हम लेक्चर दे सकते हैं कि इस तरह से संविधान पर हमला नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य है। एक ही कानून तोड़ने पर जब किसी को सजा दी जाती संविधान इस बात को कहता है कि इन दोनों के लिये जो सजा हो जो पिनालिटी हो उसमें कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिये। और अगर उन दोनों की सजा में फर्क होता है और अगर इस तरह से कोई भेद किया जाता है तो वह अपने कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। अस्तु पहली बात जो हमें देखनी है वह यह है कि हम इस विधेयक को इस वजह से पास नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे संविधान के खिलाफ है। और चूंकि संविधान के खिलाफ जो भी ला जाता है वह पास नहीं हो सकता इसलिये कांस्टीट्यूशनली इस ला को हम इस सदन से पास नहीं कर सकते। यह तो पहला प्वाइन्ट है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

[श्री नौरंगलाल]

दूसरी बात जो हम भूल नहीं सकते हैं वह यह है कि जहां तक इस क्लासीफिकेशन का ताल्लुक है यह जूरिसप्रूडेंस के कानून के भी विरुद्ध है। मैंने जो जूरिसप्रूडेंस का नाम लिया तो उसका मतलब यह है कि जो भी कानून होता है वह समान रूप से होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो हमेशा उसका यह उसूल होना चाहिय और सारे लेजिस्लेटर्स का यह उसूल होना चाहिये, और सारे मनुष्यों का जो यह चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चले उनका उद्देश्य होना चाहिये कि जो ला तोड़ा जाता है उसमें किसी तरह से कोई रियायत न मिल पावे। अगर आप इस तरह का डिवीजन करना चाहते हैं कि एक तरफ पोलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी हो और दूसरी तरफ नानपोलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी हो, और अगर आप पोलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ अधिक सुविधायें देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अगर उस को कोई क्राइम करना है या कोई कानून तोड़ना है तो वह यह कोशिश करेगा कि पहले वह किसी पोलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाय और उस दल का सदस्य बन जाय और उस के बाद कानून तोड़े ताकि उसे पोलिटिकल प्रिजनर बनने की सहूलियत मिल जाय। इसका बहुत ही खराब नतीजा यह होगा कि हर पोलिटिकल दल में गुन्डों और बदमाशों की इफ़रात हो जायगी और उन लोगों को पोलिटिकल दलों में आने से रोकने की किसी की हिम्मत भी न होगी और हो सकता है कि वह माननीय सदस्यों को ही निकाल दें क्योंकि माननीय सदस्य तो डेमोक्रेटिक उसूलों पर अपने कांस्टीट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और वह लोग देश के लोग हैं आप की जगह ले लेंगे और इस तरह से सारी पोलिटिकल पारटीज़ ही खतरे में पड़ जायंगी और तमाम ला ऐन्ड आर्डर ही शायद इससे खतरे में पड़ सकता है। इस के अलावा अगर इस तरह का डिवीजन किया जायगा तो इसके कवर में बहुत से ऐसे लोग आ जायेंगे जो बहुत ही बुरे हैं और जिन को कोई भी पसन्द नहीं करता। उन को भी आप को वही सहूलियतें देना होंगी।

एक बात और है और वह यह कि आप जो यह क्लासीफिकेशन कर रहे हैं इस का फैसला किस तरह से होगा और किस तरह से आप पोलिटिकल और नान पोलिटिकल प्रिजनर्स को डिसटिंगुइश करेंगे, यह भी बहुत मुश्किल होगा। इस मामले में जो आप ने रखा है वह बिलकुल भ्रामक है। आप यह कह रहे हैं कि जो कोई किसी पोलिटिकल जमाअत का मेम्बर है और जिस के उसूल अहिंसात्मक हों और संविधान के अन्दर हों वही पोलिटिकल होंगे और बाकी नानपोलिटिकल होंगे। परन्तु इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हम जिस पर डिवीजन कर सकें। कौन पार्टीज पोलीटिकल हैं यह कैसे तै होगा? दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं जिन के पैरों पर आप चलते हैं जिन को आप अपना रहबर मानते हैं वहां पर कहीं भी कोई इस तरह का डिवीजन नहीं है। जितनी भी प्रजातंत्र स्टेट हैं कहीं भी पोलिटिकल और नानपोलिटिकल का ऐसा भेद नहीं है। यदि इस में से पोलिटिकल लफ्ज उड़ा दिया जाय तो मैं बड़ी खुशी के साथ इस का समर्थन करूंगा लेकिन चाहे जैसा कोई प्रिजनर हो हम तो चाहते हैं कि उस के साथ मनुषत्व और इनसानियत का बरताव किया जाय। लेकिन इस तरह का भेद करना मुनासिब नहीं है। और हमारे यहां तो वैसे ही साम्प्रदायिकता बहुत बढ़ रही है और हर तरह के क्लासेज जाति में जाति और पांति में पांति पैदा हो रहे हैं और यह चीज आज देश की परिस्थिति में अच्छी भी नहीं है और न कोई इस तरह के भेदों के साथ सहानुभूति ही कर सकता है। यह चीज आज गलत है और मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे देश की जनता में ग़लतफहमी फैल सकती है और लोग कहेंगे कि नेता लोग अपने लिये एक क्लास अलग बनाना चाहते हैं और जनता को अलग जेलों में भी दूसरे तरीके से रखना चाहते हैं, चाहे हम कांग्रेस वाले हों, चाहे कम्युनिस्ट हों या प्रजा सोशलिस्ट ग्रूप के हों या किसी भी पार्टी के हों, यह आदेश सब पर आ जायेगा। हम जेल जायं या आप जेल जायं तो दूध, मलाई, मक्खन मिले और जब गरीब जनता जेल जाय तो उसके साथ वही साधारण व्यवहार हो, जनता इसको कैसे बरदाश्त कर सकती है। मुझे तो सब से बड़ा आश्चर्य यह होता है कि कम्युनिस्ट

और समाजवादी नेताओं की तरफ से यह बात आयी, जो कि समानता के बिलकुल खिलाफ है। और उस पर इतनी गरम गरम बहसें हों और उसका इतने जोरदार शब्दों में समर्थन हो। इसलिये मैंने जो बात कही वह यह कही कि जहां तक जनमत का ताल्लुक है अगर यह विधेयक जनमत के लिये भेजा जाय तो यह विधेयक जनमत के बिलकुल खिलाफ निकलेगा। इसलिये इसको कभी भी पास नहीं होना चाहिये।

एक आखिरी बात मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है उन्होंने पोलिटिकल और नानपोलिटिकल की तरफ जो इशारा किया है, उसका एक हल हो सकता है, वह एक जुडीशल मैटर हैं। हम कोई कानून इसके लिये बना सकते हैं। उसमें नयी दफाएं जोड़ सकते हैं कि इस विशेष तरह का सत्याग्रह या हड़ताल अगर होगी और उसमें अगर कोई सजा होती है तो इस तरह से सजा मिलेगी। इस प्रकार का विधेयक बना कर हम जज पर छोड़ दें कि वह इस बात का निर्णय करे कि उसमें वह आता है या नहीं। तब एक विशेष तरह की सजा दी जाय। ऐसा नहीं हो सकता है कि चन्द आदमियों के लिये, अगर कोई जुर्म करें तो उनके लिये खास तरह की सजा दी जाय। सजा तो एक हो सबके लिये। लेकिन अगर कोई खास तरह का जुर्म हो तो खास तरह की सजा हो सकती है। जब हम आजाद हैं तो गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। कोई इनफीरियर और सुपीरियर क्लास न हो। देश में इनफीरियर और सुपीरियर क्लास का होना देश के लिए एक बेइज्जती है। जिसने हमको वोट दिया है जो हमको यहां पर भेजता है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वह बदमाश ही क्यों न हो। इसलिये मेरा तो सुझाव यह है कि सुपीरियर और इनफीरियर क्लास को भी तोड़ दिया जावे। लेकिन आप इस तरह का एक कानून बना सकते हैं कि कोई शख्स चाहे वह गुंडा हो या बदमाश हो, अगर वह स्ट्राइक या सत्याग्रह करता है तो उसको यह सजा हम देंगे। इस तरह का विधेयक हम बना सकते हैं। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिनको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप तो यह चाहते हैं कि अगर हम जेल जायं तो हमको एक विशेष प्रकार का व्यवहार मिले और अगर गरीब जनता जाय तो उसको साधारण व्यवहार मिले। वास्तव में यह विधेयक जो लाया गया है वह इसलिये नहीं लाया गया है कि उनके दिल में बड़ी परेशानी उठ रही है, उन पोलिटिकल प्रिजनर्स के लिये जो जेल में गये हैं। बल्कि इसका मंशा साफ तौर पर यह है कि नेता लोग तैयार हो जाओ आन्दोलन करने के लिए इसलिये कि हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया विधेयक बनवा रहे हैं। दूसरे उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त करनी है जो हड़ताल कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए यह कानून लाये लेकिन चूंकि कांग्रेस वालों का बहुमत है इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना। हम तो आपको सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट दिलवा रहे थे। तो अगर विधेयक पास हो जाता है तब भी फायदा और फेल होता है तब भी फायदा। कुछ भी हो। इसलिये हो जाय तो हमारा नाम हो जाय और न पास हो तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो इन तमाम विचारों से हम काफी वाकिफ हैं। इसलिये मैंने जो बातें सदन में रखीं, जैसा मैंने अभी इशारा किया कि हड़तालों और इस प्रकार के कामों के लिये अगर विशेष रूप से कोई दंड व्यवस्था करनी हो तो वह कर दें लेकिन इस विधेयक को हम स्वीकार नहीं कर सकते।

इसलिये मैं आखरी मरतबा अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से सदन से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं वह इस वजह से नहीं कहीं कि चूंकि वह माननीय झारखंडे राय जी ने विधेयक रखा। कोई भी उसे रखता चाहे गांधीवादी कोई रखता तब भी मैं उसका विरोध जरूर करता। हमें अपने प्रजातांत्रिक देश को आगे ले जाना है तो यह तय करना होगा कि हमें डेमोक्रेसी को अपनाना है या फासिस्ट मेथड्स को अपनाना है।

एक वार्निंग मैं अपोजीशन लीडर्स को भी देना चाहता हूं कि देखो इस तरह का वर्गीकरण जो पोलिटिकल और नानपोलिटिकल प्रिजनर्स का कर रहे हो अगर

[श्री नौरंग लाल]

हम उसको मान लेते हैं तो मुमकिन है कि इनको थोड़ा सा आराम मिल जाय। लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे बाद यहां पर कम्युनिस्ट या फासिस्टवादी आ जायं तो यह जो डिवीजन हमने कर रखा है यह हमको कंसेंट्रेशन कैम्प्स में भेज दे और वहां पता भी न चलेगा कि सूरज कहां से निकलता है और रात कहां होती है।

इसलिये हम इस विधेयक को नहीं मान सकते।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजबन्दी विधेयक इस समय विचार के लिये उपस्थित है उसके सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यूं तो हमने पिछले २५ वर्षों में राजनीतिक लड़ाई लड़ी और राजनीतिक बन्दियों का नाम सुनते ही हमारा दिल तो उस तरफ हो जाता है लेकिन जो लड़ाई आज राजनीतिक बन्दियों के नाम पर चल रही है और जो लड़ाई राजनीति के नाम पर चल रही है उसके कार्यों को देख कर हमारा दिल क्षुब्ध हो जाता है और हम एक तरह से घृणा से उससे मुंह मोड़ लेते हैं।

मुझे सदन के सन्मुख दो तीन बातों को इस सम्बन्ध में रखना था और हमें विचारना है कि अगर आज की राजनीतिक लड़ाई के लिये यही विचार-धारा है, इसी प्रकार लड़ाई लड़ना है तो हमें तो देखना पड़ेगा कि हम उनको राजनैतिक बन्दी भी कहें या न कहें।

जहां तक सवाल बन्दियों के रहन सहन का है, बन्दियों के साथ व्यवहार का है वह तो हमने साधारण कायदों के साथ उनके रहन-सहन के तरीके में, उनके साथ व्यवहार में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया है कि जो पिछले साल किसी भी हमारे राजनीतिक बन्दी को मयस्सर नहीं था। वैसे तो कोई प्रश्न उठता नहीं है, लेकिन फिर भी "राजनीतिक" नाम को आज भी एक्सप्लायट करना चाहते हैं। हमें आज यह देखना है कि आज की राजनीतिक लड़ाई का क्या रूप है और किस तरह से उसको चलाया जा रहा है। मैं बलिया जिले की ही एक घटना का आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं। बलिया जिले में एक छिछोर गांव है। वहां दो साल पहले एक काण्ड हुआ था कि एक कांग्रेसी भाई के घर पर २०० आदमी चढ़ गये और उन्होंने पहले तो उस कांग्रेसी भाई की तलाश की। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उस समय वह वहां पर मौजूद नहीं थे। उन लोगों ने जबरदस्ती उनके घर के अन्दर किवाड़ को तोड़ करके प्रवेश किया और उनकी बीवी और बच्चों को निकाल लाये। उनकी बीवी को बच्चा होने वाला था, लेकिन उन मनुष्य कहे जाने वाले आदमियों के दिल में उसके लिये जरा भी रहम नहीं आया। वह हाथ जोड़कर चिल्ला रही थी कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैं तो बच्चा देने वाली हूं, लेकिन उन्होंने इस कथन के बाद भाले को सीधा उसके पेट में डाला और एक छोटा बच्चा जो तीन साल का था उसके पैर को चीर करके उसको दहकती हुई आग में फेंक दिया। दो सौ का मजमा था और तलवार, बन्दूक और भाले से सब लैस होकर आये थे। उनका नारा यह था कि कांग्रेसी भाई को हमारे सामने पेश करो। घर वाले क्या करते, क्योंकि वह तो कई सौ मील दूर थे।

तो यह राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वह जो कांड हुआ वह बरसों तक राजनीतिक कहे जाने वाले भाइयों की करतूत थी। वहां कोई भी व्यक्ति उस मामले में गवाही करने के लिए भी तैयार नहीं था, इतना आतंक पैदा हो गया था। यह जुलूस रात को १२ बजे जब नारे लगाता हुआ उस जगह पहुंचा था, तो उस लड़के और उस औरत के अलावा पांच और आदमियों को जो उस घर में मिले दहकती हुई आग में फेंक दिया। उनके दूसरे दिन अधजली हुई लाशें मिलीं। यह एक घटना है। इसके अलावा वहां पर संघठन किया गया और एक आदमी जो पुलिस की तरफ से गवाही करने

गया था उसको और दो आदमियों का कत्ल किया। ये दोनों घटनाएं दो तीन महीनों के अन्दर हुईं और दो तीन मील के क्षेत्र में हुईं। गाजीपुर और आजमगढ़ का सटा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर जमींदार कहे जाने वाले लोगों के विरुद्ध काफी प्रचार किया गया था। गाजीपुर जिले में एक जमींदार साहब हाथी पर चढ़कर के दोपहर में कहीं जा रहे थे। उनको नीचे उतारा गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, ग्राम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। जब उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूं तब उनके मुंह पर थूका गया, उनके कपड़े छीन लिये गये और फिर उनको रवाना किया गया। जब वे चलते हैं तब फिर उनको रोक करके उनको पीटा जाता है। ये सब काम राजनीति के नाम पर हो रहे हैं, गवर्नमेंट को बदलने के नाम पर हो रहे है, क्रान्ति के नाम पर हो रहे हैं। हमको सोचना है कि जब हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है, जब हमने एक संविधान बना लिया है और उसके अन्दर शासन चल रहा है, तब राजनीति के नाम पर ऐसे काम करना कहां तक उचित है। इस भवन में जहां जनता के प्रतिनिधि इतनी संख्या में उपस्थित हैं मुझे यह स्पष्ट पूछना है कि जो राजबन्दी विधेयक रखा गया है, क्या वह ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिये रखा गया है। यदि आप उस क्षेत्र में जायं तो आप देखेंगे कि वहां राजनीति के नाम पर खुल्लमखुल्ला क्या किया जा रहा है। आज उसका रूप दूसरा बदला जा रहा है ऐसी दशा में हमें यह सोचना चाहिये कि क्या हम ऐसा विधेयक ला सकते हैं या नहीं। मेरा सदन से यह निवेदन है कि हमें इस विधेयक पर विचार नहीं करना है। हमें यह सोचना चाहिये कि आज चाहे कोई भी दल हो उसको यह अधिकार है कि वह गरीबों के अन्दर अपने आन्दोलन को चलाये और इस गवर्नमेंट को बदल दें, इसमें कोई भी हमें एतराज नहीं हो सकता है और इसके लिये रास्ता खुला हुआ है बुलेट से नहीं बैलट से और यह संविधान का आदेश है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि आज हम इस बात को भूल जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। दुनिया ने इसको देख लिया कि अहिंसा से हम बड़े से बड़े आन्दोलन को चला सकते हैं और बड़ी से बड़ी हस्ती को मिटा सकते हैं।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा यह आपसे निवेदन है कि हमें ऐसे विधेयक पर विचार नहीं करना है। जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि हर बन्दी के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा है, हम हर तरह की सुविधा उसको देना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि उसको हर कार्य करने का मौका दिया जाय, इससे अधिक सुविधा आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री झारखण्डे राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। साथ ही साथ मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और अपनी एक प्रकार की मनोवृत्ति को इस सदन के सामने स्पष्ट कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस सदन में सारे भाषणों को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि इस विधेयक के गुणावगुण पर विचार नहीं हो रहा है बल्कि माननीय सदस्य अपनी-अपनी कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मेरे इस विधेयक में "उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक" शीर्षक की जगह "उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट राजबन्दी विधेयक" शीर्षक होता तब ऐसे भाषण हुये होते तो उचित होता।

[श्री झारखंडे राय]

इसमें मैं समझता हूं कि श्रीगणेश माननीय गृह मंत्री जी ने ही किया गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में ही अपनी कम्युनिस्ट विरोधी भावनाओं का जो प्रदर्शन किया और जिस तरह से पूरे भाषण और डिबेट को एक विशेष दिशा में कैनालाइज किया उसी में सारा सदन आज दिन भर बहता रहा। अगर इस विधेयक के गुणावगुण पर विचार हुआ होता तो मैं समझता हूं कि हम क़रीब-क़रीब सही नतीजे पर एक जगह पहुंच सकते थे। प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्टों को राजबन्दी माना जाय, या न माना जाय प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्टों द्वारा संचालित आन्दोलन को राजनीतिक आन्दोलन माना जाय या न माना जाय, प्रश्न यह नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेम्बर हैं वे किसी प्रकार अगर जेल में जायं, चाहे वह ऊंचे से ऊंचा उस पार्टी का सदस्य क्यों न हो और ऊंचे आदर्श से प्रेरित कार्य किया हो उसको राजनीतिक बन्दी माना जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि आज जो लोग हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट हैं, जो यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में सही माने में सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं है, अगर आजादी है तो केवल राजनीतिक आजादी ही है, जो महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी अधूरी है वे अगर उस आजादी को पूरी करने के लिये, उसके अपूर्ण अंगों को पूर्ण करने के लिये कोई आन्दोलन चलाते हैं, कोई संघर्ष करते हैं, उसमें जनता का कोई भी हिस्सा जो पीड़ित, पददलित और शोषित है हिस्सा लेता है तो उसको क्या कहा जाय। उदाहरण स्वयं अध्यापकों का लीजिये, सबसे ताजी और सब से बड़ी मिसाल अध्यापकों की है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस बात को साफ़-साफ़ पूछना चाहता हूं कि उनके उत्तर प्रदेश की जेलों में बहुत से क्रिमिनल कैदी बन्द हैं। उनके साथ वह एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। माननीय रामनरेश जी शुक्ल के शब्दों में उनके नैतिक, शारीरिक और मानसिक उत्थान के लिये वह सब कुछ कर रहे हैं, वह अलग बहस की बात है कि कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन उन अध्यापकों के साथ जो अपनी जायज मांग के लिये आज जेल में गये हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जैसे और कैदी हैं वैसे ही कैदी वे भी हैं। आज चोरी में, डकैती में, क़त्ल में या दूसरी तमाम आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं में जो लोग जेल में गये हैं उनमें और इन अध्यापकों में कोई अन्तर नहीं है ? मैं समझता हूं कि यह कहना कि उनमें कोई अन्तर नहीं है यह हृदयहीनता और कठोर निर्ममता का परिचायक होगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि जब वे भी आजादी की लड़ाई के सिपाही थे और अमर शहीद सरदार भगत सिंह, जिनको ३०२ में फांसी हुई उनके लिये कोई आई० पी० सी० की दफा अलग बनायी गयी थी ? वह भी ३०२ में पकड़े गये और फांसी की सजा उन्हें हुई। उनको राजबन्दी कैसे माना गया ? देश के कोने-कोने में, हिन्दुस्तान के हर आबाल, वृद्ध नर-नारी ने उनको माना कि वह राजबन्दी थे। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जिन्होंने हिन्दुस्तान के बाहर मलाया-सिंगापुर-बरमा में आजाद हिन्द फौज का संगठन किया और कोहिमा इम्फहाल आदि जगहों में आजाद हिन्द फौज ने हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नया सुनहला अध्याय जोड़ा वह तो अहिंसा के मानने वाले नहीं थे, वह तो महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति पर उस प्रकार से चलने वाले नहीं थे। उनके लिये अहिंसा का एक साधन एक नीति का विषय था और उस समय जो उन्होंने उचित रास्ता समझा वह ईमानदारी से समझा कि अहिंसा से युद्ध काल में देश का उद्धार नहीं हो सकता। अगर वे पकड़े गये होते और अंग्रेजों ने उनका ट्राइल किया होता तो यह सरकार उनके लिये क्या कहती ? क्या वह उनके खिलाफ कुछ इसलिये कहती कि वह गृहमंत्री की परिभाषा की अहिंसा के मानने वाले नहीं थे। अहिंसा की परिभाषा तो मैं बाद को बताने की कोशिश करूंगा। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि खुदीराम बोस और

यतीन्द्रनाथ दास आदि शहीदों से हमारा यह देश आज भी अनुप्राणित होता है। तो केवल इसलिये कि कोई शख्श आई० पी० सी० की चोरी या डकैती की दफाओं में पकड़ा गया उसको राजनैतिक बंदी न कहा जाय, यह सर्वथा अनुचित है। फिर अगर मैंने अपनी मोटी अक्ल से राजनैतिक बंदी की परिभाषा गलत कर दी थी तो माननीय सदस्यगण उसमें संशोधन लाते और उसके लिये कड़े से कड़े नियम बनाते। कसौटी का ऐसा पत्थर लाते जिस पर चांदी सोना सब खरा उतरता, लेकिन यह कहना कि पोलीटिकल प्रिजिनर्स का बिल ही नहीं आना चाहिये, यह बिलकुल गलत और निरर्थक चीज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने और दूसरे सदस्यों ने यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रश्न उठाया अतः मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिम्मेदार मेम्बर हूं, इतना ही नहीं मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सूबा कमेटी का भी एक मेम्बर हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंसा और अहिंसा के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के विचार बहुत ही साफ हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी कम्युनिस्ट, इतना ही नहीं दुनिया का कोई भी कम्युनिस्ट हिंसा में हरगिज भी विश्वास नहीं करता। हम यह मानते हैं कि जो ताकतें बढ़ती हुई शक्तियों के जन्म में, नई समाज व्यवस्था के जन्म में रुकावट डालती हैं, कहने पर नहीं मानतीं, समझाने पर नहीं मानतीं तो उनको मिटा ही देना होगा। इस प्रश्न को हम इस रूप में देखते हैं कि एक मां के पेट से एक बच्चा जन्म लेना चाहता है लेकिन कोई आदमी प्रसव के समय उसको बाहर निकलने से रोकता है, कहने पर नहीं मानता तो हम उसका हाथ पकड़ कर तोड़ देंगे। हम समझते हैं कि उसका हाथ तोड़ देना यह अहिंसा है और जो रोकता है वह सबसे बड़ा हिंसक है क्योंकि वह नई सृष्टि के पथ में एक रोड़ा है, समाज के रथ के पहिये को पीछे ढकेलना चाहता है, उसकी प्रगति को रोक कर उसको गाड़ ही देना चाहता है, तो वह हमारा शत्रु है। अगर वह समझाने से नहीं मानता, विनय से नहीं मानता, सत्याग्रह से भी नहीं मानता, तो फिर मैं आपसे ही पूछता हूं कि उसके लिये क्या रास्ता है ?

अध्यापकों ने ६ साल से प्रार्थनायें कीं, अपीलें कीं, उनके डेप्यूटेशन्स माननीय मंत्रियों से मिले, सरकार के हर एक उच्च शिक्षा अधिकारियों से मिले तो अब वे क्या करें, जब किसी प्रकार से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वे क्या करें ? उसी दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, हर एक व्यक्ति को और हर एक पार्टी को यह मौका होना चाहिये कि वह यह निर्णय कर सके कि उसको ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि अहिंसा के सवाल को उठाकर मुख्य विषय को पीछे फेकने की भद्दी कोशिश की गयी है और मुख्य प्रश्न के ऊपर धूल डालने की कोशिश की गयी है, उसको छिपाने की कोशिश की गयी है।

मैं तो यह कहता हूं कि माननीय राम नरेश जी और दूसरे लोग जो इस विधेयक पर बोले उनको एक ऐसा अमेंडमेंट पेश कर देना चाहिये था कि जो अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेंगे उन्हीं को राजबन्दी माना जायगा, फिर यह मेरा विषय था कि मैं उस पर अपने विचार प्रकट करता लेकिन इस बिल का पूरा विरोध अंग्रेजों की तरह से उनके तर्कों में किया गया। १९४२ में हिन्दुस्तान अपनी राजनैतिक आजादी के जीवन-मरण आन्दोलन में लगा हुआ था अंग्रेजों द्वारा बजाय पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने के हमारे देश में हमारी कौमियत पर हमला किया गया। जब हमारे सामने यह स्थिति आयी कि हम अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करें और उनके सामने घुटने टेक दें या अपने सिद्धांत पर अटल रहें तो जनता की अक्ल में जो पथ आया वह उचित आया और ऐसे समय में जनता के जो रास्ते हुआ करते हैं उसने उसे अपनाया। २५, ३० वर्ष तक जो अहिंसात्मक नीति थी वह हवा में उड़ गयी। जनता ने उस समय उस परिस्थिति में उस नीति को ठुकरा दिया। तोड़-फोड़ का आन्दोलन शुरू कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत को उसके चिन्हों पर हमला करके उसे हटाने की कोशिश की। अब क्या कहा जाय इसे ? तमाम दफात के अन्दर देशभक्त लोग

[श्री झारखंडे राय]

जेलखाने में बन्द रहे। करीब-करीब ७ वर्ष तक मैं भी जेलखाने में रहा और करीब-करीब यू०पी० के बहुत सी जेलों में रहने का मौका मिला। कोई पोलिटिकल क्लास नहीं था लेकिन सभी पोलिटिकल कैदी होने का दावा करते थे और अंग्रेज भी उनको मानते थे। चाहे कानून की किताब में वह न हो लेकिन व्यवहार में वे उसे मानते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी जेल में रहे हैं और वे सम्मानित सदस्य जो स्वतंत्रता के सिलसिले में जेलखाने में रहे उसको भी ये बातें मालूम हैं। तो हिंसा अहिंसा के आधार पर इस सवाल की अहमियत को छिपाना और छिपाने की कोशिश करना मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री के लिये और किसी भी माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं है। एक बात माननीय गृहमंत्री जी ने आज भी कही और इसके पहले भी कई मर्तबा कही कि लोग खेत काट लेते हैं, लोग डकैती, खून व कत्ल करते हैं और वे इसे समझ लेते हैं कि यह मास कंसेसनेस किया जा रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि उनका मतलब अगर कम्युनिस्ट पार्टी से है तो कम्युनिस्ट पार्टी इस बात की पूरी सफाई उनके सामने दे चुकी है और आज भी देना चाहती है कि ऐसे किसी आन्दोलन से इस समय उसका कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने आजमगढ़ के संबंध में कुछ बातें कहीं और उनमें खासकर श्री पद्मनाथ सिंह को तो आजकल चारों तरफ तैलंगाना ही दिखलाई पड़ता है। तैलंगाना की आजकल एक हवा बह गयी है। गलत-सही झूठ-सच जो कुछ भी बात हो उसके लिए तैलंगाना का भूत ही दिखलाई पड़ता है। इस सिलसिले में मैं एक ही मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं जो कि मैं खुद देखकर आया हूं। गोरखपुर के फरेंदा तहसील में बलुआ क्षेत्र में रामकोला एक गांव है। यह गांव एक टापू के समान है जिसके तीन तरफ राप्ती नदी है और जिसमें मल्लाह, काछी और चाई जाति के गरीब किसान लोग रहते हैं। बलुआ गांव के सब से बड़े जमींदार श्री पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी हैं। अब जमींदारों का नाम चाहे जो कुछ भी हो गया हो लेकिन वे भूतपूर्व जमींदार हैं। उन्होंने २८ जनवरी को पूरे रामकोला गांव पर खूनी हमला किया और वह भी तीन सौ आदमियों के साथ हमला किया। पूरे गांव को लूटा। सिंगारी नाम की एक औरत के साथ उनके दो गुन्डों ने बलात्कार किया और उनका एक एक सामान लूट कर ले गये। यहां तक कि मामूली लोटिया तक भी नहीं छोड़ी, सब लूट ले गये। तो ऐसी घटनायें माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं। वे फाइल में ही दबा दी जाती हैं मेरा ६ साल का प्रकाश्य (ओपन) राजनैतिक जीवन है। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह मोटी सी बात है कि अगर कहीं कोई किसान किसी के जरिये उभारे जाने पर या खुद बखुद किसी के खेत पर कब्जा कर लिया तो वह बात बहुत जल्द अधिकारियों के पास पहुंच जाती है और वहां पी० ए० सी० भी पहुंच जाती है। लेकिन भूतपूर्व जमींदार जो समाज के ऊपर हावी हैं और आर्थिक तथा साधन रूप से समाज में प्रबल हैं, उनके अत्याचार की गाथायें उन तक देर में भी नहीं पहुंचती हैं। क्यों? आजमगढ़ जिले के श्री शिवराम राय जी, श्री पद्मनाथ सिंह, बस्ती के श्री राम कुमार शास्त्री जी ने भी पूर्वी जिलों की बातें कीं। हमारे आजमगढ़ के जिस क्षेत्र में पी० ए० सी० रहती है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि वह क्षेत्र सोशलिस्ट प्रभावित क्षेत्र है। उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव बिलकुल नगण्य है या बिलकुल नहीं सा है। मैं उस जिले की घोसी तहसील के पेश्चिमी क्षेत्र से चुनकर आया हूं और श्री राम सुन्दर पांडेय जी पूर्वी क्षेत्र से चुनकर आये हैं और उन्हीं के क्षेत्र में पी० ए० सी० नियुक्त की गयी है। यह कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से वहां गड़बड़ी हुई है, सही नहीं है। जो गलत इन्दराज हुए हैं और भूतपूर्व जमींदार जो पुलिस की मदद से किसानों के खेतों पर कब्जा कर रहे हैं उसी की वजह से यह गड़बड़ी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा अहिंसा के सवाल को उठाकर इस विधेयक की अहमियत पर परदा डालना यह किसी तरह से भी उचित नहीं है। राजबन्दी राने

जाने की कोई भी कसौटी रखिये और जो आपकी समझ में हो उसके मुताबिक रखिये लेकिन इस बिल को मानने से क्यों इंकार है? सोशलिस्ट पार्टी तो हिंसा की बात नहीं करती, हम तो मानो हिंसा के अवतार ही हैं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित जो आंदोलन हैं उनके लिये आप क्या करेंगे? जो सत्याग्रह करके जेल जायेंगे उनके लिये आप क्या करेंगे? जो महसूस करते हैं कि आज भी हिन्दुस्तान आजाद नहीं है, हत्यारे अंग्रेजों की जो पेंशन दी जाती है वह बन्द होनी चाहिये भारत का संबंध कामनवेल्थ से नहीं रहना चाहिये जो लोग उसके खिलाफ आन्दोलन चलायेंगे उनके लिये माननीय गृह मंत्री क्या कहते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में विदेशी पूंजी जब्त होनी चाहिये और अंग्रेज-अमरीकी पूंजी का आयात नहीं होना चाहिये इस तरह का आन्दोलन चलायें उनके लिये माननीय मंत्री क्या कहेंगे? जो राजा, महाराजा, नवाब, अंग्रेजों के वाच डाग की तरह काम करते रहे, उनके प्रिवी पर्सेज बन्द किये जायं इस पर आन्दोलन चलाया जाय तो उसके लिये माननीय मंत्री क्या करेंगे? बहुत से व्यापक राष्ट्रीय प्रश्न हैं उन पर चलाये गये आन्दोलनों के ऊपर क्या कहा जायगा यह मेरा प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री जानते हैं कि हमारे देश के चुनाव कमीशन ने चार पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी माना है, कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जन संघ को। इसके अलावा स्टेट में बहुत सी पार्टीज हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। वे पार्टियां अगर किसी आन्दोलन को चलाती हैं और वे कहती हैं कि फलां आदमी हमारी पार्टी का है और अमुक आन्दोलन उसके द्वारा संचालित किया गया है तो उसको राजनैतिक बन्दी मानने में क्या दिक्कत है?

रूस की बात भी यहां उठाई गई। बात हिन्दुस्तान की हो रही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की। उसमें रूस भी आ गया, चीन भी आ गया। रूस में क्या हो रहा है मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं, हमारी पार्टी महसूस करती है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म का रास्ता वह हरजिग नहीं है जो रूस में रहा है। चीन में कम्युनिज्म का रास्ता वह नहीं है, जो रूस में था। पूर्वी योरोप में भी कम्युनिज्म का रास्ता वह नहीं रहा जो रूस में रहा है। हर देश की परिस्थिति, हर देश की राष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुसार और उससे प्रभावित होकर हर देश में कम्युनिज्म आयेगा। उस देश विशेष की भौगोलिक स्थिति, उस देश के निवासियों का मानसिक झुकाव और उनकी ऐतिहासिक परम्परा उस देश का चारित्रिक संतुलन जो हो, जो उस देश विशेष की तहजीब तमद्दुन हो, सबका उस पर कम्युनिज्म की स्थापना के मार्ग और प्रकार पर असर पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री बड़े विद्वान हैं, माननीय परिपूर्णानन्द ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी हैं और बड़ी विद्वता उनमें है और बड़े-बड़े आंकड़े वे पेश करते हैं। मैं उनसे पूछ सकता हूं क्या कम्युनिज्म इस देश में उसी तरह से आयेगा जैसे रूस में आया? रूस में सन् १९१७ की समाजवादी क्रांति के बाद १४ राष्ट्रों ने हमला किया, लेकिन चीन पर तो नये राज्य की स्थापना के बाद एक ने भी अब तक नहीं किया। रूस में कुलक लोग जो थे उन्होंने कलेक्टेवाइजेशन का जो रास्ता सरकार ने अपनाया उसका प्रबल विरोध किया तब वह कुचल दिया गया लेकिन चीन ने कुलकों को अपनाया है और धीरे-धीरे वे उसे सुधार के द्वारा अपने राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाते जा रहे हैं। माओ त्से तुंग ने जो रास्ता अपनाया है वह दुनिया के लिये एक चुनौती है। एशिया की सभ्यता और संस्कृति के सामने एक ऐसी चुनौती है कि अगर वह प्रयोग सफल हो गया जिसमें अब कोई संदेह नहीं है, तो हमको और आपको मानना पड़ेगा कि वह रास्ता ही सही है। इसलिये चीन की बात को लाना असंगत और अप्रासांगिक है। रूस में श्रमजीवी हैं लेकिन चीन में पीपुल डेमोक्रेसी है। वहां चीन में निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। वहां कम्प्रेडोर बुर्जुआ, जो साम्राज्यवादियों के टुकड़े खोर, गुलाम थे, जो बड़े बड़े लैंडलार्ड और वार-लार्डस थे उनको उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेसी में कोई राइट नहीं दिया है। डेमोक्रेसी का भी हमारा कान्सेपशन है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो शोषक हैं जिन की मनोवृत्ति भी शोषक बन गई है। जो विदेशियों से मिलकर आजादी के राजनैतिक आन्दोलन

[श्री झारखंडे राय]

को कुचलते रहे, जो राष्ट्रीय गद्दार हैं, [ऐसे आदमियों को वोटाधिकार देना मेरी समझ में, मेरी पार्टी की समझ में गलत है। हमारी डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि हम टाटा, बिरला वगैरह को वोटाधिकार न देंगे। हम उनको वोटाधिकार देंगे जो जनता के अंग हैं। आचार्य नरेंद्रदेव जी ने भी चीन से लौटने के बाद कहा कि "जनता" की परिभाषा चीन में मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्ग तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों से है। पीपुल्ज डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग नहीं लिया है बल्कि राष्ट्रद्रोही थे और जो शोषक हैं, जिनकी मनोवृत्ति भी शोषक बन गई है जब तक उनका सुधार न हो जाय, जब तक वह अच्छी तरह से इंसान न बन जायें तब तक उन को वोटाधिकार नहीं मिलना चाहिये। रूस में पुराने शोषकों को सन् १९३६ में ही वोटाधिकार मिला। चीन में भी आज वह वर्ग वोट देने से वंचित है। लेकिन चीन में बहुत ऐसों को वोटाधिकार दिया गया है जिनको रूस में नहीं दिया गया था राज्य की पुरानी मैशीनरी को पुराने राजयंत्र को तोड़ना क्रांति का पहला और विध्वंसात्मक काम है। पूर्वी योरोप में भी लड़ाई के दौरान में, हिटलर की फौजों का पीछा करते हुये लाल फौजें उन मुल्कों में घुस गयीं। जो काम क्रांति का था उसको सोवियट रेड आरमी ने किया। सोवियट रूस में सन् १७ की ७ नवम्बर को कुछ घंटों के अन्दर सारे राज्ययंत्र पर कब्जा कर लिया गया था। चीन में लाखों आदमी मर गये। और २० साल गृह युद्ध चला। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर मुल्क में क्रांति करने का राज्य-सत्ता पर कब्जा करने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे मुल्क में क्या होगा इसकी भविष्य वाणी ठीक-ठीक आज कोई नहीं कर सकता। जीवन के संघर्ष के नये २ अनुभवों से ही वह क्रांति-पथ आलोकित होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि एक विशेष तरीके से मेरी विधेयक लाने की नीयत के संबंध में जिक्र किया गया। मैंने किस नीयत से इस प्रस्ताव को रखा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास अनेक पत्र आयें जो कि कम्युनिस्ट बंदियों से संबंध रखते हैं। उनकी दशा देखकर मैंने अहसास किया और चूंकि मैं खुद भी जेल में रह चुका हूं तो मुझे अनुभव भी था कि इस चीज को मूव करना चाहिये। और चूंकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेताओं ने राजबन्दी श्रेणी के वादे भी किये थे इसलिये मैं ने उसको मूव किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---५ बजने वाले हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री झारखंडेराय जी अपना भाषण कल जारी रखेंगे। मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्रम समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री झारखंडेराय जी ने श्रम समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है और उनकी रिक्त जगह का चुनाव होगा। इसलिये उसके लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि कल २७ मार्च को १ बजे दिन तक और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २७ मार्च को ३ बजे दिन तक होगी। नाम वापस लेने की तिथि और समय ३० मार्च को ३ बजे तक और अगर निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो बाद में निर्वाचन का समय और तिथि तथा स्थान आदि घोषित कर दिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२६ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ व ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

तालिका

	नाम जिला	स्थिति	नाम कुटीर उद्योग	विद्यार्थी	औसत वार्षिक व्यय रु०
१	मिर्जापुर	ग्राम मेहरकला पो० गहरवार	खादी बुनाई	३	४४३२
२	आजमगढ़	ग्राम व पो० दोहरीघाट	खादी बुनाई	१८	४४३२
३	,,	,,	लोहारगीरी	८	६०००
४	,,	,,	चमड़ा कमाई	४	६०००
५	,,	ग्राम डीहा, पो० किशुनपुर	खादी बुनाई	१५	४४३२
६	बनारस	ग्राम व पो० मेवापुरी	खादी बुनाई	१२	४४३२
७	,,	,,	बढ़ईगीरी	१६	६०००
८	,,	,,	साबुन बनाना	१०	६०००
९	कानपुर	ग्राम व पो० पुखरायां	खादी बुनाई	४	४४३२
१०	,,	ग्राम व पो० पुखरायां	चमड़ा कमाई	१४	६०००
११	बहराइच	श्रावस्ती आश्रम, पो० इकौना	खादी बुनाई	१२	४४३२
१२	बलिया	ग्राम म्योरी, पो० हलधरपुर	खादी बुनाई	१२	४४३२
१३	गोरखपुर	कुष्ठ आश्रम, गोरखपुर	खादी बुनाई	क्लास चलाने का आयोजन हो रहा है।	

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८८ पर)

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२

भाग १

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार ।

१—इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राजबन्दी अधिनियम, १९५२ होगा ।

२—राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् यह अधिनियम तत्काल प्रचलित होगा ।

३—यह अधिनियम समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा ।

भाग २

परिभाषा ।

४—राजबन्दी का अभिप्राय उस बन्दी से है, जो—चाहे अभियुक्त हो, दंडित हो या नजरबन्द हो—जेल के बाहर किसी सर्वमान्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हो और प्रदेश के किसी मजदूर, किसान, विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सामूहिक आन्दोलन के सिलसिले में या राजनीतिक उद्देश्य से किये गये अपराध में जेल भेजा गया हो ।

भाग ३

राजबन्दी की सुविधायें ।

५—प्रदेश के जेल में राजबन्दी को वही सुविधायें दी जायंगी, जो वर्तमान जेल मैनुअल में सुपीरियर क्लास के बन्दी के लिए निश्चित हैं ।

६—इसके अतिरिक्त—

(क) राजबन्दी को बेत, हथकड़ी, बेड़ी, चक्की, अथवा कोल्हू की सजायें नहीं दी जा सकेंगी ।

(ख) उन्हें वे सभी पुस्तकें, पत्रिकायें, समाचार-पत्र तथा साहित्य पढ़ने की सुविधा दी जायेगी, जो बाहर जब्त न हो ।

(ग) सभी राजबंदियों को एकत्र एक जेल में रक्खा जायगा ।

भाग ४

नियम बनाने का अधिकार ।

७—इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

उद्देश्य तथा कारण

इस विधेयक का उद्देश्य है राजबंदियों को उन सभी सुविधाओं का प्रदान करना, जो उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिये आवश्यक हैं । इसके बिना जेलों में प्रायः राजबंदियों और जेल अधिकारियों में संघर्ष हुआ करता है । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में सदा इसकी मांग उठी है । इसके लिये अंडमान से लेकर देश के जेलों में अनेकानेक बलिदान हुए हैं । अतः इस चिर-अभिलषित भावना की प्राप्ति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है । अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

झारखंडे राय,
सदस्य,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४ एल० ए०-१९५३—८५० ।